राजस्थान सरकार

कोटपूतली–बहरोड

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

2025

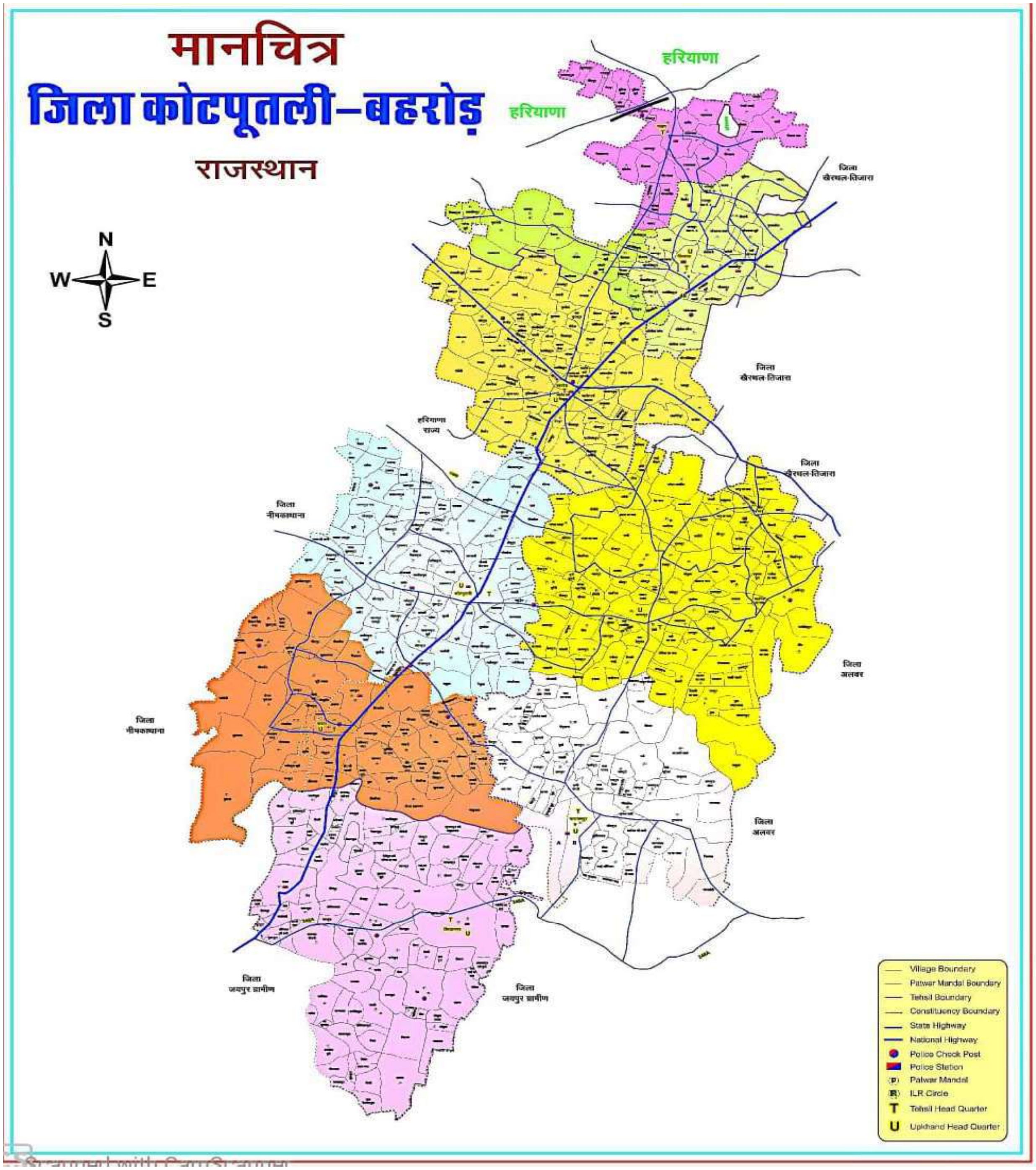
मानचित्र
जिला कोटपूतली–बहरोड़
राजस्थान
N
W
E
S
हरियाणा
हरियाणा
जिला
खैरथल-तिजारा
जिला
खैरथल-तिजारा
हरियाणा
राज्य
जिला
खैरथल-तिजारा
जिला
नीमकाथाना
जिला
नीमकाथाना
जिला
अलवर
जिला
अलवर
जिला
जयपुर ग्रामीण
जिला
जयपुर ग्रामीण
Village Boundary
Patwar Mandal Boundary
Tehsil Boundary
Constituency Boundary
State Highway
National Highway
Police Check Post
Police Station
Patwar Mandal
ILR Circle
Tehsil Head Quarter
Upkhand Head Quarter

संरक्षक

श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, आई.ए.एस

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अध्यक्ष

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण

कोटपूतली–बहरोड

संपादक

श्री ओम प्रकाश सहारन, आर.ए.एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी (सहायता)

सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कोटपूतली–बहरोड

सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड
जिला आपदा प्रबन्धन योजना– 2024

प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना–2025 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के दिशा–निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान–माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सत्त और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उदेश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्राबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावो का आंकलन, फंसे हुए लोगो को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना–2025, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लायें।

इस योजना को व्यवस्थित तरीके से तैयार एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूॅ, जिन्होने योजना को बनाने में जनहित में अपनी सहभागिता निभाई। योजना को सफल बनाने में सब का सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागत योग्य है।

श्रीमती प्रियंका गोस्वामी आई.

ए.एस.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	**आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय**	7
अध्याय 2	**विकास और आपदा**	17
2.1	बहु–आपदा अनुक्रिया योजना	17
2.2	जिला आपदा प्रबन्धन	18
2.3	कार्य योजना के उद्देश्य	19
2.4	नीतिगत कथन	19
अध्याय 3	**कोटपूतली–बहरोड जिले की रूपरेखा**	20
3.1	राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जिला कोटपूतली–बहरोड एक दृष्टि में (वर्ष 2011–12)	22
3.2	पर्यटन स्थल	30
3.3	परिवहन, संचार और उर्जा	35
अध्याय 4	**आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति**	36
4.1	आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य योजना	36
4.2	खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)	38
4.3	रोकथाम और शमन उपाय	39
अध्याय 5	**राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा**	41
5.1	आपदा प्रबन्धन चक्र	42
5.2	सूखा	42

5.3	बाढ़	43
5.4	भूकम्प एवं तीव्रता	45
5.5	जिले का खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण	49
5.6	आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग	50
अध्याय 6	**कोटपूतली–बहरोड जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन**	51
6.1	संभावित विपदाओं की पहचान	51
6.2	संवेदनशीलता	52
अध्याय 7	**प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना**	54
7.1	जिला आपदा प्रबन्धन	54
7.2	संस्थागत व्यवस्था	55
7.3	कार्य योजना के उद्देश्य	60
7.4	नियन्त्रण कक्ष	61
7.5	जिला एवं स्थानीय प्रशासन	61
7.6	पुलिस विभाग	63
7.7	अग्नि कार्य योजना	64
7.8	आकाशीय बिजली बचाव कार्य योजना	75
7.9	नागरिक सुरक्षा बल	79
7.10	राज्य आपदा प्रतिसाद बल ";जंजम क्पेंजमत त्मेचवदेम थ्वतबमए"क्त्थ्द्वध बम विस्फोट एवं आतंकवादी घटना	79
7.11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना	82
7.12	जल संसाधन विभाग कार्य योजना	87
7.13	बोरवेल की दुर्घटना	113
7.14	सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	116
7.15	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	118
7.16	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना	119

7.17	परिवहन विभाग	120
7.18	खाद्य एवं रसद विभाग	120
7.19	सूखे की कार्ययोजना	120
7.20	दुर्घटना कार्य योजना	123
7.21	भूकम्प एवं कार्य योजना	126
7.22	ओला वृष्टि	129
7.23	बांध टूटना	129
7.24	खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्य योजना	130
7.25	ताप (लू) एवं शीतघात	130
अध्याय 8	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय**	135
अध्याय 9	**पुर्ननिर्माण, पुर्नवास एवं रिकवरी उपाय**	138
अध्याय 10	**रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्य योजना**	142
10.1	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	142
अध्याय 11	**बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्य योजना**	144
अध्याय 12	**न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति की कार्ययोजना**	145
अध्याय 13	**साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड**	146
अध्याय 14	**विधालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय**	149
अध्याय 15	**कोटपूतली–बहरोड बस स्टैण्ड आपातकालीन कार्ययोजना**	150
अध्याय 16	**आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)**	151
अध्याय 17	**आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी**	155
अध्याय 18	**राजस्थान राहत कोष**	156
अध्याय 19	**तहसील कोटपूतली आपदा योजना**	162
अध्याय 20	**तहसील बहरोड आपदा योजना**	164
अध्याय 21	**तहसील नीमराना आपदा योजना**	166
अध्याय 22	**तहसील नारायणपुर आपदा योजना**	168

अध्याय 23	तहसील बानसूर आपदा योजना	172
अध्याय 24	तहसील पावटा आपदा योजना	178
अध्याय 25	तहसील विराटनगर आपदा योजना	184
अध्याय 26	तहसील माढ़ण आपदा योजना	194
अध्याय 27	जिले के प्रशासनिक अधिकारी ,पुलिस अधिकारी ,जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण विभाग की सूची एवं दूरभाष नम्बर	196
अध्याय 28	आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली	201
अध्याय 29	कमियॉ एवं ठोस कार्यवाही	206

अध्याय : 1

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) – राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाऐं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उतरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ड) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभाग द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य –

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाऐं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण मे अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) जिले का कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक – सदस्य।

(ड) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य।

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले मे जहॉ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां।

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक़्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा मे जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन।

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) मे निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति।

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराऐगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियॉ और कृत्य।

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा

अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटरिंग कर सकेगा,

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए है :

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड ;अपपपद्ध में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

(xii) जिले मे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनोंकी सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुसरण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबंद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xx) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा

और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियो को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31 – जिला आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी।

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है।

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधाकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाऐं और प्रक्रियाऐं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

(i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उतरदायित्वों का आवंटन :

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

(iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण।

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

(v) जनता को सूचना का प्रसार।

(ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

स्थानीय प्राधिकारी

धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाऐं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझें।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 – राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ)

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी है, वे होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशन

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि।

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाऐगें :–

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग क पश्चात प्रदान करें।

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदशक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

अपराध और शक्तियां ; चमदंसजपमे ंदक च्तवेमबनजपवदद्ध

धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंड।

जे कोई युक्तियुक्त कारण के बिना –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंड।

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या

विश्वास करने को उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरूपयोग के लिए दंड।

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहूँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरूपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोगके लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराध।

(1) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहा विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के प्रति मौनानुकूलता।

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त

लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 57 – अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लघंन के लिए शास्ति।

यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लघंन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

अध्याय : 2

विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाऐं उसके नियंत्रण में नहीं है वरन् प्रौधोगिक और औधोगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पडता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1990 में उडीसा में आये तूफान ֺ;नचमत ब्लबसवदमद्धए 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपों में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ / गौरीकुण्ड / गुप्त काशी में हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं।

2.1 बहु– आपदा अनुक्रिया योजना :

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औधोगिक व रासायनिक दुर्घटनाऐं, आंगजनी, सडक दुर्घटनाऐं, रेल व वायुयान दुर्घटनाऐं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। (1950–2000) के 50 वर्षो में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे है जबकि 44 वर्षो में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, 1999–2000 में रहा है। 1980 से 2000 के दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की

निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी कभी पडता था वह स्थाई आपदा बन गया है।

संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुऐं। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नही वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाऐं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते है जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

2.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :–

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहायेग के साथ क्षमता बढाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनानां
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
5. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

7. जिले में पूर्व में हुईआपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रकिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

2.3 कार्य योजना के उद्देश्य :–

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक धन दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया ;त्मंबजपवदध्त्मेचवदेमद्ध कार्यो के सही कम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

2.4 नीतिगत कथन :–

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पडा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.2. 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का

सहीं ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही मे देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटनें व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सकें।

अध्याय : 03

कोटपूतली–बहरोड जिले की रूपरेखा एवं संरचना

राज्य सरकार द्वारा 07 अगस्त 2023 को कोटपूतली–बहरोड़ को नवीन जिला बनाया गया कोटपूतली–बहरोड़ जिले में अलवर जिले और तत्कालीन जयपुर जिले की 8 तहसीलों कोटपूतली, बहरोड़ नीमराणा, बानसूर, माँढन, पावटा, नारायणपुर, विराटनगर को शामिल किया गया है कोटपूतली–बहरोड़ जिला अलवर, खैरथल–तिजारा व नीमकाथाना से सीमा बनाता है व हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कोटपूतली–बहरोड जिला 27.8867 डिग्री उत्तर और 76.2834 डिग्री पूर्व में स्थित है।

यह जिला भारत देश की राजधानी व राजस्थान राज्य की राजधानी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्थित है। जिले में साबी नदी बहती है। जिले के भैंसलाना का काला संगमरमर विश्‍व प्रसिद्ध है, यहॉ एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कम्पनी का कारखाना स्थापित है, जिले के बहरोड़ तहसील में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जिले के नीमराणा में स्थित बावड़ी को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया गया है, बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य जिले में स्थित है, जिले की तहसील विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी यहाँ पर पांड्वो ने अज्ञातवास पुरा किया था, बकरी की सबसे सुन्दर नस्ल ग्राम जखराना में पाई जाती है। जिले में 07 उपखण्ड – कोटपूतली, बहरोड, नीमराणा, नारायणपुर, बानसूर, पावटा, विराटनगर। जिले में 08 तहसील– कोटपूतली, बहरोड, नीमराणा, नारायणपुर, बानसूर, पावटा, विराटनगर, माढ़ण । 6 पंचायत समिति– कोटपूतली, नीमराणा, बहरोड, बानसूर, पावटा, विराटनगर । 06 नगरपालिका– पावटा, विराटनगर, नारायणपुर, बानसूर, बर्डोद, नीमराना। एवं 02 नगर परिषद कोटपूतली, बहरोड स्थित हैं।

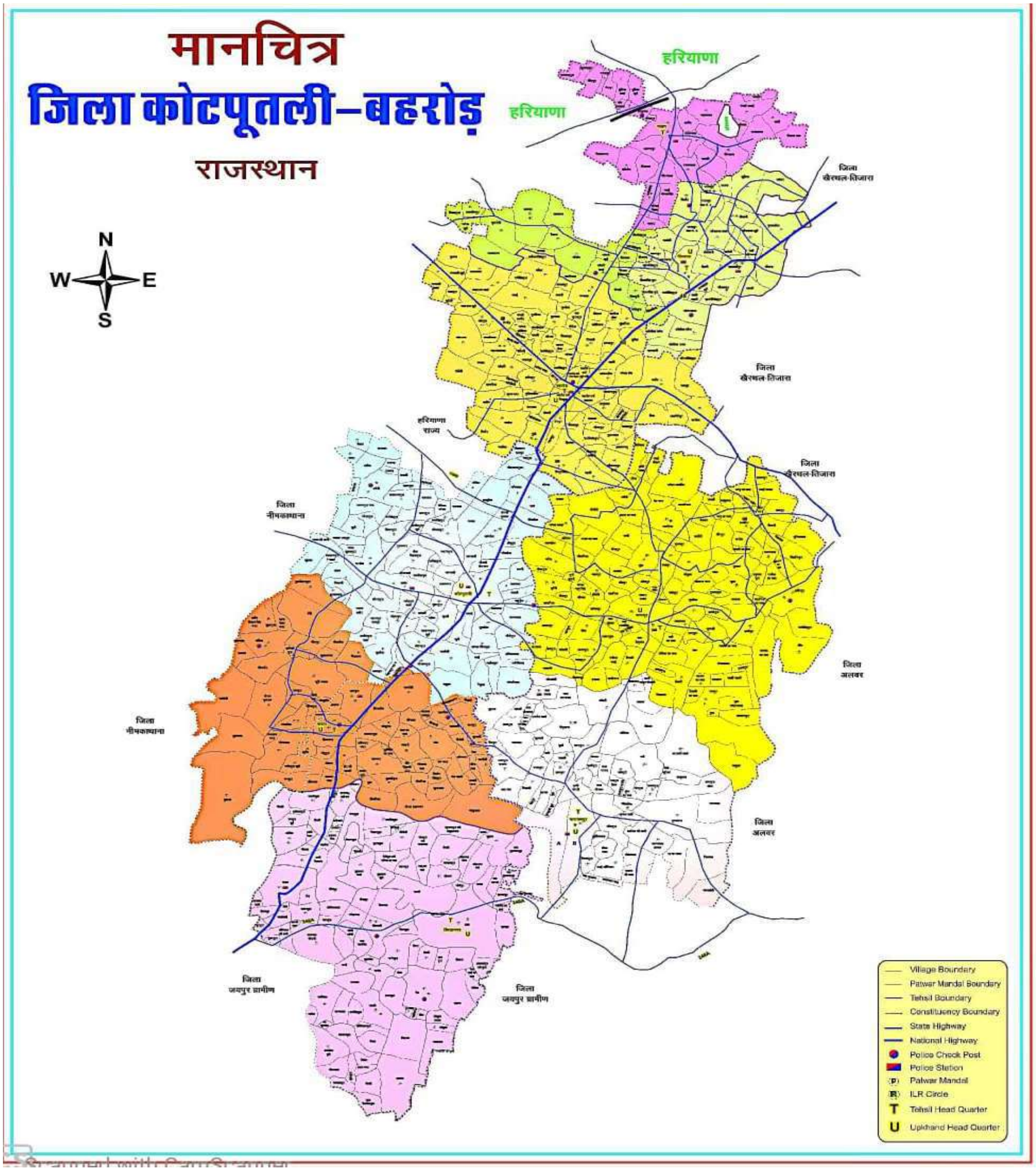

मानचित्र
जिला कोटपूतली–बहरोड़
राजस्थान
N
W
E
S
हरियाणा
हरियाणा
जिला खैरथल-तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा
हरियाणा राज्य
जिला खैरथल-तिजारा
जिला नीमकाथाना
जिला अलवर
जिला नीमकाथाना
जिला अलवर
जिला जयपुर ग्रामीण
जिला जयपुर ग्रामीण
Village Boundary
Patwar Mandal Boundary
Tehsil Boundary
Constituency Boundary
State Highway
National Highway
Police Check Post
Police Station
Patwar Mandal
ILR Circle
Tehsil Head Quarter
Upkhand Head Quarter

3.1 जिला कोटपूतली–बहरोड एक दृष्टि में (वर्ष 2024–25)

1. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या स्थिति

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2023–24	288103
2	कुल जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	1296747
	पुरूष	संख्या	जनगणना 2011	682406
	महिला	संख्या	जनगणना 2011	614341
3	अनुसूचित जाति जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	185403
4	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	65253
5	लिंगानुपात	संख्या	जनगणना 2011	900
6	जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग किमी	जनगणना 2011	450
7	साक्षरता	प्रतिशत	जनगणना 2011	69.05

2. प्रशासनिक ईकाई

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	उपखण्ड	संख्या	2023–24	7
2	तहसील	संख्या	2023–24	8
3	उपतहसील	संख्या	2023–24	2
4	पंचायत समिति	संख्या	2023–24	6
5	कुल ग्राम पंचायत	संख्या	2023–24	193
6	कुल राजस्व ग्राम	संख्या	2023–24	657
7	कुल नगर निकाय	संख्या	2023–24	8
8	पटवार मण्डल	संख्या	2023–24	191
9	गिरदावर सर्किल	संख्या	2023–24	48

3. जनप्रतिनिधि

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	लोक सभा सदस्य	संख्या	2023–24	2
2	विधानसभा सदस्य	संख्या	2023–24	4
3	जिला परिषद सदस्य	संख्या	2023–24	19
4	पंचायत समिति सदस्य	संख्या	2023–24	136
5	सरपंच	संख्या	2023–24	192

6	वार्ड पंच	संख्या	2023—24	1983
7	नगर परिषद पार्षद	संख्या	2023—24	75
8	नगर पालिका के पार्षद	संख्या	2023—24	147

4. पशुपालन

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	बहु उद्येशशीय पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	1
2	प्रथम श्रैणी पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	9
3	पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	44
4	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	संख्या	2023—24	167
5	ब्लॉक स्तरीय पशु रोग निदान केन्द्र	संख्या	2023—24	7
6	मोबाईल यूनिट(1962)	संख्या	2023—24	7
20 वी पशुगणना				
क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	गाय	संख्या	20वीपशुगणना	79428
2	भैंस	संख्या	20वीपशुगणना	452395

3	बकरी	संख्या	20वीपशुगणना	161667
4	भेड़	संख्या	20वीपशुगणना	29345
5	गधा व घोड़ा	संख्या	20वीपशुगणना	301
6	उंट	संख्या	20वीपशुगणना	1251
7	सुअर	संख्या	20वीपशुगणना	2426
	योग	संख्या	20वीपशुगणना	726813

5. शिक्षा

क. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	कुल विद्यालय			
	प्राथमिक / उ़0 प्राथमिक / माध्यमिक / उ0 माध्यमिक	संख्या	2023—24	936
	1. प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	288
	2. उ़0 प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	291
	3. माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	1
	अ. छात्र विद्यालय	संख्या	2023—24	1
	ब. छात्रा विद्यालय	संख्या	2023—24	0
	4. उ0माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	356
	अ. छात्र विद्यालय	संख्या	2023—24	327
	ब. छात्रा विद्यालय	संख्या	2023—24	29
2	कुल विद्यार्थी			

	प्राथमिक / उ0 प्राथमिक / माध्यमिक / उ0 माध्यमिक	संख्या	2023–24	87441
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023–24	36615
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023–24	50826
	1. प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023–24	4978
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023–24	2231
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023–24	2747
	2. उ0प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023–24	15950
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023–24	6778
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023–24	9172
	3. माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023–24	54
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023–24	24
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023–24	30
	4.उ0माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023–24	66459
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023–24	27482
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023–24	38877

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

क. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	राजकीय एलौपेथिक चिकित्सालय			
	अ. शहरी क्षेत्र			
	1. जिला मुख्यालय पर	संख्या	2023–24	3
	2. शेष नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में	संख्या	2023–24	6

	ब. ग्रामीण क्षेत्र			
	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023–24	15
	2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023–24	60
	3. कुल उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023–24	296
2	राजकीय एलौपेथिक चिकित्सालय में बैड			
	अ. शहरी क्षेत्र	संख्या	2023–24	468
	ब. ग्रामीण क्षेत्र			
	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023–24	580
	2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023–24	360
3	अन्य			
	1. जिला क्षय रोग चिकित्सालय	संख्या	2023–24	0
	2. मेडिकल मोबाईल यूनिट व मेडिकल मोबाईल वैन	संख्या	2023–24	2
	3. ट्रोमा सेन्टर	संख्या	2023–24	1
	4. ब्लड स्टोरेज केन्द्र	संख्या	2023–24	1
	5. प्रथम रैफरल केन्द्र	संख्या	2023–24	18
	6. 104 जननी एक्सप्रेस	संख्या	2023–24	13
	7. 108 एम्बूलेंस सेवा	संख्या	2023–24	17
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय			
	1 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	2023–24	0
	2. आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	2023–24	0
	3. ब्लॉक आयूष चिकित्सालय	संख्या	2023–24	3

	4. आयुर्वेद औषद्यालय	संख्या	2023—24	89
	5. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय	संख्या	2023—24	0
	6. एकल चिकित्सक सीएचसी व पीएचसी पर कार्यरत	संख्या	2023—24	7

7. सहकारिता

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	सहकारी संस्थाओ की संख्या	संख्या	2023—24	170
2	दुग्ध सहकारी समिति	संख्या	2023—24	422
3	दुग्ध संकलन केन्द्र	संख्या	2023—24	280
4	दुग्ध सहकारी समितियों में सदस्य संख्या	संख्या	2023—24	9280

8.महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	संख्या	2023—24	1206
2	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र	संख्या	2023—24	1206
3	पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्र	संख्या	2023—24	1206
4	पूरक पोषाहार की उपलब्धि (लाभान्वित)	संख्या	2023—24	61000 प्रतिमाह
5	शाला पूर्व शिक्षा की उपलब्धि	संख्या	2023—24	21000

9.पंचायतीराज विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना				
1	योजनान्तर्गत परिवारो को उपलब्ध रोजगार	संख्या	2023—24	26286
2	योजनान्तर्गत मानव दिवस सर्जित	लाखों में	2023—24	13.31
3	योजनान्तर्गत औसत मजदूरी	रूपयों में	2023—24	211.33

10.यातायात एवं सड़के

क. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	निजी कार /जीप	संख्या	2023—24	1676
2	बस/मिनी बस	संख्या	2023—24	57
3	स्कूटर/मोपेड/मोटर साईकिल	संख्या	2023—24	6939
4	आटो रिक्शा	संख्या	2023—24	75
5	टैक्सी	संख्या	2023—24	120
6	ई—रिक्शा	संख्या	2023—24	153
7	ई—कार्ट	संख्या	2023—24	197
8	सार्वजनिक/निजी भारी वाहन	संख्या	2023—24	4226
9	ट्रैक्टर	संख्या	2023—24	1073
10	अन्य	संख्या	2023—24	142
कुल पंजीकृत वाहन		संख्या	2023—24	14658
सड़क				
1	सड़को की लम्बाई	कि0मी0	2023—24	2476.04
2	राष्ट्रीय राजमार्ग	कि0मी0	2023—24	117.4

3	राज्य राजमार्ग	कि0मी0	2023—24	182.7
4	मुख्य जिला सड़के	कि0मी0	2023—24	419.13
5	अन्य जिला सड़के	कि0मी0	2023—24	11
6	ग्रामीण सड़के	कि0मी0	2023—24	1745.81

11.बैकिंग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	व्यवसायिक बैंक	संख्या	2023—24	78
2	ग्रामीण बैंक	संख्या	2023—24	26
3	भूमि विकास बैंक	संख्या	2023—24	1
4	सहकारी बैंक	संख्या	2023—24	6
5	निजी बैंक	संख्या	2023—24	54

12.सिंचाई

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	तालाब एवं बांध	संख्या	2023—24	2
2	नलकूप	संख्या	2023—24	28403
3	सिंचाई के लिये कुएॅ	संख्या	2023—24	77530
4	कुओं की संख्या	संख्या	2023—24	39105

5	पड़त कुओ की संख्या	संख्या	2023—24	17523
6	काम में आने वाले कुओं की संख्या	संख्या	2023—24	21512

13.पुलिस विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	पुलिस थाना	संख्या	2023—24	15
2	महिला पुलिस थाना	संख्या	2023—24	1
3	पुलिस चौकी	संख्या	2023—24	16
4	कारागृह (बन्दी गृह+कारागृह)	संख्या	2023—24	2

14.पेयजल

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	शुद्व पेयजल से जुड़े गांव	संख्या	2023—24	657
2	पेयजल हेतु हैडपम्प (ग्रामीण+शहरी)	संख्या	2023—24	75807
3	जल जीवन मिशन के तहत किये गए कुल कनेक्शन	संख्या	2023—24	178910

15.सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
छात्रावास				

1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023—24	5
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023—24	2
3	अन्य	संख्या	2023—24	3
समाजिक सुरक्षा पेंशन				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023—24	21529
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023—24	6003
3	अन्य	संख्या	2023—24	145208
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023—24	7
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023—24	2
3	अन्य	संख्या	2023—24	10
पालनहार योजना (लाभान्वित)				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023—24	3321
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023—24	1107
3	अन्य	संख्या	2023—24	6642

16. ऊर्जा

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	विद्युतीकृत नगर (सिटी टाउन सहित)	संख्या	2023—24	8

2	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	2023—24	657
3	कुल ऊर्जा की खपत	यूनिट लाखों में	2023—24	22262.08
क	घरेलू उपभोग	यूनिट लाखों में	2023—24	2343
ख	व्यवसायिक व अस्थाई उपभोग	यूनिट लाखों में	2023—24	847.28
ग	औद्योगिक उपभोग	यूनिट लाखों में	2023—24	10243
घ	सार्वजनिक प्रकाश	यूनिट लाखों में	2023—24	50.51
ड	सिंचाई / कृषि	यूनिट लाखों में	2023—24	8511
च	जल प्रदाय	यूनिट लाखों में	2023—24	234.94
छ	अन्य उपभोग	यूनिट लाखों में	2023—24	32.35
4	सबग्रिड स्टेशन			
क	400 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023—24	2
ख	220 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023—24	4
ग	132 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023—24	10
घ	33 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023—24	124
5	विद्युतीकृत कूप कृषि कनेक्शन (31.03.2024 तक)	संख्या	2023—24	43140

17. सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	ई—मित्र केन्द्र	संख्या	2023—24	1267
अ	शहरी	संख्या	2023—24	305
ब	ग्रामीण	संख्या	2023—24	962
2	ई—मित्र कियोस्क	संख्या	2023—24	242

18. जन्म—मृत्यु—विवाह पंजीयन

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	जन्म पंजीयन	संख्या	2023—24	37198
2	मृत्यु पंजीयन	संख्या	2023—24	6892
3	विवाह पंजीयन	संख्या	2023—24	8126

3.2 पर्यटन स्थल

- **टीलाजी महाराज मेला-** पावटा तहसील से 3 किलोमीटर दूर खेलना गांव (तपस्थली) में धुलंडी के दिन आयोजित होने वाला संत टीलाजी महाराज का मेला अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है। जहां वृक्ष को टीलाजी महाराज का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है।
  - इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां कोई एक-दूसरे को रंग या गुलाल नहीं लगाता।
  - मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र डोरी बांधते हैं। मान्यता है कि इच्छा पूरी होने पर वे डोरी खोलकर मंदिर में चढ़ा देते हैं।
  - खेलना गांव न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। इस गांव में पेड़ काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
  - संत टीला जी महाराज का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, भक्ति, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण का एक अद्भुत संगम है।
  - ट्सकोल सरपंच प्रतिनिधि भैरू हुड्डा के अनुसार, टीला जी महेंद्रगढ़ के निवासी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य अपनाया और ग्राम खेलना में तपस्या करने लगे।
  - स्थानीय जोहड़ में स्नान कर परिक्रमा करने की परंपरा के कारण इस स्थान का नाम चक्कर तीर्थ पड़ा, जो अब चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।
- **टोरड़ा बगीची धाम-** तहसील पावटा से 5 किमी दूर टोरड़ा ग्राम में स्थित यह धाम लगभग 01 हजार वर्ष प्राचीन है, यहां पर जानकी रघुनाथजी, हनुमानजी व शंकर भगवान के प्राचीनतम मंदिर है।

- यह पवित्र स्थल माधवदास जी, भरतदासजी, गोपालदास जी जैसे महान संतो की तपोस्थली रही है।
- वर्तमान में मंगलदास जी महाराज के द्वारा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रम किये जा रहे है।

➢ **छापाला वाले भैरूजी मेला-** कोटपूतली में हर साल अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित कुहाड़ा गांव में स्थित छापाला वाले भैरू बाबा मंदिर में 30 जनवरी को एक विशाल लक्खी मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं और भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण करते हैं.

- महाप्रसाद: 551 क्विंटल चूरमा, जो JCB और थ्रेसर से बनाया जाता है.
- भंडारा: लाखों भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है.
- कलश यात्रा: मेले से पहले 11,000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है.
- पंचदेव खेजड़ी वृक्ष की पूजा: मेले में पंचदेव खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है.
- मेले की पूरी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाती है.

➢ **भगवान जगन्नाथ का मेला -** कोटपूतली क्षेत्र के गांव पुरुषोत्तमपुरा का जगन्नाथ धाम भगवान मंदिर अटूट आस्था का केंद्र है। 4 जनवरी को यहां लगने वाले विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढाकर मन्नत मांगते हैं।

- मेले की खास बात है कि मेले वाले दिन उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाला भोग यहां लगता है।
- भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेले वाली रात को मशाल जलाकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हैं।

➢ **सरुंड माता मंदिर-** सोता नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर शक्ति की अराधना का केंद्र है। कोटपूतली को नीमकाथाना से जोड़ने वाले डाबला रोड स्थित ग्राम सरूंड में बना श्री सरूंड माता का मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है।

- प्रतिवर्ष चैत्र व शारदीय नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। राजस्थान समेत देश के कोने-कोने से हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं।
- कहा जाता है कि मंदिर में मां की मूर्ति पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापित की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मंदिर में स्थापित चिलाय देवी मां की मूर्ति पांडवों की कुल देवी का ही रूप है।
- विभिन्न समाजों के लोग मां सरूंड की पूजा कुलदेवी के रूप में करते हैं।

- **विराटनगर बौध मंदिर-** बीजक की पहाड़ी पर स्थित ये बौद्ध परिसर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अतीत के प्रमाण हैं।
    - इन्हें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में बनाया गया था, और उनके पास अशोक के दो लघु शिलालेख, बैराट और कलकत्ता-बैराट लघु शिलालेख पाए गए थे।
    - यह सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर है और इसलिए बैराट मंदिर भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण धरोहर है।
- **भाब्रू के शिलालेख-** इन शिलालेखों में सम्राट अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी के रूप में किया गया है।
    - ये भाब्रू पहाड़ियों के पास पाए गए लघु शिलालेख हैं जो अब एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित हैं।
    - इस शिलालेख में, अशोक को "पियादासी राजा मगधे" ("पियादासी, मगध का राजा") कहा गया है।
- **जैन नसियां, विराटनगर-** श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसियां (जिसे नसियाजी के नाम से भी जाना जाता है) राजस्थान के जयपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बैराठ शहर के बाहर स्थित है।
    - श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसियां का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था।
    - मंदिर के चारों ओर जैन संतों का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ समाधियाँ हैं।
    - आचार्य शुभचन्द्र स्वामी की तपोभूमि तथा जैन मुनि श्री विमलसूरीजी की जन्मभूमि इस नगरी में मुख्य बाजार में दो भव्य प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर, दिलवाडा शैली में निर्मित 16वीं शताब्दी का श्वेताम्बर जैन मंदिर स्थित है
    - यहां विराजमान 1008 भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा 400 वर्ष प्राचीन है।
- **त्रिवेणी धाम-** (विधानसभा-विराटनगर एवं उपखंड-शाहपुरा में स्थित) विक्रमी संवत 1795 में आचार्य गंगादास जी महाराज के द्वारा विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम की स्थापना की गई थी, जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर शाहपुरा के समीप अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है।
    - संत शिरोमणि गंगादास जी, जानकीदास जी, रामदास जी, भजन दास जी, भगवान दास जी और नारायण दास जी जैसे ही महान संतों की तपोस्थली त्रिवेणी धाम रहा है, जो 03 पवित्र जल धाराओं का संगम है जिसे 'धाराजी' के नाम से भी जानते हैं।
    - ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र जल के स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल जाते है, यह प्रयागराज संगम की तरह एक पवित्र तीर्थ स्थल है।
    - महाराज श्री नारायण दास जी ने चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में पूण्यार्थ कार्य किये है। वर्तमान में त्रिवेणी धाम की गद्दी पर विराजमान संत श्री राम रिछपाल दास जी महाराज है।
- **श्री नीलका धाम-** श्री नीलका धाम ग्राम पंचायत आंतेला, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ में N.H. 48 से 2 किलोमीटर अन्दर सुन्दर मनोरम पहाड़ियों में स्थित है जहां श्री सीताराम जी का मंदिर है।

- इस मंदिर का पौराणिक इतिहास 400 वर्ष पुराना है। पहले मंदिर मौजूदा स्थान से 1.5 किलोमीटर अन्दर पहाड़ियों में स्थित था।
- आज नीलका धाम मंदिर में चली आ रही संतों की यह परंपरा की 22वीं पीढी चल रही है। अब से पांच पीढी पूर्व संत सिरोमणी श्री मंगलदास जी महाराज हुए।
- हाल ही में संत श्री धन्नादास जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे, जो बनारस विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर थे, वे 19 फरवरी को ब्रह्मलीन हो गए।
- संत धन्नादास जी के दो शिष्यों श्री मोहनदास जी एवं श्री रामदास जी को इस महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधी प्राप्त हुई है।
- मंदिर में बाबा मंगलदास जी महाराज गौशाला संचालित है जिसमें करीब 1000 गायें हैं और नंदीशाला में करीब 650 नंदी हैं।
- आज नीलका में भव्य मंदिर व 2000 आदमियों को एक साथ भोजन प्रसादी की सुन्दर व्यवस्था है।
- नीलका धाम में खेली के पानी की महत्वत्ता है। आज भी भक्तगण खेली का पानी ही लेकर जाते हैं।

➢ **मनसा माता मंदिर-** दहमी स्थित में मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान दूर-दूर से भक्तों की भीड़ लगी रहती है।

- यह 600 साल से अधिक पुराना मंदिर है जिसमें लगा घंटा मराठा सरदार द्वारा स्थापित किया गया था।

➢ **बाबा खेतानाथ मंदिर-** नीमराना नगरपालिका क्षेत्र में स्थित गांव उमरावगढ़ में जौशीहोड़ा आश्रम पर बाबा खेतानाथ का मंदिर स्थित है.

अध्याय : 04

आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति

4.1 आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना

क. सं.	क्या करना है ?	कौन–कौन शामिल होगा ?	कार्य कैसे किया जाये ?
1	आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अति. कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ,वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	➢ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा। ➢ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकार्ड। ➢ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति ➢ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय
2	परिस्थिति का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। ➢ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। ➢ हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। ➢ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना। ➢ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पति की सूची तैयार करना। ➢ सुरक्षित, संसाधन/संभावित नुकसान, सडक,रेल,हवाई, अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।

3	खतरे का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जीविकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना है।
4	संवेदनशीलता का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग–अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना। ➢ संवेदनशील व्यक्ति जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाऐं, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते है, का चिन्हीकरण एवं सूची बनाना। ➢ सम्पति एवं पशुधन को चिन्हीकरण कर चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना। ➢ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, ग्रिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, उची इमारते एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण कर सूची बनाना। ➢ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हिकरण
5	मौका / अवसर का विश्लेषण	उपरोक्त	➢ मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण जो लोगों के जीवन एवं सम्पति के अनुसान को कम कर सके। ➢ ऊँचें प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइन्ट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व

			शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हिकरण। ➢ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हिकरण ➢ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हिकरण ➢ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हिकरण ➢ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्त्रोंत की पहचान

4.2 खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)

खतरा का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :—

क्र. सं.	सम्बन्धित आपदा	चिन्हित आपदा
1	जल एवं जलवायु संबंधित	1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति 2. तुफान 3. चक्रवात एवं हरिकेन 4. औलावृष्टि 5. बादल का फटना 6. लू एवं शीतलहर 7. बर्फबारी 8. बिजली का गिरना 9. समुद्र का कटना 10. सुखा
2	भूगर्भीय सम्बन्धित	11. भूकम्प 12. भूस्खलन 13. बंध का टूटना एवं बाध का नुकसान 14. खदान दुर्घटना
3	रासायनिक, आद्यौगिक, न्यूक्लियर संबंधी	15. रसायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना 16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूक्लियर आपदा

4	दुर्घटना सम्बन्धित	17. सडक, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना 18. खदान बाढ़ 19. बडे मकान गिरना 20. सीरियल बल बलास्ट 21. उत्सव के दौरान दुर्घटना 22. शहरी आग दुर्घटना 23. तेल बहाव 24. ग्रामीण आग दुर्घटना 25. नाव डूबना 26. जंगल की आग 27. बिजली दुर्घटना एवं आग
5	बायोलॉजिकल सम्बन्धित	28. महामारी एवं रोगो का फैलना 29. विषाक्त भोजन 30. पशु महामारी 31. किटाणु छिडकाव

4.3 रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेष रुप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संसकृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। डमेंनतमे कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थत तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर–संरचनात्मक न्यूनीकरण।

<u>स्ट्रक्चरल शमन उपाय–</u> यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की और से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्टर प्लान स्पष्ट रुप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संसोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन परिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरुरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत–नियमितिकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बढ़ने पर एक योजना बनाना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड रहे है। बिल्डिंग कोड सख्ती

से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही त्मजतवपिजजपदह भी विशेष सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं–

– मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

गैर संरचनात्मक शमन उपाय– गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रुप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

तैयारी क्रियाविधि– आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार कर के , पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। इस संबंध में क्क्ड। इस नियमित आधार पर तैयारियों के लिये उचित पद्धती सुझाएगा और जिले की विभिन्न गतिविधियों की योजना होगी।

जागरुकता कार्यक्रम– हर जगह हड़तालों, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यहां गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रृंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचाने के लिये आयेजित किया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रुप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे–

–– जनसभाएं

–– पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने

–– नुक्कड़ नाटक

–– इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी

–– ऑडियो/विडियो शो

–– बैनर और हॉल्डिंग

–– चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रुप से स्कूलों में छात्र रैलियां

–– अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण—विशेष समूहों और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है / किया जाएगा। सभी समुदाय आधारित संगठनों सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षैत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाऐगा।

अध्याय 05

राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा

राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर हैं। बार—बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड पौधे, पशुधन, पर्यावरण एवं सम्पति पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहा हैं। राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाऐं सूखा, बाढ, अग्नि, औलावृष्टि, आदि से काफी नुकसान होता रहा हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावहता, आपातकालीन स्थिति, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के परिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकसान का आंकडा दिनों दिन बढता जा रहा हैं।

सामूहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोडना अति आवश्यक हैं। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपति के नुकसान को कम किया जा सकता हैं।

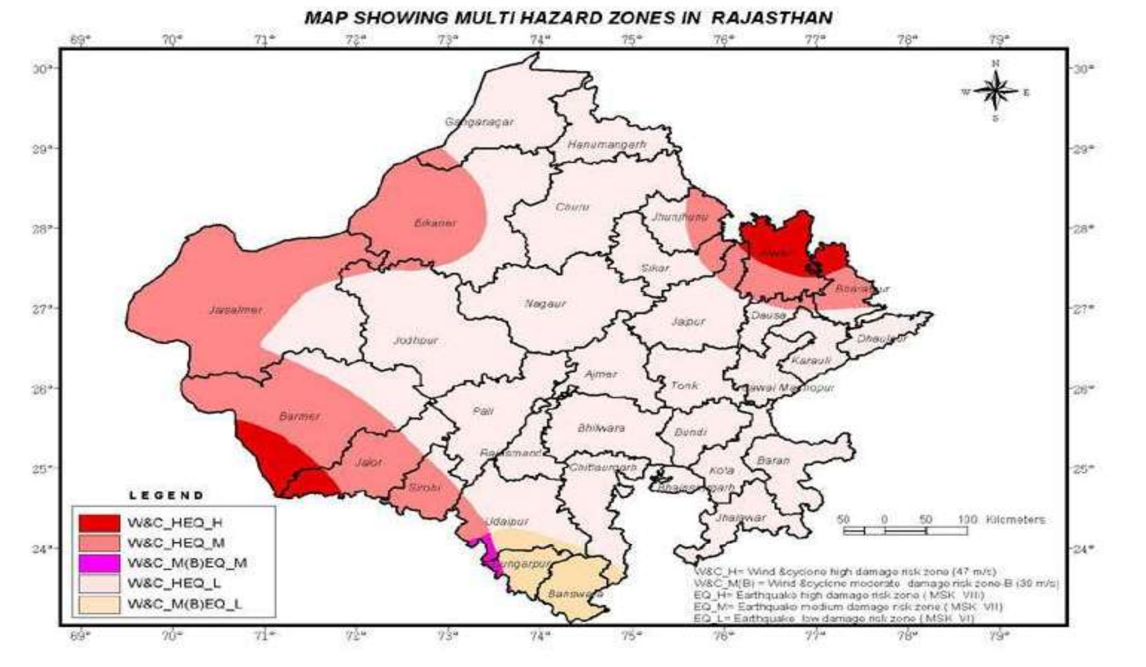

Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, UNDP has not verified the accuracy of information of the Map Sources BIS1893 (Part 1): 2002, BMTPC, India

5.1 आपदा प्रबन्धन चक्र

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य करता हैं, एवं विकास की गति को बनाये रखता हैं। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता हैं।

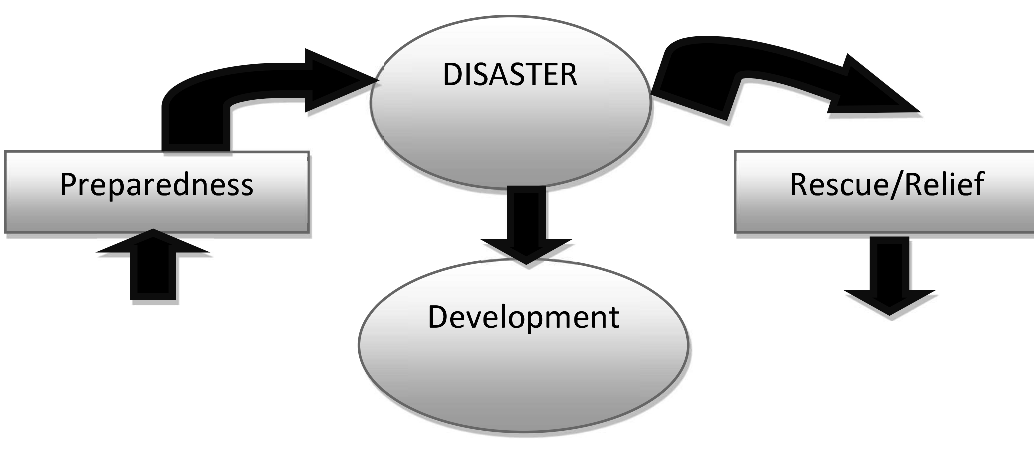

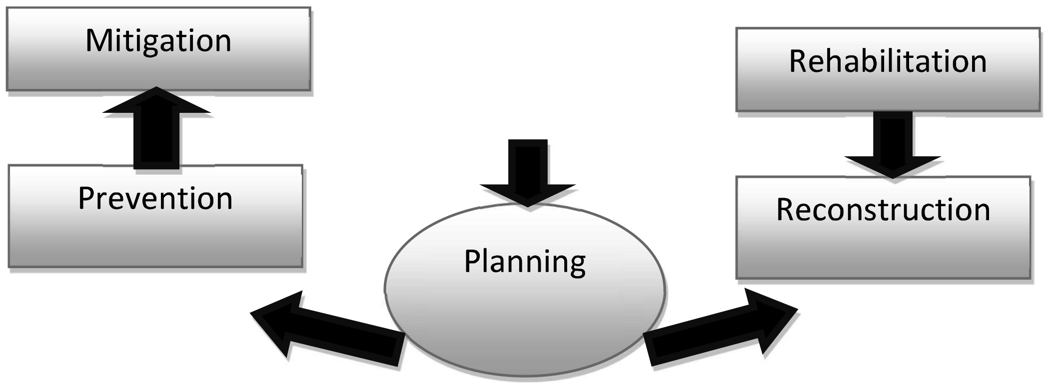

5.2 सूखा

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिमााण धीरे–धीरे एवं लम्बे समय तक रहता हैं। कम वर्षा एवं बेरूखी मौसम के स्वभाव से राजस्थान सुखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। राजस्थान का कोई न कोई जिला प्रत्येक 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 8 वर्ष में सूखा के चपेटे में रहने का इतिहास है। सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक्ष रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक संवेदनशीलता पर प्रभाव पडता है। सूखे का प्रभाव बडे क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ से अधिक होता है। सूखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सू खे का सीधा परिमाण होता है।

राज्य सूखा मॉनिटरिंग सेल, कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पुर्वाग्रह केन्द्र के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार

पानी के संसाधन की कमी, पशुधन चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड पौधों पर सूखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्य योजना बनाते हैं।

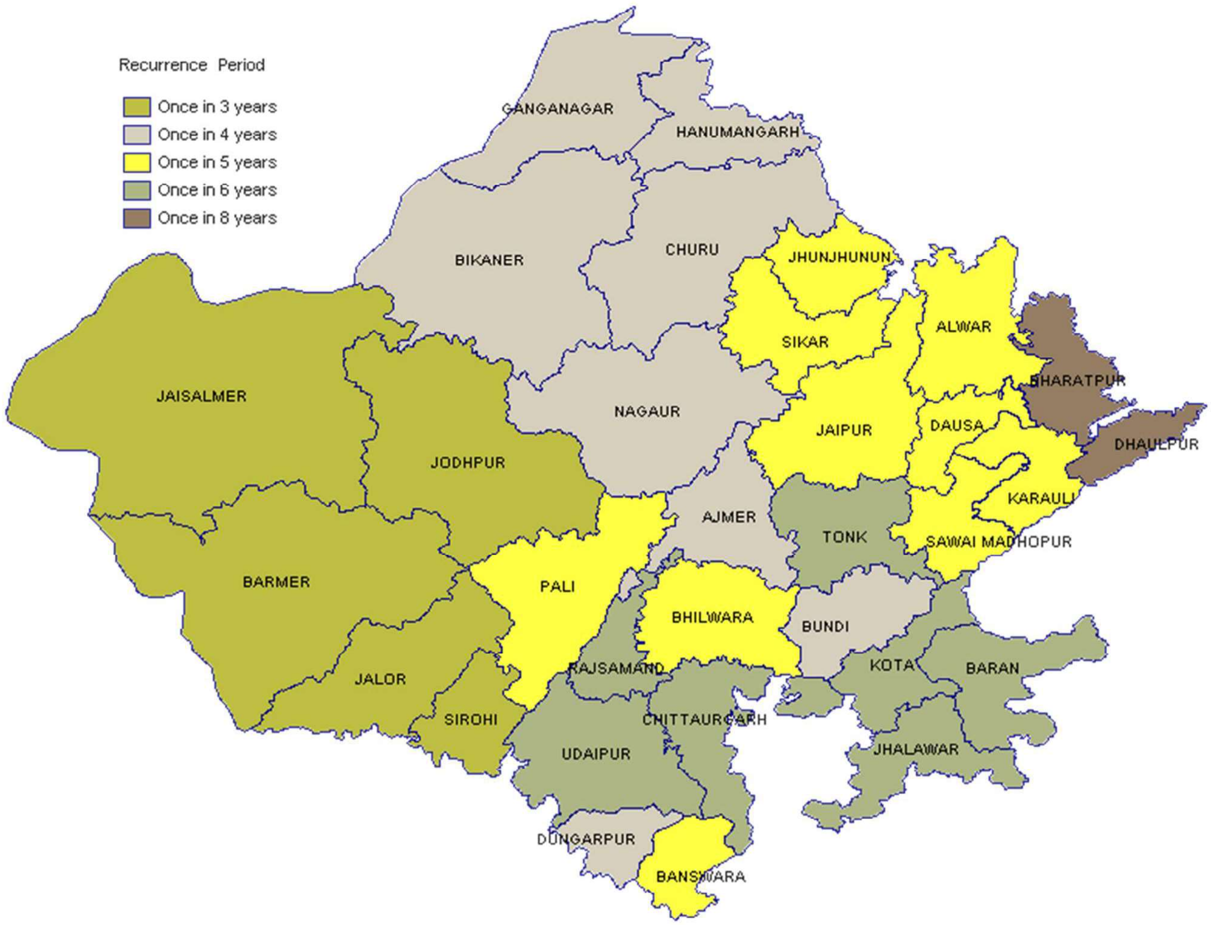

_ 5.3 बाढ़

राजस्थान का कुछ भाग बाढ से प्रभावित होता रहा है। पिछला इतिहास देखें तो राज्य का अधिकतर बाढ प्रभावित क्षेत्र लूणी एवं चम्बल नदी के आस–पास के बेसिन क्षेत्र में रहा है। राज्य में कुल 13 नदी के स्त्रोत/बेसिन है। जैसे शोखावटी, रूपरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, बनास, चम्बल, माही, साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास व सुखली। जिसमें से लूणी, बनास एवं चम्बल बेसिन सबसे बडा है, एवं कई छोटे–छोटे बेसिन में बंटा हुआ है, इन नदियों में लूणी नदी अजमेर, बाढमेर, जालौर और जोधपुर से होकर गुजरती है। इसमें सब बेसिन का स्त्रोत मूंद हमावास, सुखडी, जवाय एवं बेंदी का स्त्रोत पाली, जालौर, सिरोही है। इसी प्रकार बनास नदी का बेसिन उदयपुर एवं बूंदी में होकर जाता है, एवं इसका सबबेसिन बैराज, मोरेल, एवं मासी चितोडगढ, एवं जयपुर जिले से गुजरता है। चम्बल का स्त्रोत राज्य में सबसे अधिक है, इसके सब बेसिन काली सिंध एवं पार्वती, बूंदी, कोटा, झालावाड एवं बांरा से गुजरती है। भरतपुर जिले का अधिक भाग बाणगंगा के बेसिन

में आता है एवं घग्घर नदी गंगानगर जिले को सबसे अधिक प्रभावित करने का इतिहास रहा है।

क्षेत्र में बाढ के मुख्य कारक

1. केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
2. अचानक अधिक मात्रा में बांध एव जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोडना।
3. बडें जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
4. कम जल संग्रहण क्षमता।

शहरी बाढ़

शहरी बाढ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढती शहरी आबादी अचानक बाढ या शहरी बाढ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रूकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढना शहरी बाढ को दिनों दिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड रहा है। अचानक आई बाढ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1981 एवं 2002 में जयपुर शहर में आयी अचानक बाढ से जयपुर शहर को भारी नुकसान हुआ था।

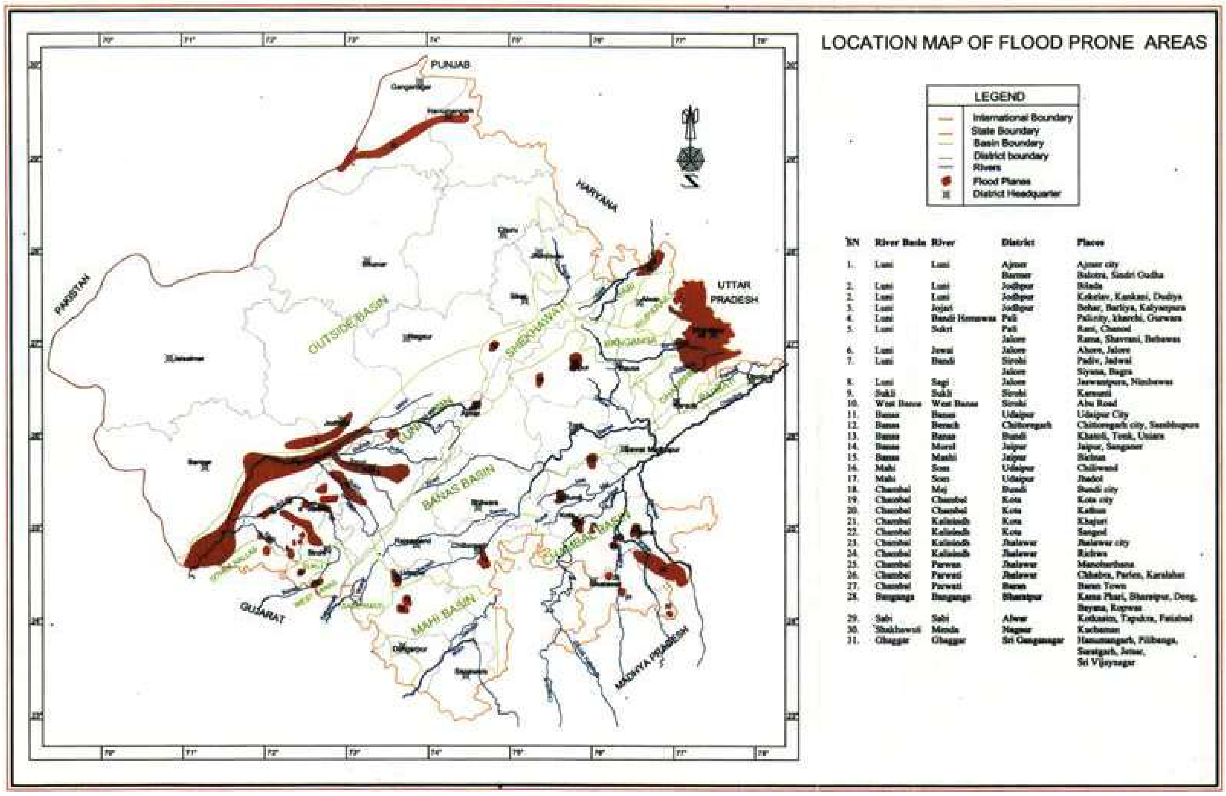

5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते है। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकडा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू– तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उदगम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं

को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी. दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड रू. की सम्पति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

1. ज्वालामुखी क्रिया
2. भ्रंशन
3. भूसंतुलन में अव्यवस्था
4. जलीय भार
5. भूपटल में संकुचन
6. गैसों का फैलाव
7. प्लेट विवर्तनिकी

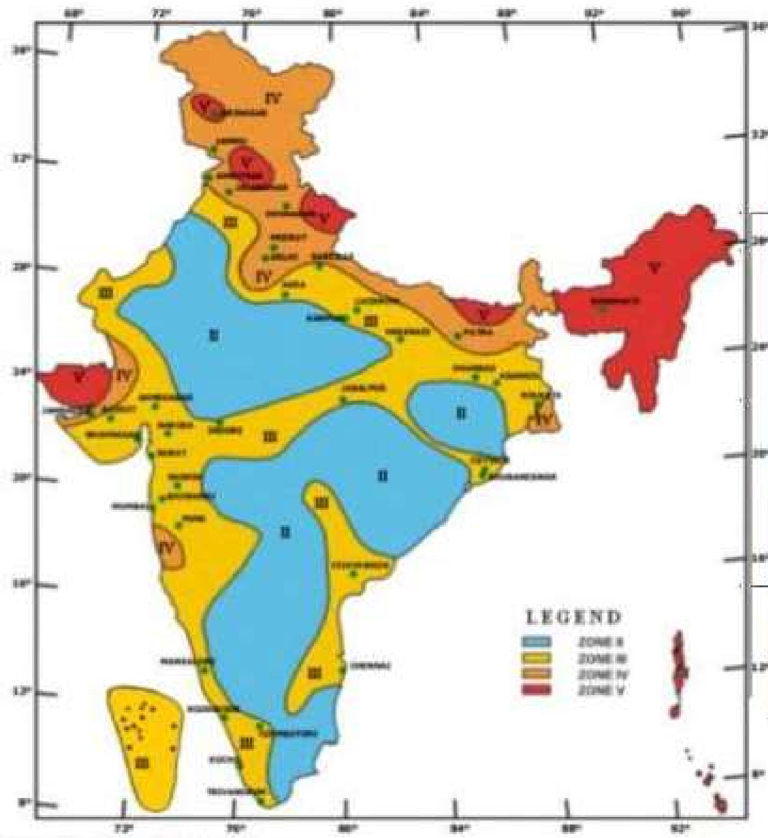

Source: IS 1893 (Part 1) : 2002 (BIS)

Zone	Magnitude
Zone V	Very High Risk Quakes of Magnitude ***8*** and greater
Zone IV	High Risk Quakes upto Magnitude ***7.9***
Zone III	Moderate Risk Quakes upto Magnitude ***6.9***
Zone II	Seismic Disturbances upto Magnitude ***4.9***

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशाधित मर्करी मापक पर 4–5 तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि 9–10 तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) क्षेत्र v – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार प्ग या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) क्षेत्र IV- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड टप्प संभावित है इसे उच्च्व नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) क्षेत्र III- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर डड टप्प की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) क्षेत्र II – क्षे़त्र में संभावित तीव्रता डड टप्प इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते है।

5) क्षेत्र। – इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर डडट या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम	संभावित प्रभावित क्षेत्र
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0	
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5	
साधारण एवं आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं। चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खडी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न	4—4.8	गंगानगर, हनुमानगढ, चुरू, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चितौडगढ, झालावाड, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धोलपुर, बांसवाडा, बीकानेर के कुछ भाग, उदयपुर, झुन्झुनू, सीकर एवं जयपुर।
अतिप्रबल	सभी लटकी वस्तुऍ हिलने लगती है। दीवारों में दरार पडकर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5—5.9	उदयपुर के कुछ भाग सिरोही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुन्झुनू सीकर के कुछ भाग, जयपुर, कोटपूतली—बहरोड एवं भरतपुर।
विनाशात्मक	ऊॅची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड जाती है।	6.2	
विनष्टकारी	मकान धंस जाते है। भूमि में दरारे पड जाती है। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2—6.9	बाडमेर के कुछ भाग(चोहटन ब्लॉक), जालौर (सांचोर ब्लॉक), अलवर(तिजारा ब्लॉक), भरतपुर (ब्लॉक नगर पहाडी)
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है	7.0—7.3	

अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान भू–स्खलन नदियों में बाढ आ जाती है।	7.4–8.1	
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते है। धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते है।		

5.5 जिला खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण

आपदा का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई–सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	उॅची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियॉ
तापघात	अप्रैल–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिलें के सभी भाग
अग्नि	मार्च–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल,

		प्रभाव, संपति का नुकसान	अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल–अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
सडक दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
औलावृष्टि	मार्च– मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

5.6 आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग

क्र.सं.	**जिम्मेदार विभाग**	**आपदा एवं खतरा**
1	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सूखा, औलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन
2	ऊर्जा विभाग	बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाऐं
3	गृह विभाग	आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगडना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सडक, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर,

		रेडियालॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाऐं।
4	जल संसाधन विभाग	बाढ, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना
5	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बडी ईमारतो का गिरना, सडक दुर्घटना।
6	खदान एवं पट्रोलियम विभाग	खदान अग्नि एवं बाढ दुर्घटना, तेल रिसाव।
7	उद्योग विभाग	रासायनिक एवं आधोगिक दुर्घटना।
8	शहरी विकास विभाग	शहरी अग्निकांड
9	राजस्व	ग्रामीण अग्निकांड एवं नावों का डूबना
10	वन विभाग	जंगल की आग।
11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन।
12	कृषि विभाग	कीटाणु नाशक का छिडकाव।
13	पशुपालन विभाग	पशुओं में महामारी।

अध्याय 06

कोटपूतली–बहरोड जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधी में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारिरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके कियान्वित की जा सके।

6.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन आपदाओं को चिन्हित किया है उन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया गया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बॉध का टूटना, खान में आग लगना।

- **रसायनिक, औधोगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सडक, एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाऍं** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 11 आपदाऐं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पांच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। छः मुख्य विपदाएं निम्न हैं–

1. सूखा
2. आग
3. सडक दुर्घटनाएं
4. साम्प्रयादिक दंगे
5. भूकम्प
6. बाढ़

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं ओलावृष्टि, खुले बोरवेल की दुर्घटनाए, औद्योगिक विपदाएं, ताप, शीतघात इत्यादि हैं।

6.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगो के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती हैं।

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पक्की हुई ईटों या बडे पत्थर के घर

(स) सुदृढ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचों के साथ

(द) हल्के, लकडी, पत्तों आदि की झोंपडियॉ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में हैं। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।

(ब) पकी हुई ईटें या बडे पत्थर के घर

जिले में पकी हुई ईटों या बडे पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना हैं।

(ग) सुदृढ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होन की सम्भावना है अर्थात भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक किया जा सकता हैं।

(द) हल्के, लकडी, पत्तों आदि की झोंपडियॉ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपडियॉ हल्के लकडी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

जिले के खतरे एवं नुकसान का विश्लेषण

खरते का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई–सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	उॅची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियॉ
तापघात	अप्रैल–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिलें के सभी भाग
अग्नि	मार्च–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपति का नुकसान	औधोगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल–अगस्त	मानव एवं पशुधन का नुकसान	जिले के सभी भाग
सडक दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
औलावृष्टि	मार्च– मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

अध्याय 07

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

7.1 जिला आपदा प्रबंधन :

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।

5. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढानें में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।
10.

7.2 संस्थागत व्यवस्था

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सुचारू योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यो का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान–माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।

7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

धारा 25 के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैंः—

क्र. सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार	सम्पर्क
1	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली—बहरोड	अध्यक्ष	01421—299177,9414648780
2	जिला प्रमुख कोटपूतली—बहरोड	सह—अध्यक्ष	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटपूतली—बहरोड	सदस्य	9999353741
4	पुलिस अधीक्षक कोटपूतली—बहरोड	सदस्य	9414000039
5	अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी कोटपूतली—बहरोड	सदस्य	9414537005
6	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन कोटपूतली—बहरोड	सदस्य	9414545917
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली—बहरोड	सदस्य	9828261988
8	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) कोटपूतली—बहरोड	सचिव	9413514599

निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे

सांसद / विधायकगण जिला कोटपूतली—बहरोड			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	**जयपुर ग्रामीण**	**जयपुर ग्रामीण**

विधायक, कोटपूतली	श्री हंसराज पटेल	**कोटपूतली**	**कोटपूतली**
विधायक, बानसुर	श्री देवी सिंह शेखावत	**बानसुर**	**बानसुर**
विधायक, विराटनगर	श्री कुलदीप धनखड़	**विराटनगर**	**विराटनगर**
विधायक, बहरोड	श्री जसंवत यादव	**बहरोड**	**बहरोड**

प्राधिकरण के अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष वं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार हैं।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकरी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में प्रतिवर्ष 15 जून से माह सितम्बर तक आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है।

जिला संकट प्रबन्धन समूह :–

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय–समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जॉच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना है। इसमें निम्न सदस्य रहेंगे :–

क्र.सं.	**पद एवं पदनाम**	**समिति**
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव

3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
5	उप नियंत्रक विस्फोटक	सदस्य
6	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
7	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
12	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
14	अध्यक्ष उद्योग संघ/ रीको	सदस्य
15	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

जिला अधिशाषी समिति (डीइसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व/सहायता होता है।

क्र. सं.	**पद एवं पदनाम**	**समिति में पद**

1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	अध्यक्ष
2	आयुक्त नगर परिषद	सदस्य
3	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	सीएमएचओ	सदस्य
5	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6	जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
7	अधिशाषी अभियंता पीएचईडी / पीडब्ल्यूडी / जल संसाधन / बिजली	सदस्य
8	सेना अधिकारी	सदस्य
9	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11	रेल्वे अधिकारी	सदस्य
12	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18	अध्यक्ष, उद्योग संघ / रीको	सदस्य
19	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमंत्रित

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, एवं तहसीलदार एवं अन्य विभाग उसे आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशु चिकित्सक, महिला बाल विकास अधिकारी इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। उपखण्ड की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विकास अधिकारी	सदस्य
4	नायब तहसीलदार/ गिरदावर	सदस्य
5	सहायक अभियंता विद्युत	सदस्य
6	सहायक अभियंता सा.नि.वि	सदस्य
7	सहायक अभियंता पीएचईडी	सदस्य
8	सहायक अभियंता खनन	सदस्य
9	चिकित्साधिकारी	सदस्य
10	कृषि अधिकारी	सदस्य
11	पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
12	ईओ नगरपालिका/आयुक्त नगरपरिषद	सदस्य
13	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	सदस्य
14	ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मनोनीत अध्यक्ष सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनबाडी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान–माल के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजाना के अनुरूप होगी जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव	सदस्य
3	ग्राम पटवारी	सदस्य
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य सचिव
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	सदस्य
7	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	सदस्य
8	एक सेवानिवृत सैनिक	सदस्य
9	एएनएम	सदस्य
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	सदस्य

11	आंगनबाडी कार्यकर्ता	सदस्य

7.3 कार्य योजना के उद्देश्य :–

सुचारू योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यो का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान–माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति– आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते है। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते है। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इसे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते है।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना।

7.4 नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में 24 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है। जिला नियंत्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं. 01421–299036 एवं टॉल फ्री 1077 है।

7.5 जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पडने पर सेना से सहायता लेना।

नगर परिषद / नगरपालिका / ग्राम पंचायत कार्ययोजना

1. जिला प्रशासन के साथ उपरोक्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में संसाधन का भण्डारण एवं आपातस्थिति में उपयोग सुनिश्चित करना होता हैं।
2. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना है।
3. आपदा के पूर्व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम साफ– सफाई, नालों का रख– रखाव, महामारी रोकने का उपाय, अग्निशमन विभाग की देखभाल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
4. आपदा के बाद मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।
5. आवश्यक बचाव उपकरणों की खरीद, संसाधन का रख– रखाव सुनिश्चित करना है।
6. सहायक अग्निशमन अधिकारी श्री सत्यनारायण (मो.8947061263) फायर स्टेशन पर निम्नलिखित उपकरण/सामग्री सदेव तैयार रखेगें। जैसे अग्निशमन वाहन फौम कैन/बीए सैट ऑक्सीजन से भरे हुये सिलेण्डर मास्क इत्यादि।
7. प्रभारी अधिकारी स्टोर शाखा/स्टोर कीपर निम्न लिखित आवश्यक सामग्री सदैव तैयार रखेगें जैसे–रस्से, आपातकालीन लाईट, बल्लिया, ट्यूब, गैंती, फावडे, पंजा, हतोडे, डी.टी.टी. पाउडर, वैल्डिंग मशीन, हाथ आरा मशीन,100 कट्टे मिट्टी से भरे हुए तैयार रखेगें एवं ड्रेगन लाईट, ट्यूब, गैस मास्क, इत्यादि।
8. प्रभारी अधिकारी गैराज शाखा नगर परिषद के वाहन जैसे– जे.सी.बी. मशीन, नैनो सीवर जैट/कॉम्पेक्टर, मैला वाहन (बडा या छोटा), टैम्पू बिना कैरियर, ऑटो टिप्पर,मड़ पम्प पानी का टैंकर इत्यादि वाहन एवं 200 लीटर डीलज व आवश्यकतानुसार ऑयल सदैव तैयार रखेगें।
9. मुख्य सफाई निरीक्षक नगर परिषद के सफाई संवेदक से उपलब्ध संसाधन जैस– जे. सी.बी. ट्रैक्टर मय ट्रोली, लोडर, डम्पर व टैम्पू इत्यादि की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
10. प्रभारी अधिकारी रोशनी शाखा विधुत सप्लाई कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सैट/जनरेटर/इन्वैट्र मय बैट्री बैकअप कि उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।
11. प्रभारी अधिकारी निर्माण शाखा नाव/तैराक की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
12. प्रभारी अधिकारी अन्नपूर्णा रसोई समस्त अन्नपूर्णा रसोईयो पर अपातकालिन समय में समस्त व्यवस्थाऐ सुनिश्चित रखेगे।

आपदाओ से निपटने के मुख्य रूप से निम्नलिखित संसाधन नगर परिषद कोटपूतली में उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	उपलब्ध संसाधन
1.	जे.सी.बी.–2
2.	मैला वाहन –2
3.	पानी का टैंकर –2
4.	अग्निशमन वाहन–2
5.	फौम– कैन
6.	ऑटो टीप्पर–14
7.	नैनो सीवर जैट–
8.	कॉम्पेक्ट–
9.	टैक्ट्र मय ट्रौली –10

संवेदक के संसाधन :–

क्र. सं.	उपलब्ध संसाधन
1.	जे.सी.बी.–2
2.	टैक्ट्र मय ट्रौली –10
3.	लोडर –01
4.	डम्पर –
5.	ऑटो टीप्पर–14

किसी भी प्रकार के आपदा आने पर प्रभारी अधिकारी नियत्रण कक्ष में सभी प्रभारी अधिकारी/सहयोगी/समस्त सफाई निरिक्षक/सैक्टर प्रभारी नियंत्रण कक्ष में तुरंन्त एकत्रित होगें एवं अपने–अपने क्षेत्र में बचाव व राहत कार्य के लिये जायेगें।

7.6 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमलें, सिविल अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल

विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
5. बाढ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्ष्ज्ञित स्थानों पर स्थानान्तरति करना।

7.7 अग्नि एवं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वऱक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है, घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकडी, कपडे, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्‌टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड देते हैं।

अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकडी एवं सडक पर चलती मोटर गाडी की चिनगारी पडने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकांड मानवजनित होते हें। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती हैं। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र –

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पैट्रोल पम्प छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएॅ –

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयॉ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम हैं।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

<u>आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां–</u>

बिजली :–

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना करें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हों।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेडखानी ना करें।

रसोई घर :–

रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए।

- गैस सिलेण्डर या नली को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नली आई.एस.आई. मार्का की ही होनी चाहिए।
- साडी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपडों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिडकीदार हों।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।

- गैस ज्यादा लीकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसाई के सारे खिडकी दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

<u>गांवों व जंगल की आग के बचाव</u>

- कभी भी चुल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीडी, सिगरेट आदि के टुकडों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मानते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीडी सिगरेट के टुकडे ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हों।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड या फूस आदि पर कांच के टुकडे आदि नही फैकने चाहिए।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चें मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

- गावों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहियें।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहां घण्टी, फावडे, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियॉ परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपडें या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाडियां आराम से चारों तरफ घूम सके।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयर केस (सीढी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना। फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट

बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाडियां भी पहुंच सकें।

- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार व जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं।

यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलक्टर/ पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका :–

जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।

- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञान करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

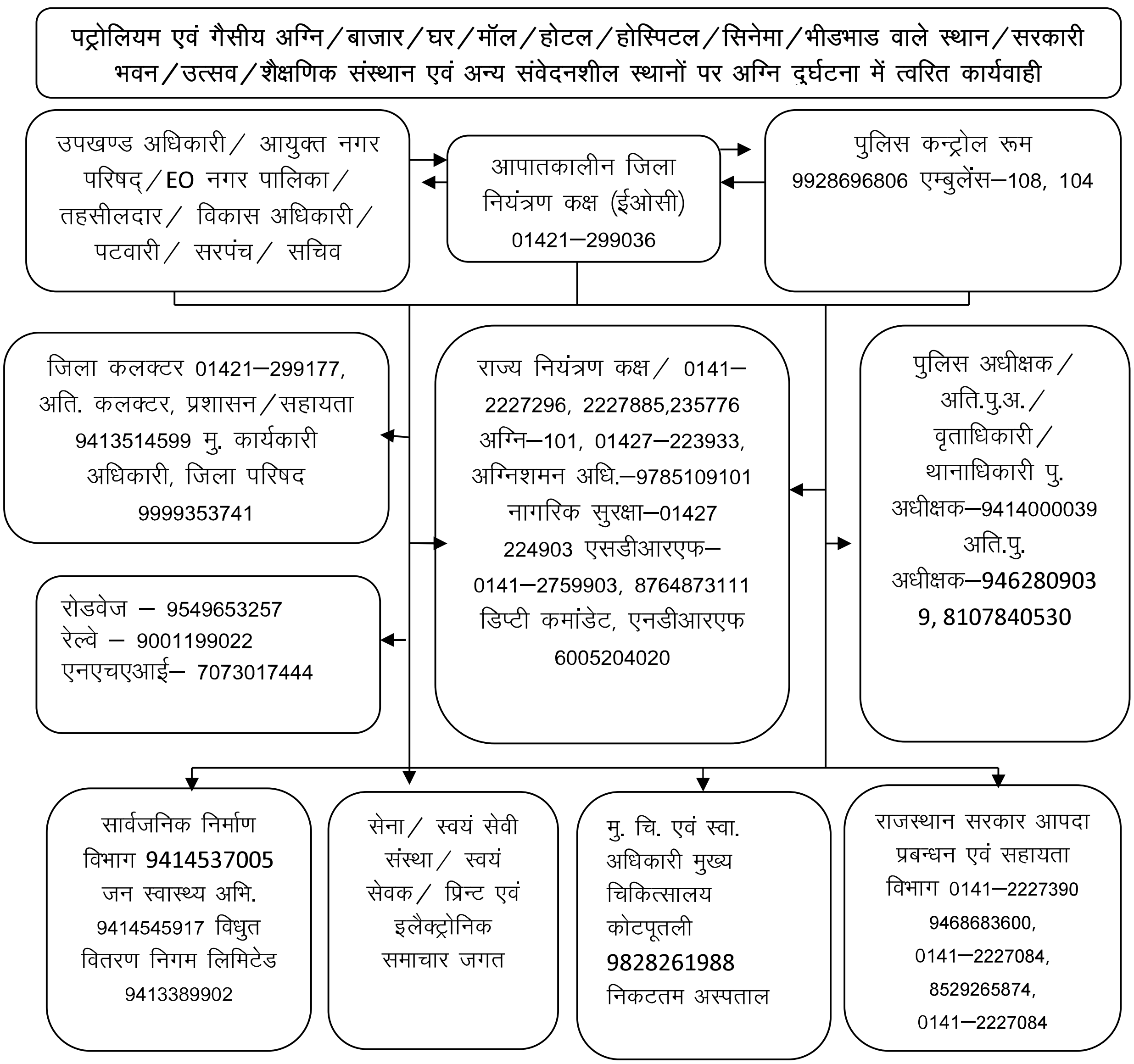

अग्निशमन केन्द्र : नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता

- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्‌टी के थेले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलबध कराना।
4. कानून व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्रॉफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्ययक सेवाओं के कार्य मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यो में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल करना।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की उचित व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की उचित देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

<u>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग</u>

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतो से जल की उचित आपूर्ति।
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रेन्टस को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरीन की व्यवस्था करावें ताकि दूषित पानी से निजात मिल सके।

<u>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी</u>

- प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडीकल स्टॉफ भिजवाना।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।

- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की उचित व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयं सेवी एजेन्सीयों से सम्पर्क करना।

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/ औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नगरपालिका/ नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकार स्थितियों की देखभाल।राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बडे प्रतिष्ठानों की सूची।

- आश्रय स्थलों की उचित सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/ दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

<u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति</u>

व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

<u>आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :–</u>

<u>क्या करें –</u>

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपडे ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोडने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

<u>क्या न करें :–</u>

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

7.8 आकशीय बिजली बचाव कार्य योजनाः–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम एप "**सचेत**" एवं प्डक द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व चेतावनी हेतु "**दामिनी**" मोबाईल एप के आमजन में प्रचार प्रसार हेतु जिले के पदाधिकारियों को समय–समय पर निर्देशित किया जाता हैं। ताकि प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व जनसाधारण को आपदा की जानकारी उपलब्ध हो सके एवं आपदा के नुकसान से बचा जा सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आकाशीय बिजली के संपर्क से बचने के लिए, कुछ सुरक्षा युक्तियाँ और शमन उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैं।

घर से बाहर रहने की स्थिति में करने योग्य उपायः–

1. कोई भी बाहरी गतिविधियाँ शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। आंधी चलने और बिजली गिरने की स्थिति में 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहें।
2. गर्जना हो तो आश्रय लें और सुरक्षित स्थान या भवन के अंदर रहें। धातु के साथ धातु संरचनाओं और निर्माणों से दूर रहें। आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और बंद खिड़कियों वाले हार्ड– टॉप वाहन शामिल हैं।
3. कृपया ऊँचे स्थानों जैसे पहाड़ियों या टीलों, या चोटियों से तुरंत उतर जाएँ।
4. खुले क्षेत्र में बिजली गिरने की स्थिति में, तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर निकलें और पास के सुरक्षित स्थान पर शरण लें। आदर्श रूप से किसी निचले इलाके में आश्रय ढूंढें और सुनिश्चित करें कि वही स्थान चुना गया है।
5. बिजली गिरने की स्थिति में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।

6. बिजली का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं जैसे टेलीफोन, बिजली, डमजंस थ्मदबमे़, ओवरहेड तार, रेल– सड़क ट्रैक, पवन चक्कियां आदि, पेड़ों और पहाड़ियों से दूर रहें।
7. यदि आप तूफान और बिजली गिरने के दौरान समूह में हैं तो जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
8. रबर– सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

क्या न करें

1. प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशी चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने या सामान्य यात्रा करने के लिए घर से बाहर न निकलें।
2. यदि आप वन क्षेत्र में हैं तो छोटे और बौने पेड़ों के नीचे आश्रय लें।
3. बिजली गिरने के दौरान बिजली या टेलीफोन के खंभों या पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।
4. धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें और बाइक, बिजली या टेलीफोन के खंभे, तार की बाड़, मशीनों आदि से दूर रहें।
5. यदि आप खुले मैदानध् आउटडोर में काम कर रहे हैं और आपके पास सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो अपने पैरों को एक साथ सटाकर रखें अर्थात एडियां एक–दूजे को स्पर्श करते हुए रखे एवं सिर को झुकाकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें और अपने हाथों को अपने कानों पर रखें, ताकि जमीन के साथ न्यूनतम संपर्क हो।
6. बिजली गिरने के दौरान कभी भी मोबाइल फोन और लोहे की छड़ वाले छाते का उपयोग न करें।

<u>घर के अंदर सुरक्षित रहने हेतु करने योग्य उपायः–</u>

हालांकि बिजली तूफान के दौरान घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों जैसे आश्रयों को सुरक्षित माना जाता है, फिर भी व्यक्ति जोखिम में हो सकता है। यहां रखने के लिए कुछ युक्तियां दी गई हैं

1. संचार के विभिन्न तरीकों से अपडेट और चेतावनी निर्देशों के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करते रहें।
2. यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें और यात्रा से बचें।
3. दरवाजों, खिड़कियों, बरामदों और कंक्रीट के फर्श, फायरप्लेस स्टोव, बाथटब या किसी अन्य विद्युत कंडक्टर से दूर रहें।
4. विद्युत आउटलेट से जुड़े विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव या अन्य चीजों को अनप्लग करें, क्योंकि मुख्य बिजली आपूर्ति के दौरान बिजली की आपूर्ति बढ़ सकती है।
5. बिजली के साथ तूफान आने पर खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और अपने घर के बाहर की वस्तुओं (जैसे फर्नीचर, डिब्बे, आदि) को सुरक्षित रखें।
6. सुनिश्चित करें कि बच्चे और पालतू जानवर अंदर ही रहें।
7. पेड़ की लकड़ी या कोई अन्य मलबा हटा दें जो उड़कर दुर्घटना का कारण बन सकता है।

क्या न करें

1. बिजली और गरज के समय, बारिश के दौरान स्नान न करें, रुके हुए या बहते पानी के साथ कोई अन्य संपर्क न रखें क्योंकि बिजली किसी इमारत के प्लम्पिंग और धातु के पाइपों से होकर गुजरती है। तार वाले फोन या किसी धातु के तार/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें।
2. कार्ड वाले फोन और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालाँकि, बिजली और तूफान के दौरान तार रहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है।
3. खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट, खुली संरचनाओं/स्थानों जैसे पोर्च, खेल के मैदान जैसे गोल्फ कोर्स, पार्क और खेल के मैदानों, तालाबों, झीलों, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से बचें।

<u>यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें:-</u>

1. बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है, तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें।
2. परिवर्तनीय मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और खेल के मैदान जैसी खुली संरचनाओं का होना सुनिश्चित करें।
3. आंधी और बिजली के दौरान गोल्फ कोर्स, पार्क, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तट जैसे खुले स्थानों से दूर रहें।
4. साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से तुरंत उतर जाएं जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं।
5. यदि नौकायन या तैराकी हो तो यथाशीघ्र उतरें और किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें।
6. तूफान खत्म होने तक मदद पहुंचने तक वाहन के अंदर ही रहें क्योंकि धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। आंधी और बिजली गिरने के दौरान खिड़कियां ऊंची रहनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली लाइनों से दूर खड़ा किया जाना चाहिए।
7. जंगली क्षेत्र से बाहर साफ जमीन की ओर जाएँ। बिजली गिरने और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की संभावना होती है।

<u>बिजली: प्राथमिक चिकित्सा उपचार</u>

1. बिजली गिरने से पीड़ित को तुरंत चिकित्सा पेशेवर के पहुंचने से पहले प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें जिससे जान बचाई जा सकती है। बिजली गिरने से पीड़ित को छूना सुरक्षित है। बिजली गिरने से प्रभावित लोगों के पास कोई विधुत चार्ज नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है।
2. पीड़ित की जाँच करें कि वह साँस ले रहा है और दिल की धड़कन चल रही है। नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैरोटिड धमनी है जो गर्दन पर सीधे जबड़े के नीचे पाई जाती है।
3. यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत मुंह से मुंह में सांस देकर पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित की नाड़ी नहीं चल रही है, तो कार्डियक कंप्रेशन के साथ–साथ सीपीआर भी शुरू करें।

4. बिजली गिरने से बचे व्यक्ति की दृष्टि और श्रवण हानि और टूटी हुई हड्डियों की जाँच करें जो पक्षाघात या प्रमुख रक्तस्राव जटिलताओं का कारण बन सकती हैं।
5. पीड़ित और बचावकर्ता दोनों के लिए बिजली के निरंतर खतरे के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, यदि जिस क्षेत्र में पीड़ित स्थित है वह उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करें।
6. बिजली गिरने का शिकार व्यक्ति अलग– अलग डिग्री की जलन, सदमा और कभी– कभी कुंद आघात से पीड़ित हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो चोट की जाँच करें और व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएँ।
7. हेल्पलाइन नंबर 112ध्1078 पर कॉल करें और सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए सही दिशा– निर्देश प्राप्त करें और पीड़ित की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं।

7.9 नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमला के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त आगरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य ''हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवकृत'' आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न शिक्षण संस्थानों, होटलों, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती हैः–

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यो को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।

- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना। आश्रय स्थलों पर भोजन /पानी कपडें इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले में क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगो को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

7.10 राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 01 टुकडी मय उपकरणों के साथ नारोली किशनगढ, जिला अजमेर में उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमान्डेंट, श्री योगेश मीना मो. न. 6005204020 है, से सहायता ली जा सकती है।

बम विस्फोट/ आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना हैं।

यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां लोग एक साथ इकट्ठे होते है। मंदिर, मस्जिद, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर है।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :–

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती है।

2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगोंकी मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादियों को पकडने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
7. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

8.

बम विस्फोट के समय त्वरित कार्यवाही

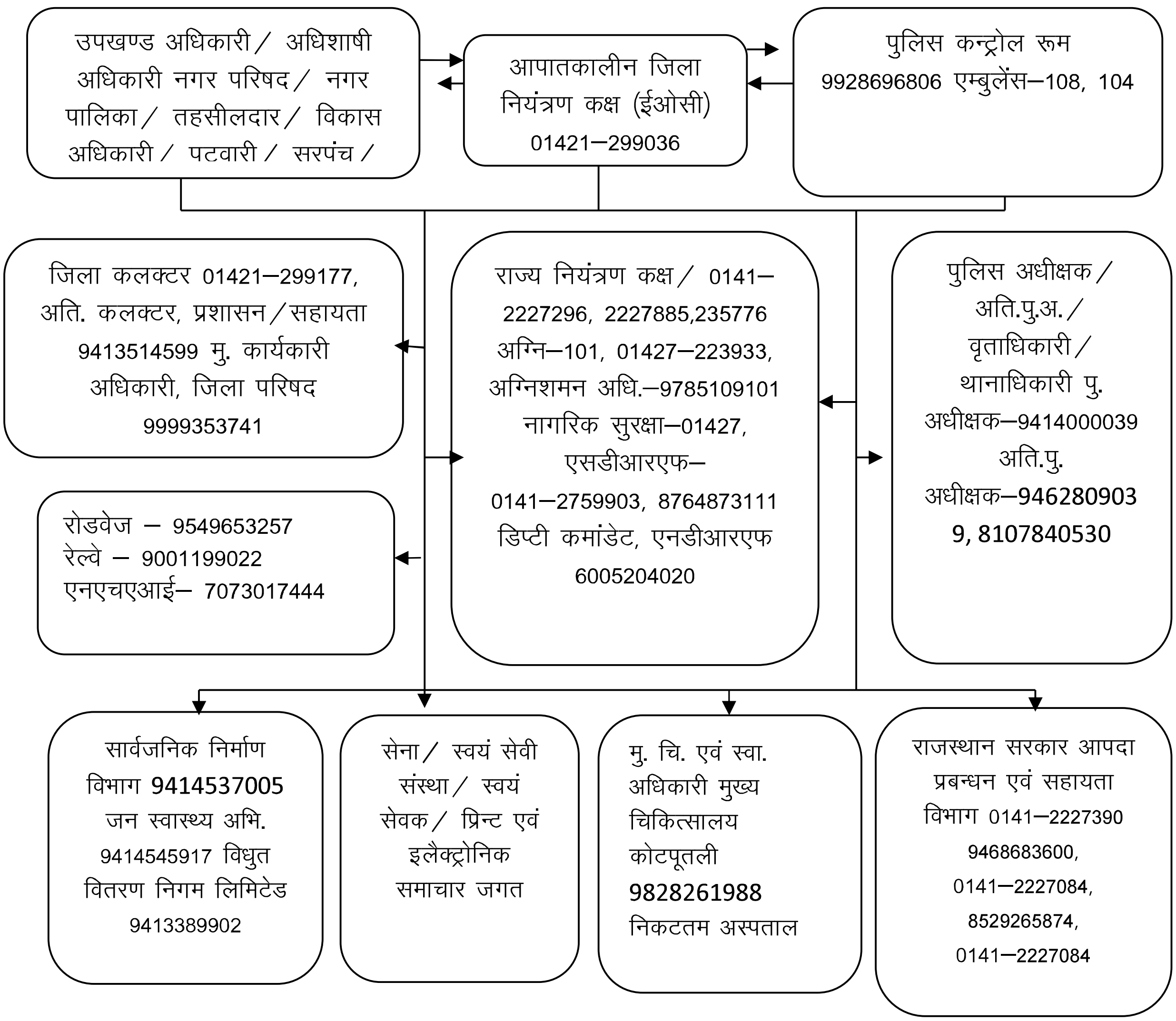

7.11 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना :–

जिले में आपदा प्रबन्धन की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए तेज अधंड तूफान, तीव्र गर्जन एवं बिजली गिरना, जलभराव / बाढ, दूषित जल एवं मच्छर, मक्खियों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे आन्त्रशोध, हेजा, पीलिया, टायफाइड, उल्टी–दस्त

एवं अनायास आपदा रोकथाम हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये समयबद्ध कार्य संपादन हेतु निम्न कार्य–योजना तैयार की गई है।

1. <u>**कंट्रोल रूम व्यवस्था :–**</u> जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें चिकित्सा दल 24 घण्टे तैनात रहेगा। जिसके दूरभाष नं. 9680412396 है। सभी चिकित्सा संस्थानो पर आरआरटी गठित है। जो आपदा/अतिवृष्टि/जलभराव एवं बाढ/ मौसमी बीमारियो की सूचना प्राप्त होने पऱ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर बीमारी से बचाव व उपचार की कार्यवाही करेगी।
2. <u>**प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा :–**</u> सामान्य तौर पर किसी भी आपदा के कारण कुछ ग्राम व ढाणियॉ सडक के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बिल्कुल अलग–अलग हो जाती है एवं आसपास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर भी प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों में पृथक से मोबाईल चिकित्सा टीम को अस्थाई तौर पर लगायी जायेगी। मोबाईल चिकित्सा टीम को जीवन रक्षक दवाईयां, ब्लींचिग पाउडर, ओआरएस पैकेट, एम.एल. ओ., टेमीफॉस, पायरेथ्रेम आदि उपलब्धत करवाया जावेगा।
3. <u>**पेयजल शुद्धिकरण :–**</u> अनायास विपदा के कारण सामान्य तौर पर सभी पेयजल स्त्रोतों का दूषित होना स्वाभाविक है, इसलिये पेयजल स्त्रोतों का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है, जहॉ–जहॉ पेयजल स्त्रोतों में पानी भरा है, उसे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नियमित शुद्धिकरण किया जावेगा।
4. <u>**बीमारियों की रोकथाम एवं उपचारः–**</u> ऐसे ग्राम व ढ़ाणियॉ जिनमें यकायक उल्टी –दस्त, पीलिया, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर आदि का प्रकोप/आपदा होने पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा। वहॉ संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीएचसी/सीएचसी के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही अपितु जिला स्तर से भी अविलम्ब चिकित्सा दल को भिजवाया जावेगा।
5. **सतर्कताः–** समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) कोटपूतली–बहरोड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड जिले में किसी भी प्रकार की अनायास विपदाओं बाबत पूर्णरूप से

सर्तक रहेगें। इनका विशेष प्रयास रहेगा कि संबंधित विकास अधिकारियों एव उपखण्ड अधिकारियों से निरन्तर संपर्क बनाये रखें।

6. **सूचना एवं संचार व्यवस्था :–** साधारणतया विभिन्न विपदाओं के बाबत तत्काल सूचना दिये जाने के लिए अलग–अलग समय–समय पर पुरजोर दिशा निर्देश दिये जाते रहेगें और जिसके लिए सम्पर्क सूत्र बनाये रखने के लिए सभी स्तरों पर दूरभाष सुविधायें उपलब्ध हैं, मगर फिर भी आवश्यकता पडने पर समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधिक्षक को आग्रह करते हुए वायरलैस सुविधाओं का उपयोग किया जावेगां किसी भी क्षेत्र में आपदा के प्रकोप होने पर तथा तत्काल नियन्त्रण कार्य किये जाने के बाबत समय–समय पर निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनसमुदाय को वास्तविकता से अवगत कराया जाना विभाग के हित में होगा।
7. **एन्टीलार्वा उपाय :–** अस्वच्छ एवं रूके पानी के भराव वाले स्थानों पर एन्टीलार्वा उपाय जैसे गंबूसिया मछली, एमएलओ, टेमीफोस का उपयोग किया जावेगा। साथ ही मलेरिया रोधी दवाओ की समुचित भण्डारण किया जाकर दवा वितरण केन्दों पर उपलब्ध कराई जावेगी।

चिकित्सा विभाग स्तर के अधिकारियों के नाम व मोबाईल नम्बर निम्नानुसार हैंः–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	मोबाईल न०	व्हाटसऐप न०
1.	DR. ASHISH SINGH SHEKHAWAT	CMHO KOT-BEHROR	CMHO OFFICE KOT-BEHROR	9828261988	9828261988
2.	DR. PRAMOD SINGH BHADORIYA	DY.CMHO (H)	CMHO OFFICE KOT-BEHROR	8619043649	8619043649
3.	DR.JAIBHAGWAN YADAV	DY.CMHO (FW)	CMHO FW OFFICE KOT-BEHROR	8094265634	8094265634
4.	DR. ARVIND AGARWAL	RCHO KOT-BEHROR	RCHO OFFICE KOT-BEHROR	9414924745	9414924745

5.	DR SURESH CHAND YADAV	PMO	DH BEHROR	9414200744	9414200744
6.	DR CHETAN RAWAT	PMO	DH KOTPUTLI	9414083793	9414083793
7.	DR. RAJESH KUMAR YADAV	PMO	SDH BANSUR	9269711092	9269711092
8.	DR. RAVI KUMAR BANSAL	PMO	SDH PAOTA	7737895567	7737895567

जिला स्तरीय आरआरटी टीम निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का एवं आर.आर. टी का नाम	चिकित्सा दल सदस्यों का नाम	पदनाम / पदस्थापन	सम्पर्क नम्बर
1.	जिला स्तरीय आर. आर.टी. कोटपूतली–बहरोड़	डॉ० प्रमोद सिंह भदौरिया	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०), सीएमएचओ कार्यालय कोटपूतली–बहरोड	8619043649
		डॉ० दिलीप पंवार	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सरदार जनाना अस्पताल, कोटपूतली	8619181338
		श्री जितेन्द्र सिंह खरेरा	एलटी, राजकीय सरदार जनाना अस्पताल, कोटपूतली	8696138984
		श्री राजेश कुमार हरिजन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सीएमएचओ कार्यालय कोटपूतली–बहरोड	9602107135
2.	जिला कंट्रोल रूम	श्री ख्याली राम यादव	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	9771009606
		श्री बनवारी लाल यादव	एमपीडब्लयू	9509955246
		श्री महेन्द्र शर्मा	एमपीडब्लयू	9785113774

जिले में चिकित्सा संस्थानों की स्थिति निम्नानुसार है जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही हैः–

- ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी :– 06
- जिला चिकित्सालय :– 02
- उपजिला चिकित्सालय :– 02
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :– 20

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :– 59
    - उपस्वास्थ्य केन्द्र :– 291
    - शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :– 01
    - जनता क्लिनिक :– 04
    - 108 एम्बुलेंस :– 17
    - 104 एम्बुलेंस :– 13
    - 108 बाइक एम्बुलेंस :– 02
    - एएलएस :– 03

पशुपालन विभाग कार्ययोजना

- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।
- आपदा स्थल पर पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेट्नरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

7.12 जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

बाढ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्य योजना का प्रारूप :–

कोटपुतली बहरोड जिले में वर्षाकाल में जल संसाधन विभाग से सम्बधित अन्य सूचनाएँ –

- कोटपुतली बहरोड जिले में जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में स्थित बांधो की सूची, लोकेशन एवं क्षमता अवलोकनार्थ संलग्न है। (Annexure -1)
- पंचायती राज विभाग से इस वर्ष हस्तानान्तरित बांधो की सूची, बांधो के भराव क्षमता एवं अन्य विवरण।(Annexure -2)

- अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण बाढ के डूब क्षेत्र एवं डाउन स्ट्रीम में आने वाले गांवो की सूची संलग्न है। (Annexure -3)
- जिले में आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर जन–धन के बचाव हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार सम्बन्धित कार्य जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाता है। विभाग के जिले में प्रगतिरत कार्य वर्तमान में सुरक्षित स्तर पर है तथा सभी बांधो पर चैतावनी बोर्ड लगवा दिये गये है एवं सम्बन्धित प्रभारी अभियंतओं के नाम मय मोबाईल नम्बर की सूची संलग्न है।(Annexure -4)
- जिले में स्थित विभागीय बांधो/नहरो के गेटों की ऑयलिंग व ग्रीसिंग का कार्य मानसून पूर्व पूर्ण करा दिया जायेगा।
- जिले में स्थित बांध एवं फलड कंट्रोल रूम पर खाली कट्टे, ट्यूब, टायर, रस्सा, सुरक्षा सम्बन्धित उपकरण एवं अन्य सामग्री का विवरण की सूची संलग्न है। (Annexure -5)
- जिले मे स्थित सभी विभागीय बांधो पर आवश्यकतानुसार 200 से 500 तक खाली सीमेंट के कट्टे मिट्टी से भरवाये जाकर मानसून पूर्व सुरक्षा हेतु रखवा दिये जायेगें। उपखण्ड मुख्यालयों पर 5000 खाली सीमेंट के कट्टे भी मानसून सत्र में उपलब्ध रहते है।
- जिले में विभाग के प्रत्येक बांध पर नागरिकों की सुरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड लगवा दिये गये है।
- जिले में स्थित वर्षामापी स्टेशनों (रैनगैज स्टेशनों) की सूची संलग्न है। (Annexure -6)
- जिले में आवश्यकता पडने पर जेसीबी/एक्सेकेवटर/ट्रेक्टर/श्रमिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराने का कार्य प्रगतिरत है।

ANNEXURE-1

जल संसाधन खण्ड जयपुर (जिला –कोटपुतली बहरोड) के अधीन बांधों की सूची :–

क्र. सं.	नाम बांध	तहसील	कुल गेज (मीटर. में)	कुल क्षमता (एम.क्यू.एम. में)
1.	छितौली	विराटनगर	**6.86**	**24.301**
2.	धुलकोट	विराटनगर	**3.45**	**1.019**
3.	बुचारा	कोटपुतली	**10.44**	**16.367**
4.	बनेडी	कोटपुतली	**5.13**	**4.984**
5.	पंचपहाडी	पावटा	**3.04**	**1.28**

ANNEXURE-3

पंचायतीराज विभाग से इस वर्ष हस्तांतरित बांधों का विवरण

Ø-la-	**cka/kks dk uke**	**rglhy**	**xst ¼ehVj½**	**iw.kZ Hkjko {kerk ¼Mcum½**	**flafpr {ks= ¼lhlh,&gSDVs;j esa½**
1.	रामपुरा	विराटनगर	3.65	0.3126	259.10
2.	सिक्कावाली	विराटनगर	-	-	170.70
3.	भाभरू/बहडोदा	विराटनगर	4.2672	2.516	89.47
4.	बैराठ	विराटनगर	4.572	1.1326	20
5.	पण्दो	विराटनगर	4.267	0.3347	110.10
6.	जग्गा जी	विराटनगर	1.828	0.233	17
7.	टंकू	विराटनगर	2.134	0.656	120
8.	बागावास	विराटनगर	3.352	0.1699	132
9.	नीमली	विराटनगर	3.9624	0.3012	-
10.	बैरी	पावटा	7.31	0.897	-
11.	पांचूडोला	पावटा	5.48	0.6592	58.70
12.	दांतिल का नाका	पावटा	3.44	0.8495	49

ANNEXURE-3

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर
बांधो के टूटने पर बाढ से प्रभावित होने वाले गांवो की सूची

क्र. स.	बांध का नाम	तहसील	श्रेणी	गेज (मीटर में)	भराव क्षमता (एम. क्यू.एम में)	सी.सी. ए. (हैक्टर)	बांध के टूटने पर बाढ से प्रभावित होने वाले गांवो की सूची	Over Flow की स्थिति में प्रभावित होने वाले गांवो की सूची	विशेष विवरण
1	बुचारा बांध	कोटपूतली	मध्यम	10.44	16.367	2640	रामपुरा, भूरी बडाज, सुजात नगर, प्रागपुरा, कांसली, नारहेडा, पनिहाला, केसवानाराजपूत कोटपुतली के बाहरी क्षेत्र कुंजोता, पावटा, भैंसलाना	फैक्ट्री एरिया केसवाना राजपूत	विगत 24 वर्षो में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।

2	बनेडी	कोटपूतली	लघु	5.13	4.984	1344	रामपुरा, बुढी बडाज, सुजान नगर, प्रयागपुरा, नारेडा, पनीहाला, केसवाना राजपूत कोटपूतली के बाहरी हिस्सा, कुजोता, पावटा, भैसलाना, बाकली, आसपुर	फैक्ट्री एरिया केसवाना राजपूत	विगत 24 वर्षो में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
3	छितौली	विराटनगर	लघु	6.86	24.301	1660	छितौली सूरजमल की ढाणी, किशनपुरा, जोधपुरा, कौटपूतली धूलकोट	सुरज मल की ढाणी	विगत 24वर्षो में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
4	धुलकोट	विराटनगर	लघु	3.45	1.019	197	सुरजमल की ढाणी, धूलकोट किसनपुरा, जोधपुरा, कोटपूतली	धूलकोट, किसनपुरा	विगत 24 वर्षो में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
5.	पंचपहाडी	पावटा	लघु	3.04	1.28	208.38	हापोडा, कारोली, बडा गांव	हापोडा, कारोली, बडा गांव	विगत 15 वर्षो में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।

ANNEXURE-3

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन ,जयपुर

मानसून 2025

श्री अनिल थालोर
अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन खण्ड जयपुर
मुख्यालय जयपुर

फोन नं. 2203696 (मोबाईल नं. 9910980129)

श्री शैलेन्द्र गढवाल	श्रीमति कुसुम चौधरी	श्री बद्रीनारायण चोपड़ा
सहायक अभियंता	क0अभि0	क0अभि0
जल संसाधन	अनु0 पावटा/कोटपुतली	अनु0 विराटनगर
उपखण्ड, शाहपुरा	9461500964	**8824950445**
9967309819		

ANNEXURE-4 (i)

खण्डीय भण्डार (जयपुर) में सामान की सूची जो उपलब्ध रहेगी।

क्र.सं.	सामान का नाम	मात्रा
1	खाली सीमेन्ट के कट्टे	5000
2	लाईफ जैकेट	10
3	रेनकोट	05
4	टार्च 3 सेल	05
5	पावडा	20
6	गेती	20
7	पेट्रोमैक्स	03
8	तगारी प्लास्टिक	20
9	मूंज नारियल	50 किलों ग्राम
10	मोटा रस्सा	150 फुट

11	ट्यूब	10

ANNEXURE-4(ii)

जल संसाधन उपखण्ड शाहपुरा में उपलब्ध सामग्री का विवरण

जल संसाधन उपखण्ड शाहपुरा

अनुभाग शाहपुरा/विराट नगर/कोटपूतली

1	गैती	10
2	बल्ली	10
3	मूंजवान	25 किलो ग्राम
4	खाली कट्टे	5000
5	फावडे	10
6	तगारी	10

ANNEXURE-5

कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित रैनगैज स्टेशनों की सूची

जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित – 2

क्र. सं.	रैनगैज स्टेशन	तहसील	जिला	अक्षांतर	देशांतर

1	टसकोला	पावटा	कोटपुतली बहरोड	27°35'34.37"	76°01'27.11"
2	चैचाला	विराटनगर	कोटपुतली बहरोड	27°19'6.0"	76°03'36"

राजस्व विभाग द्वारा संचालित – 3

क्र. सं.	रैनगैज स्टेशन	तहसील	जिला	अक्षांतर	देशांतर
1.	बैराठ (विराट नगर)	विराटनगर	कोटपुतली बहरोड	27°25'53.3"	76°09'48.8"
2	पावटा	पावटा	कोटपुतली बहरोड	27°35'11.61"	76°04'11.39"
3	कोटपुतली	कोटपुतली	कोटपुतली बहरोड	27°42'11"	76°12'0.18"

(2) सिंचाई विभाग के कार्यो के रख रखाव एवं निगरानी के संबंध में :

वर्षा के आरम्भ की तिथि 15 जून मानकर जल संसाधन विभाग के सभी बांधो की आवश्यक मरम्मत की जाती है तथा सभी गेटों की आइलिंग–ग्रीसिंग व गेज पेन्टिग कर दी गई है, इसके अतिरिक्त सभी बांध पर निगरानी रखने हेतु अस्थाई चौकीदार लगाये जाते है। अधिकांश बांध अत्यधिक पुराने है व रख–रखाव मद में उचित बजट आवंटन होने की स्थिति में बांधो की मरम्मत हेतु अति आवश्यक कार्य सम्पादित कराये गये है व सामान्य परिरिथतियो में बांध सुरक्षित है । सभी बांध में मिट्टी कच्ची होने के कारण वर्षाकाल में इनकी निरन्तर देखरेख व निगरानी की आवश्यकता होती है। विभागीय श्रमिक उचित मात्रा में उपलब्ध नही होने के कारण कुछ श्रमिको की आपूर्ति निविदा के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर की जावेगी, किन्तु बांधो की निरन्तर निगरानी हेतु श्रमिक अपर्याप्त है । किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना

तुरन्त नजदीकी फ्लड कन्ट्रोल रूम को दे दी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवश्यकता पडने पर जिला प्रशासन द्वारा सहयोग लिया जावेगा।

वर्षा काल में संभावित समस्याऐं व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. शहरी क्षेत्रों मे अनेक बार जल निकासी का मार्ग अवरूद्व हो जाता है अथवा जल निकासी हेतु निर्मित नाले आदि उचित सफाई नही होने के कारण शहरी क्षेत्रों में जल भराव होता है।

   अनेक बार संग्रहित जल किसी नये रास्ते से बहने लगता है, जिससे जन–धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/नगर पालिका/नगर विकास न्यास आदि अपने स्तर पर भी पृथक से फ्लड कन्टीजैन्सी प्लान तैयार करें व वर्षाकाल में जल निकासी हेतु मार्ग को पूर्व मे ही सुनिश्चित कर लेवे।
2. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के अधीन बांधो की भी उचित देख रेख व स्लुस गेटो की ऑईलिंग, ग्रीसिंग वर्षाकाल से पूर्व सुनिश्चित कर ले व वर्षाकाल मे बांधों की सघन निगरानी सुनिश्चित की जावे। बांधो मे पानी की आवश्यकता को जिला परिषद के स्तर पर दैनिक सूचना प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
3. मिट्टी के कच्चे बांधो में पाईपिंग अति महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका अविलम्ब पता लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि पाईपिंग बन्द करने हेतु मरम्मत कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जा सके एवं किसी ब्रीच की स्थिति को उत्पन्न होने पर रोका जा सके। इस बाबत स्थानीय ग्रामवासियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, चुंकि यदि पाईपिंग को समय रहते दृष्टिगत कर लिया जावे व इसका उपचार किया जावे तो किसी सम्भावित हानि से बचा जा सकता है। इस विभाग के सभी तकनीकी अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र मे स्थित जल संसाधन विभाग के बांधो का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगे।
4. वर्षाकाल में अनेक बार छोटे क्षेत्रों मे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां पानी की निकासी हेतु मार्ग नही होता है ऐसी स्थिति मे जल निकासी हेतु मोटर पम्प लगाया जाना ही एक मात्र विकल्प है इस बाबत पम्पों की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस संबंध में समस्त ग्राम पंचायतो द्वारा न्यूनतम दो पम्प मय सैक्शन पाईप व डिलिवरी के चिन्हित किये जाने उचित होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ट्रेक्टर ट्रोलियों का भी चिन्हिकरण किया जान उचित होगा जिन्हे बाढ की स्थिति मे प्रयोग मे लिया जा सके।
5. निरीक्षण वाहन की आवश्यकताः– वर्तमान मे इस विभाग के अधीन कोई राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है । अतिवृष्टि व बाढ की स्थिति में मोबीलिटी अतिमहत्वपूर्ण होती है व

तत्परता मे की गई कार्यवाही से जन–धन की हानि को कम किया जा सकता है। अतः जिला पूल से वर्षाकाल में 2 जीप इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है

कोटपूतली–बहरोड जिले के जन प्रतिनिधिगण

सांसद/विधायकगण जिला कोटपूतली–बहरोड			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	**जयपुर ग्रामीण**	**जयपुर ग्रामीण**
विधायक, कोटपूतली	श्री हंसराज पटेल	**कोटपूतली**	**कोटपूतली**
विधायक, बानसुर	श्री देवी सिंह शेखावत	**बानसुर**	**बानसुर**
विधायक, विराटनगर	श्री कुलदीप धनखड़	**विराटनगर**	**विराटनगर**
विधायक, बहरोड	श्री जसंवत यादव	**बहरोड**	**बहरोड**

संसद सदस्य

सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	**जयपुर ग्रामीण**	**जयपुर ग्रामीण**

पंचायत समिति प्रधान

बानसूर	श्रीमती सुमन देवी	9214565620	
बहरोड	श्रीमती सरोज देवी	9414014700	
नीमराना	श्रीमती संतोष देवी	992964242	
कोटपूतली	श्रीमती नेहा	9001688844	
पावटा	श्रीमती मीरा कुमारी सैनी	7791800011	
विराटनगर	श्रीमती बूंदी देवी	9929615378	

7.13 बोरवेल की दुर्घटना

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदे जाते है। बोरवेल के निर्माण के समय या बोलवेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढती जा रही है। हाल ही में विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

दुर्घटना से बचाव हेतु :–

- जन जागरूकता हेतु प्रचार– प्रसार जिसमें यह संदेश हो कि बोरवेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोरवेल को खुला नहीं रखे। बोरवेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लोग बोरवेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोरवेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये है के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है :–
    1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
    2. सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
    3. सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
    4. सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
    5. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
    6. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
    7. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू– गर्भ शास्त्री।

8. भू– जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
9. बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
10. भू– सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
12. उप– नियंत्रक नागरिक सुरक्षा।

दुर्घटना होने पर :–

- सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण वं दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोरवेल में क्लोज सर्किट केमरा या इंफ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनेटिरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोरवेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति0 जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।

अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपरोक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आंकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।

खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा निर्देश।

राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाऐं हो चुकी है एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गंवानी पडी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पडा है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 9.2.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवेल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में

बोरवेल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना छोडे जाने पर बोरवेल ड्रिल करने वाली कम्पनी / मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36 / 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.2.2010 द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12(6) जीडब्लूडी/09 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवेलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी / मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति न हो ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

7.14 सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्य योजना

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को डयूटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे व आवश्यक तकनीकी सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाडियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों (भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सडक मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू ढंग से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यो के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यो के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना ।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना आदि कार्य हेतु दक्ष तथा प्रशिक्षित इंजिनियर उपलब्ध किये जा सकते है।
- घटना स्थल से मलबा हटाने आदि उठाने के लिए गाडियों का तुरन्त इन्तजाम आपदा के दौरान टूटे सडक मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना या वैकल्पिक मार्ग तैयार करना ताकि राहत कार्य सुचारू ढंग से हो सके इस हेतु विभाग के अधीन संवेदकों या अन्य से संपर्क कर मशीनरी व अन्य साधन (क्रेन/जेसीबी) आदि की व्यवस्था की जाती है।

- साथ ही अस्थायी राहत कैम्प का निर्माण किया जाता है।
- अतिवृष्टि की संभावना के समय सैंड बैग की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहती है।

7.15 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. वृत कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फिल्ड अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित है।
2. बाढ, तूफान, भूकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहां नियमित रूप स`जल स्त्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
3. पानी की पाईप लाईनों की देख भाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसे ततपरता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
4. विभाग के समस्त उच्च जलाश्यों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाश्यों पर सीढियों पर गेट बनवाने का प्रावधान लिया जा रहा है।
5. सभी उच्च जलाश्यों / पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6. गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना। टैंकरो की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।

7. अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेन्टों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
8. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

7.16 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजलीकी सप्लाई आपदा स्थल तक पहुंचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पडे ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

7.17 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
- घायलों को चिकित्सा शिविरों तक पहुंचाना।
- सहायता सामग्री को राहत शिविरों तक पहुंचाना।

7.18 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व कैरोसीन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे मदद के लिये सूचना देना।

7.19 सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

पदाधिकारी	चिकित्सा समिति (मौसमी बीमारियां एवं राहत कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था हेतु पृथृक–पृथक समितियां हैं, किन्तु सदस्यगण समान हैं)	राहत कार्य व नियोजन समिति	चारा व्यवस्था समिति	गेंहु के सुरक्षित भण्डारण एवं समुचित आवन्टन समिति (तहसील स्तर पर)
अध्यक्ष	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटपूतली–बहरोड	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	उपखण्ड अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अति. मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद	उप निदेशक, कृषि (विस्तार)	विकास अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अधि. अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मण्डल वन अधिकारी	बाल विकास अधिकारी
सदस्य	उपखण्ड अधिकारीगण समस्त जिला	विकास अधिकारीगण	उप निदेशक, पशुपालन विभाग	रसद कार्यालय का खाद्य निरीक्षक
सदस्य	–	परियोजना अधिकारी, भू.सं. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	उपखण्ड अधिकारीगण	–

दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्त्रोंतो का पुनर्जीविकरण।
4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपो का पुनर्भरण।
6. मिट्‌टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड लगाना तथा पेडों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढावा देना।
11. स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपों स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लडने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि का विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।

- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यो की शुरूआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतो का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परमपरागत जल स्त्रोंतो जैसे बावडी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाऐं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम , अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपों स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।

- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहूँचाना।

7.20 दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोडकर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम, सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते है। **भारत में सडक दुर्घटना में 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती है, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई है। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष सडक दुर्घटना से करीब 10,000 मौतें हो रही है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।**

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सडक दुर्घटनाओं से बचने केलिए

- सडक नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाए।
- शराब पीकर गाडी न चलाए।

- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बैल्ट बांधना आवश्यक है।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुडे।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सडक पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सडक पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाडी न चलाने दें।
- दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पह्चुचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीडितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।
- चिकित्सा विभाग
- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।
- पुलिस विभाग
- दुर्घटना स्थल पर भीड को संतुलित करना।

- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

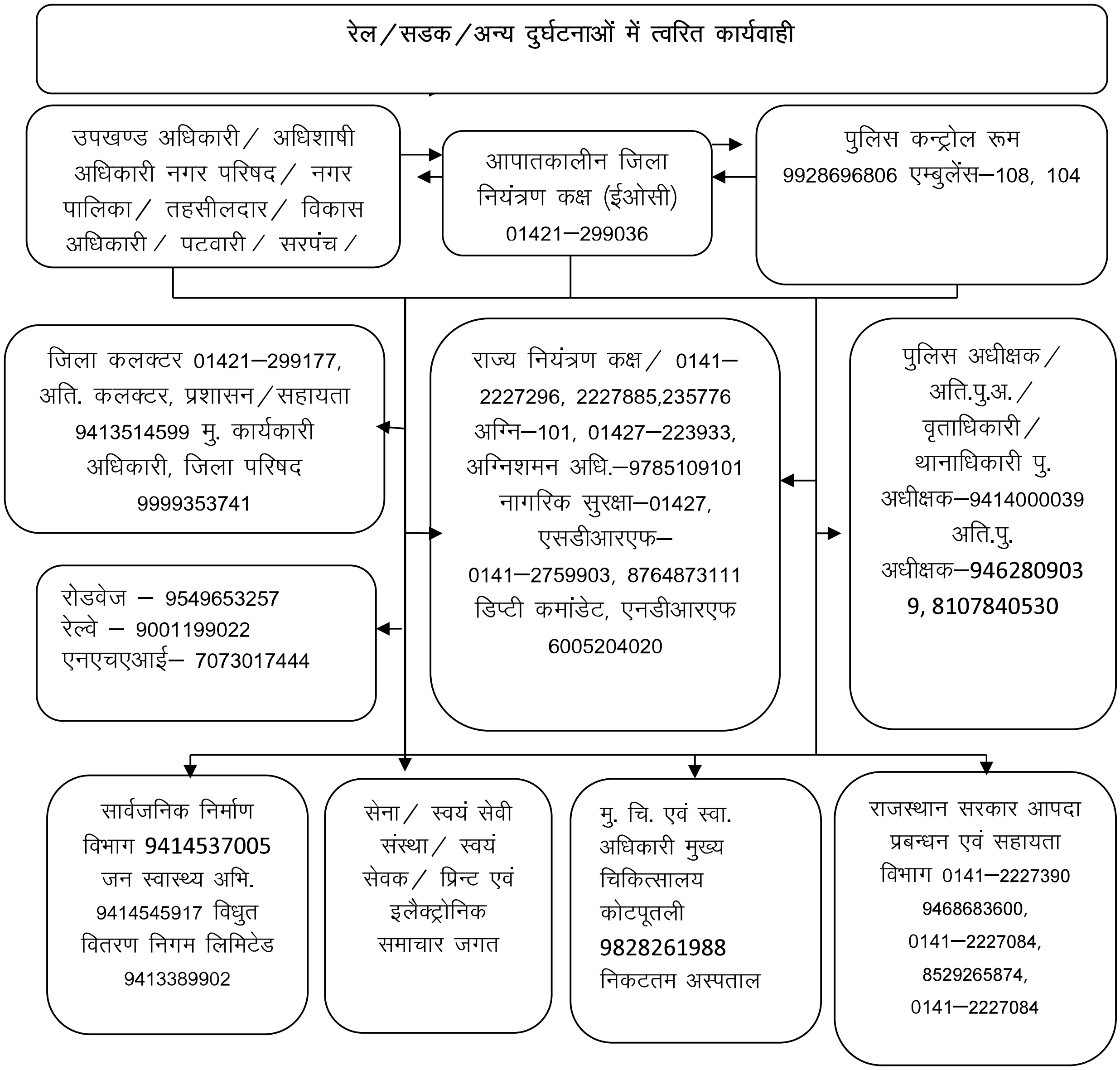

7.21 भूकम्प एवं कार्य योजना

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प की दृष्टि से सिसमिक जॉन ।। में आता है, जिससे गंभीर खतरे की संभावना कम है, फिर भी बिगडते हुए प्रदूषण के कारण भूकम्प की संभावना बढती जा रही है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचाती है,

जिसकी पुनःपूर्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैंसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :–

<u>स्थानीय एवं जिला प्रशासन</u>

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनांए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

<u>नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्ड्स</u>

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फसें लोगो को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीडितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

<u>पुलिस प्रशासन</u>

- कानून एवं व्यवस्था की सार सभाल करना।
- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

<u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u>

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य पकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u>

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयॉ उपलब्ध कराना।
  अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

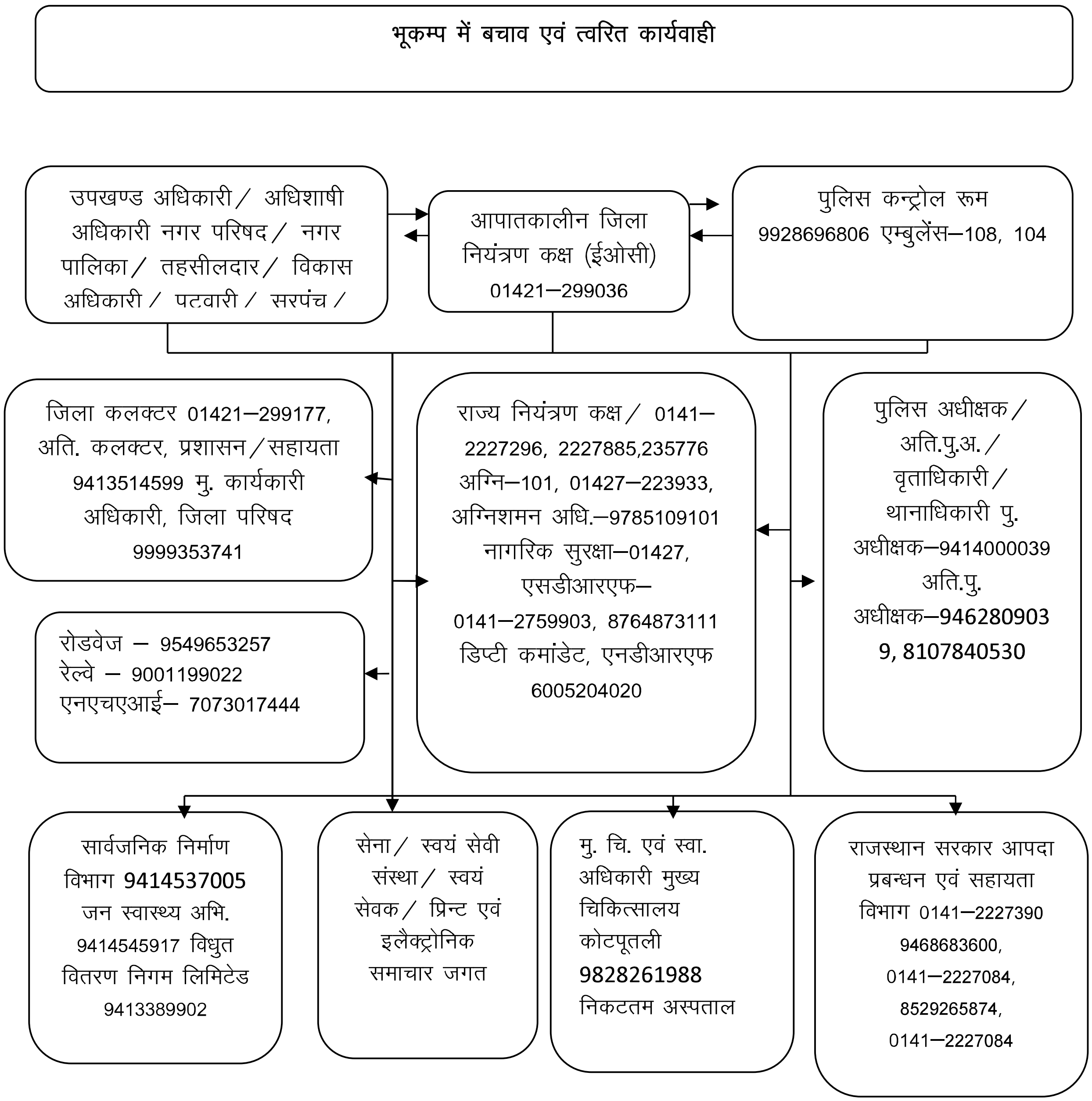

7.22 ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन, एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है।

ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार को तत्काल निर्देशन करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

<u>ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाऐं –</u>

यद्यपि ओलावृष्टि प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही संभव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीडित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानें को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं।

7.23 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उधोगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जात है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी क फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारू हो जाते है। इसका कारण बांध के रख रखाव मे लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांध के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि :–

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अति जल निकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।

- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

7.24 खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना :

जिले एवं आस–पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान है। जिनमें मृतिका,, पत्थर, रेत मुख्य है। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सत्त प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटन से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत एक आपातकालीन प्रशासनिक संसाधन का एसओपी विकसित किया है। जिससे खान दुर्घटना एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

7.25 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु एवं बढते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्‌टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 42^0 से0 और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 29^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मईकी अपे़क्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढोतरी हो रही है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 45^0 या 47^0 तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगडते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढोतरी के मुख्य लक्षण है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना

- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगडी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीडित हो तो शरीर के चारो तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियॉ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपडे हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत जयादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक क पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढातें हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनावें कि इसका प्रभाव क्या होत है तथा क्या करें, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहां अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा कपडे पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपडेां की ज्यादा परतें, एक गर्म कपडें की बनाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिक को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आ कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जांए।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ सकती है या बर्फ गिर सकती है।

- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफीन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुंह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपडे तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर का इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते है उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाईल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

अध्याय– 8

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

<u>दृष्टिकोण–</u> आपदाएं समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक एवं कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विशम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बडा. योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परंतु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

1. <u>क्षमता निर्माण हेतु योजना–</u>

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

– प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षैत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

– राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।

– अपनी कुशलता सिद्व कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

– अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षैत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

– पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

– राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विशलेषण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण– जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों, अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षैत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण– समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रॉस एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

1. नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों को निदेशालय नागरिक सुरक्षा जयपुर द्वारा समय–समय पर आपदा की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।
2. आपदा प्रबंधन की शिक्षा
    1. स्कूलों– जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन–जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
    2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
    3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

अध्याय– 9

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचयः– आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण है और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। ऐसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकड़े जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रुप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते है और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीडितों का मनोबल बढाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

9.1 लघु अवधि योजना–

अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती है और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षैत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी–

1. राहत के रूप में जुटाऐ जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीव्रता के आकडों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता है।
2. कुछ क्षैत्र आपदा से ग्रस्त है और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते है।

3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा, में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य ,गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बादः–

9.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव, निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायु सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए। सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उधोग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें। परंपरागत रूप से, चिंन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेसियों, जो बडी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे है। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर, दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढानें और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा ।

9.1.3 राहत अभियान

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीड़ितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प ,आग, बाढ, दंगे, आतकंवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीडितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

9.1.4 पुनर्वास

अल्पावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुननिर्माण के शेष कार्यों को ले जायेगा।

9.2 दीर्घकालिक योजना

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नही है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निमार्ण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्धेश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।

2. पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है, के स्तर का फैसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आंकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।

3. एक समुदाय, जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी पंरपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते है विस्तृत सर्वेक्षण, बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

4. दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोश जनक आश्रय, आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्वेश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्वेश्य नही है और एक उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।

5. लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है। उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए जरूरत है, एक ही भुमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।

6. लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापुर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है,।

अध्याय : 10

रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्ययोजना

10.1 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाऍ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ रही हैं। कुछ बडी दुर्घटनाऍ जैसे– भोपाल गैस काड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम है। अपर्याप्त संसाधन, अप्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभाव एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना बढती आबादी के साथ एक बडे संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्वक मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का हाना भी आवश्यक है।

प्रभाव :–

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैः–

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों / गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बडे क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही

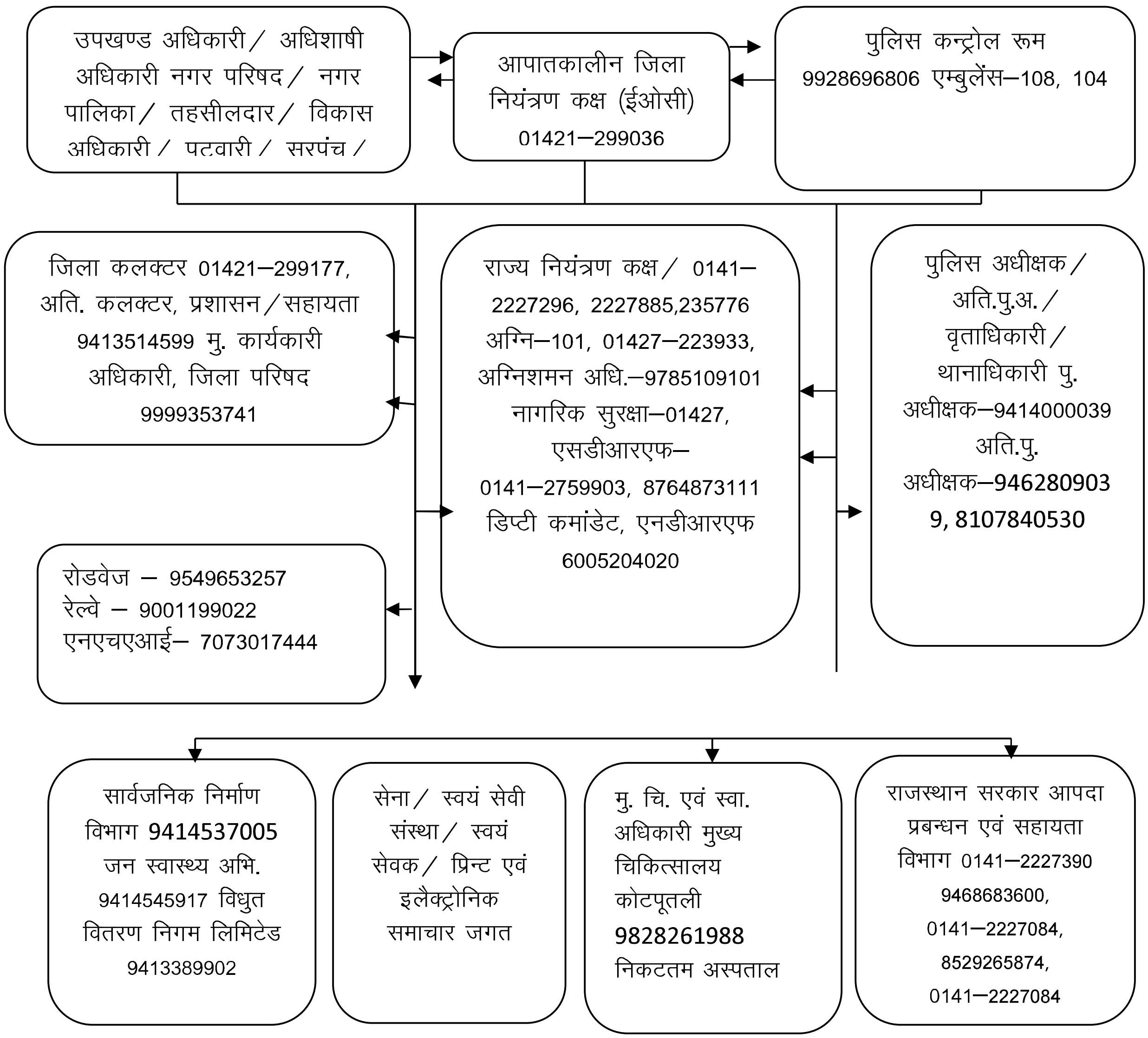

अध्याय : 11

बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजिकल आपदा की श्रेणी में आता है। पेड पौधे, पशुओं का सडना, जल का प्रदूषित होना, विषाक्त कीटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभाव होता है। महामारी से बडे क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और अधिक से अधिक मौतें होती है, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापानी इन्फ्लुएंजा, एक्यूट एनसेफलायटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी है, जिसके कीटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते है साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती है, जैसे एन्फ्लुएंजा एन1एन1, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि।

अध्यायः 12

न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

12.1 आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही

1. किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर या रेडियोलोजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमााणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल ऐजेंन्सी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग में एक क्राईसिस मैजेजमेंन्ट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी मैनेजमेंन्ट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24ग7 घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
3. क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया ;त्मेचवदकद्ध करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग त्मेचवदकमत के रूप में कार्य नही करेगा।
4. इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग–अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्त्ब्द्ध स्थापित किये हुए है।
5. इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्त्ब्द्ध जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बनाया गया है।
6. आवश्यकता पडने पर क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप को सूचना देने के साथ–साथ स्थानीय ईमरजेन्सी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्त्ब्द्ध से सहायता ली जा सकती है।
7. म्त्ब के विशेषज्ञ टीम को क्राईसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
8. छक्ड। ने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूकिलियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया कराया जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त छक्ड। की बटालियन को केमिकल, बॉयोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडिन बांटना आवश्यक है।

अध्याय : 13

साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़

13.1 साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धार्मो के लाग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगडे कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होन तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पति का काफी नुकसान होता है।

वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी साम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते है।

फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगें हो जाये तो उन्हे कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते है। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभाव शाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।

13.2 भगदड एवं कार्ययोजना

बढती आबादी एवं असुरक्षा का नतीजा है भगदड 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन पटना के गांधी मैदान में भगदड के कारण 33 लोग मारे गये, इससे पहले अगस्त 2014 के अन्तिम सप्ताह में मध्यप्रदेश के कादमगिरी में सोमवती अमावस्या के दिन हुई भगदड में 10 लोग मारे गये थे।

नेशनल क्राईम रिकार्डस ब्यूरों के मुताबिक वर्ष 2011 के दौरान भगदड की घटनाओं में 489 लोग मारे गये थे। धार्मिक अवसरों पर ही भगदड नहीं हुई है, रेल्वे स्टेशन, सेना व पुलिस

की भर्ती के दौरान भी भगदड की घटनाऐं हुई है और लोगों ने जान गवांई है। वर्ष 2005 में तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से पीडित लोगों के शिविर में भगदड मच गई थी, जिससे कई मौतें हुई थी, किन्तु यह निर्विवाद है कि 95 प्रतिशत घटनाऐं हिन्दु धार्मिक उत्सवों के दौरान घटी है, और मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाऐं व बच्चे रहें है। वर्ष 2011 में हरिद्वार में भगदड तब हुई जब यज्ञ में डाली जा रही सामग्री से पैदा धुऐं के कारण लोगों का दम घुटने लगा। मंदिरा देवी मंदिर में भगदड में 300 लोग मारे गये थे, कारण यह था कि धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए एक महिला सिर पर इतनी सामग्री ले जा रही थी कि वह गिर पडी और तेल बिखर गया, जिसकी फिसलन से भगदड मच गई। 2003 के नासिक कुंभ में साधुओं ने बिना अनुमति हाथियों और कार पर जुलूस निकाला और भक्तों पर प्रसाद व सिक्के फेंकना शुरू कर दिये, जिनको बटोरने की स्पर्धा में भगदड मच गई और 118 लोग मारे गये। राजस्थान के जोधपुर जिलें में नवरात्रा पूजा के दौरान मंदिर में भगदड से 55 लोग मारे गये जिसमें अधिकतर महिलायें थी।

भगदड का धार्मिक सोच–विचार से गहरा सम्बनध है, धार्मिक विचार खुद असुरक्षित होने के अहसास पर टिका हुआ होता है, जो मनौविज्ञान हमें इन स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करता है, बढती सामाजिक असमानता, असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जो बदले मे इस तरह का अहसास और बढाती है। हमारे यहां तंत्र एवं भगदड की घटना का सम्बन्ध इस प्रकार की सोच ही है।

भगदड की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना

- संभावित भगदड स्थल का चिन्हीकरण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने– आने का रास्ता का चिन्हीकरण।
- सडक के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)
- एक समय में कितनी भीड ठहरती है।

- भीड के प्रबन्धन के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।
- भीड वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या–क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है की सूची तैयार करना।
- आपात निकासी, नक्शा तैयार करना एवं विशेषज्ञ से जांच कर पारित कराना।
- आपातकालीन ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हीकरण करना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रोमा सेंटर एवं नजदीकी चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

अध्याय : 14

विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

(माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिशा निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जांच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारित कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानको के अर्न्तगत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जांच में पाया जा रहा है कि विधालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोडी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, अतः कलक्टर अपने निर्देश से सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सकें, साथ ही खतरा एवं संवेदनशीलता चिन्हित हो सके।

अध्याय : 15

कोटपूतली–बहरोड बस स्टेण्ड आपातकालीन कार्ययोजना

- **बस स्टेण्ड पर बम विस्फोट की घटनाऐं।**
- **आकस्मिक अग्निकांड**

बस स्टेण्ड, शहर के मध्य स्थापित है। इन आगार द्वारा अपने अधिकृत मार्गो पर भेजी जाने वाली वाहनों को समयानुसार भिजवाया जाता है तथा यहां वाहनों को निर्धारित स्टेण्डो से बुकिंग कराते हुए गन्तव्य स्थानों पर भेजा जाता है। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत आगार की व्यवस्थाऐं निम्न प्रकार से हैः–

1. बम विस्फोट की घटना होने पर तुरन्त ही आस–पास के क्षेत्र को खाली करवाया जा सकता है।
2. बस स्टेण्ड पर खाली निगम वाहन उपलब्ध होने के कारण आकस्मिक व्यवस्था तुरन्त ही उपयोग में लायी जा सकती है।
3. लगातार 24 घंटे प्रत्येक प्लेटफार्म पर ड्यूटी ऑफिसर एवम् वाहन आवागमन क्लर्क एवम् पुछताछ क्लर्क का पदस्थापन किया हुआ है जो होने वाली घटनाओं पर पारीनुसार निगरानी करते है व बार बार सतर्क रहने की चेतावनी उद्घोषित करते रहते है।
4. निगम परिसर में वर्कशॉप में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रहरियों को पारी अनुसार विभाजन कर लगाया हुआ है तथा सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढानें हेतु निगम मुख्यालय लिखा जा चुका है।
5. बस स्टेण्ड परिसर में निगम का निजी ट्यूब वैल स्थापित होने के कारण पूरे परिसर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है।
6. बस स्टेण्ड पर बुकिंग घरों को स्थापित किया हुआ है। जो चारों और जाली से बनाये हुए है जिससे टिकिट पत्रक टिकिट वितरण करते है साथ ही बाहर की गतिविधियो पर निगरानी भी रखते है।
7. निगम परिसर में स्थापित शौचालयों पर ठैकेदार के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किये हुए है जो इन स्थानों को नियमित रूप से साफ करते रहते है।
8. समस्त निगम परिसर में अग्नि यंत्रों की व्यवस्था की हुई है।

अध्याय : 16

आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उदेश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभाव को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसका समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

प्रतिक्रिया (रिसपोन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाईन के आधार पर इमरजेन्सी रिसपोन्स कार्यकलाप चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी ऐजेन्सी का चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हिकरण।
- व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए प्रशिक्षण , मिटिंग, मॉक ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

आतापकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)

ईएसएफ	संचालन	संभावित कार्य	नोडल एजेन्सी / टीम लीडर	सहायता विभाग / एजेन्सी
ईएसएफ1	समन्वयक	सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिकिया कार्यक्रम को स्थापित कराना।	जिला कलक्टर	पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद / नगरपालिका / नगरनिगम, पीडब्लूडी,पीएचईडी, विधुत, जिल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी संबंधित विभाग, थानाधिकारी।
ईएसएफ2	संचार प्रणाली	आपात स्थिति में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरूस्त कर पुनः स्थापित करना	जिला पुलिस अधीक्षक	एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलिकॉम विभाग, इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दुरदर्शन।
ईएसएफ3	हेल्पलाईन चेतावनी, आपातकालीन सूचना निदेर्शिका	प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुंचाना।	एसडीएम, पुलिस	एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक
ईएसएफ4	खोज एवं बचाव	टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलो को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीम का गठन	अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस	अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि।

		करना, साथ ही खोजी कुते का प्रबन्ध करना।		
ईएसएफ5	आपात निकासी	भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट, अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना।	एसडीएम, तहसीलदार , एसएचओ	पुलिस , गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ
ईएसएफ6	आपात चिकित्सा सुविधा	घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा	सीएमएचओ	जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रोमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र।
ईएसएफ7	सहायता	जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना	एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था

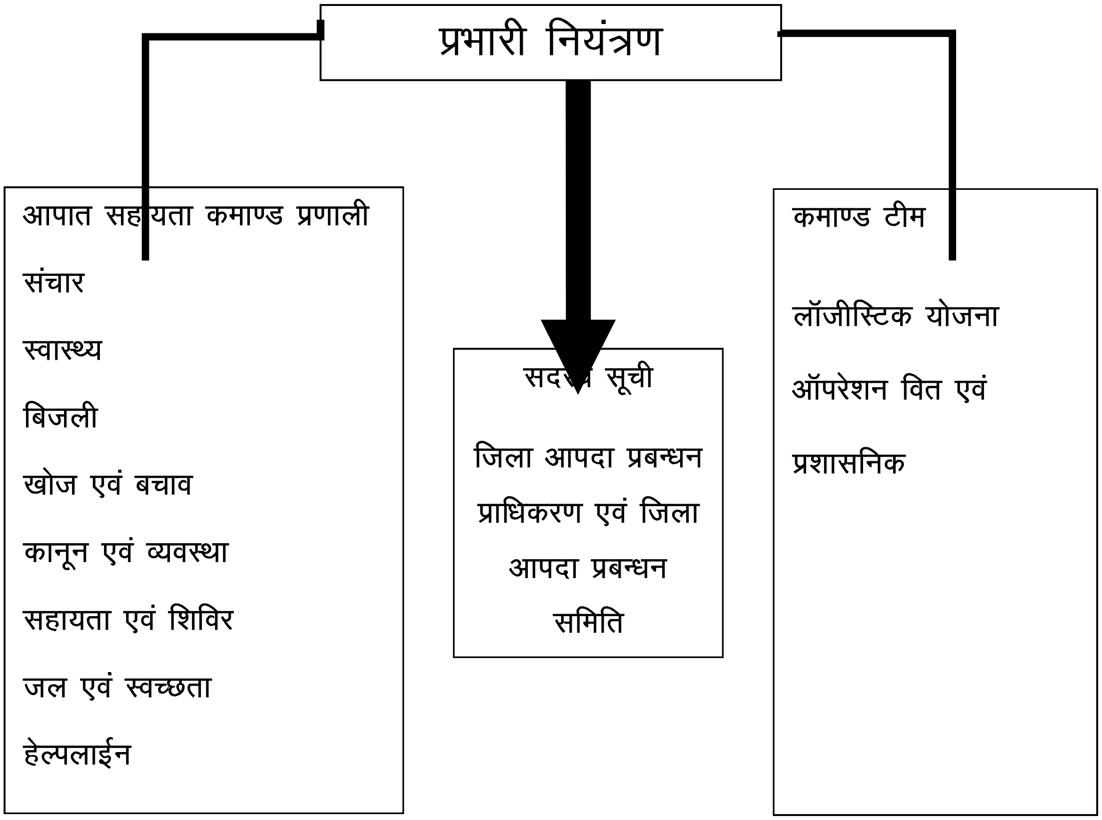
प्रभारी नियंत्रण
आपात सहायता कमाण्ड प्रणाली
संचार
स्वास्थ्य
बिजली
खोज एवं बचाव
कानून एवं व्यवस्था
सहायता एवं शिविर
जल एवं स्वच्छता
हेल्पलाईन
सूची
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबन्धन समिति
कमाण्ड टीम
लॉजीस्टिक योजना
ऑपरेशन वित एवं
प्रशासनिक

RESPONSE SYSTEM FLOW CHART

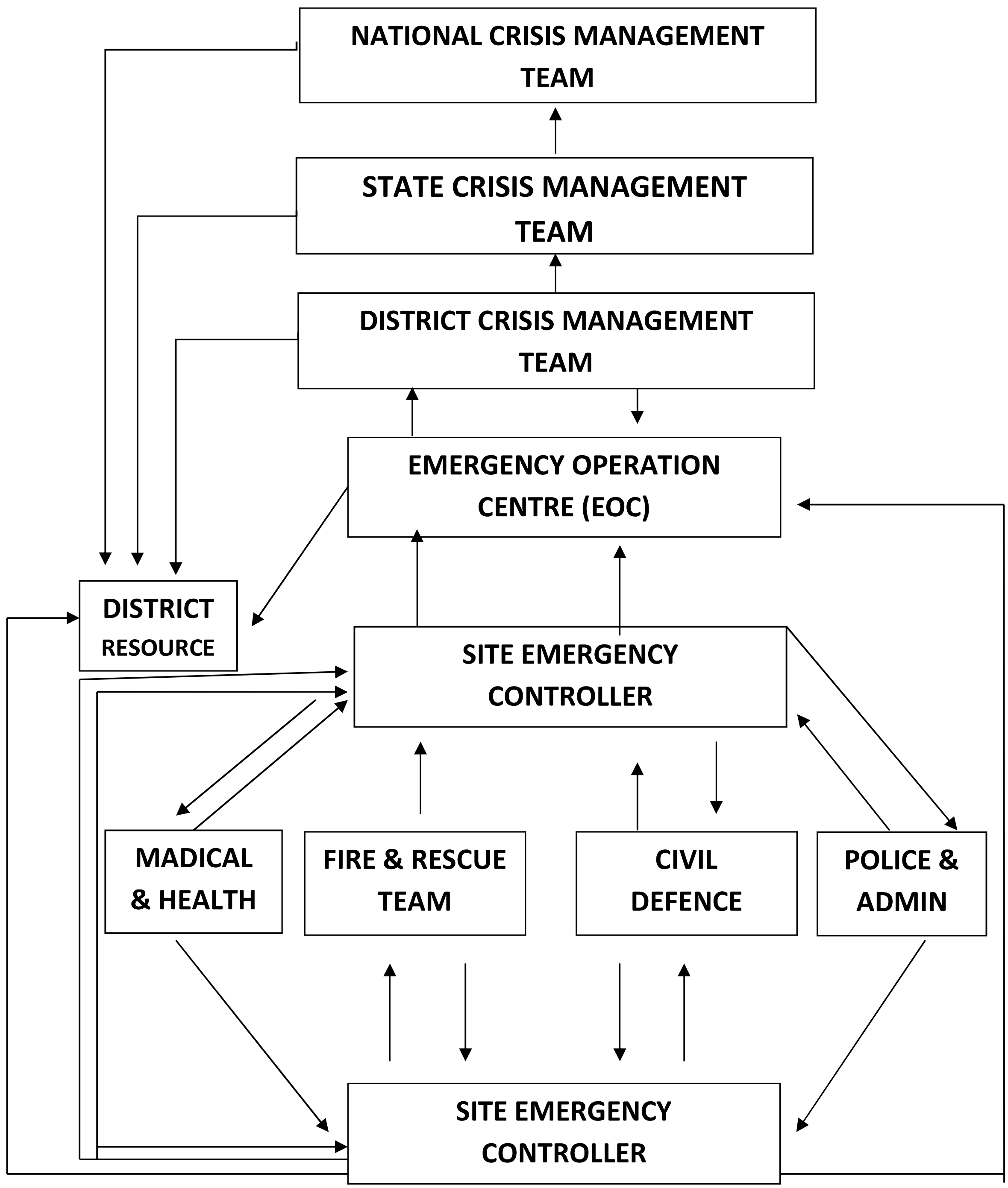

अध्याय : 17

आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते है :–

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान–माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यो में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजनों को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।

अध्याय : 18

राजस्थान राहत कोष

(STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ, ओलावृष्टि, अग्नि चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन–धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष **;छंजपवदंस ब्ंसंउपजल थ्नदकद्ध** से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाऐं तथा गैर प्राकृतिक आपदाऐं भी है जिनसे होने वाली जन–धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नही है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005–06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

शीर्षक :

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

'' राजस्थान राहत कोष'' का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भांति इस कोष में दी गई राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियंत्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

राज्य स्तरीय समिति :–

राज्य स्तर पर ''राजस्थान राहत कोष'' के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी।

मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग	–	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग	–	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	–	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप–

1. राजस्थान, राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. ''राजस्थान राहत कोष'' से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. ''राजस्थान राहत कोष'' के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. ''राजस्थान राहत कोष'' से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाये उन प्रयोजनों लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों के लिए अधिकरों का प्रत्यायोजन भी किया सकेगा।

7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो '' राजस्थान राहत कोष'' की स्थापना के उदेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाऐं –

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुएं के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुएं में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाऐं जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे –

1. मनुष्यों में महामारी– विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अतयधिक हो।
2. पशुओं में महामारी– किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बडी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एव पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हो।
3. फसलों में महामारी – विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग

1. मनुष्यों की महामारी – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. पशुओं की महामारी – पशु पालन विभाग
3. फसलों की महामारी – कृषि विभाग
4. खान में बाढ का पानी आना एवं ढहना – खान विभाग
5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क. उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।

ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।

ग. उपरोक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करया जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।

घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसको कियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड –

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिए सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिए किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/ मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो, तो उस आपदा के लिये ''राजस्थान राहत कोष'' से सहायता देय नही होगी।

3. ''राजस्थान राहत कोष'' से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुएं आदि के ढहने की आपदा में
5. खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।
6. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिए, निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी :

   1. कुएं ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकाले पर होन वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपयें की राशि।
   2. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने मे होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   3. कुएं में जहरीली गैस निकालने से मृत्यु होने पर आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 10,000 रूपयें की राशि।

राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रकिया विधि –

1. संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में ''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।

3. महामारी की आपदाओं में, उप पर नियंत्रण करने एवं पीडितों को सहायता पहुंचाने के लिए जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजना जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसेक आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिषंशा को राज्य समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध करायी जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय 19
तहसील कोटपूतली आपदाप्रबन्धन योजना–2025

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचयः–

तहसीलदार कोटपूतली का सृजन स्टेट टाइम से ही है जो जिला मुख्यालय पर स्थित है जो कि जयपुर दिल्ली वाईपास से पर स्थित है। तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर (6375876959) एवं नायब तहसीलदार श्रीमती शिवानी भार्मा (8209804739) है।

2. तहसील में संभावित खतरा :–

तहसीलर मे ंकोटपूतली–बहरोड चतुर्भज क्षेत्र में बारिश के पानी भराव की समस्या होने के कारण आवागमन व जन–पशु हानी होने का खतरा है। इटली जोहड बासडी में बारिश के पानी भराव की समस्या से आस–पास की कलोनियां प्रभावित होते है।

3. यातायात व्यवस्थाः–

जयपुर दिल्ली राश्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है।व सीकर अलबर स्टेट राजमार्ग भी कोटपूतली पर पहुंच मार्ग है।

4. तहसील मूलभूत संसाधनः–

जिला अस्पतालस कोटपूतली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द् नारेहडा व बनेठी मे स्थित है। है तथा मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय केन्द्र है। अग्निसमन व्यवस्था–नगर परिशद कोटपूतली में स्थित जो जिला मुख्यालय पर है।

- तहसील में बिजली की व्यवस्था–अन्य फीडर से जुडा है।
- पीने के पानी की व्यवस्था–जलदाय विभाग द्वारा किया जाता है।

5. तहसील में ग्रामों/ग्राम पंचायतो की संख्याः– तहसीलकोटपूतली में 20 ग्रामपंचायत व 92 राजस्व ग्राम है।
6. तहसील की जनसंख्याः– तहसील क्षेत्र की कुल 232195 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनंसख्या है।
7. एपील/बीपलअन्यः–
8. दक्ष लोगो का विवरणः– तहसील कोटपूतली में डॉक्टर/कम्पांडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुडे लोग है।तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नही ंहै।
9. जीविकोपार्जनः– तहसील कोटपूतली में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कुछ परिवार व्यवसाय/नौकरी करते है।
10. मुख्य फसलः– रबी–गेहूं जौ,चना सरसों है/खरीफ–बाजरा,ग्वार तिल है।
11. नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थितिः– तहसील कोटपूतली में साबी नदी चतुर्भुज, बामनवास, नांगल पंडितपुरा क्षेत्र मे बहता है। व सोता नाला सरूण्ड, खेडानिहालपुरा, गोपालपुरा, करवास क्षेत्र से गुजरता है।
12. संचार के साधनः– एयरटेल/वी.आई./जीओ के टावर व कनेकटीविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।

13. स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिककेन्द्रः– कोटपूतली में दो महाद्यिालय व स्कूल स्थित है। धर्मशाला व सामुदायिक केन्द्र है।
14. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूचीः– तहसील कोटपूतली में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
15. तहसील में उपलब्ध राजकीय/कार्मिको के नाम व दूरभाषः–सूची संलग्न है।
16. नगरपालिका क्षेत्र उपलब्ध हो तो उसका नामः–नगरपरिशद कोटपूतली स्थित है।
17. तहसील क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयाः– तहसील कोटपूतली क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थित ंहै।
18. उपलब्ध मेडिकल दुकानो/सरकारी/प्राईवेट/अस्पतालों व डिस्पेंसरी का नाम विस्तारो की क्षमता /डॉक्टरों/नर्सिंगस्टॉफ की संख्या/पैट्रोलपम्प/ गैस एजेन्सी /गैसगोदामः–3. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारेहडा,बनेठी में डाक्टर पर्याप्त है। व नर्सिंगस्टॉफ भी पर्याप्त है। एक औषधालय जिसमें पर्याप्त डॉक्टर व कम्पांउडर कार्यरत है। पैट्रोलपम्प–लगभग 20/गैस ऐजेन्सी–3 उपलब्धत है।

    अनुज्ञाधारक का नाम एवं पेट्रोल पम्प का नाम

श्री कृशण भार्मा–9829971213	मैसर्स आनन्द सर्विस स्टेशन चौकी गोरधनपुरा कोटपूतली

19. भारीमशीनरी से संबंधित लोगो की सूचीः– तहसील क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंन्ट प्लान्ट मोहनपुरा में स्थित है।

अध्याय 20
तहसील मांढण आपदा प्रबंधन योजना 2025

तहसील मांढण आपदा प्रबन्धन योजना–2024

1 तहसील व तहसीलदार का नाम एव तहसील का परिचय–

तहसीलदार मांढण का सृजन माह 11/07/2023 से हुआ है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली–बहरोड से 66 किलो मीटर दूर स्थित है जो कि बहरोड से कुण्ड रोड पर स्थित है। तहसीलदार का पद रिक्त है जबकि नायब तहसीलदार श्री सुमित भारद्वाज है जिनको कार्यवाहक तहसीलदार के रूप मे पदस्थापित है।

2 तहसील में संभावित खतरा–

तहसील मांढण मे रेवाडी–रींगस रेल्वे लाईन में काठूवास ग्राम मे बने अडर पास मे बारिश के पानी भराव की समस्या होने के कारण आवागमन व जन–पशु हानि होने का खतरा है। अडर पास में बारिश के पानी भराव की समस्या से ग्राम–काठूवास,हुडिया खुर्द, परतापुर,बींझपुर,जैतपुर,रामचन्द्रपुरा व रघुनाथपुरा प्रभावित होते हैं।इसके निदान हेतु जनरेटर द्वारा बारिश के समय मे जल निकासी का कार्य सतत किया जाता है।

3 यातायात व्यवस्था

बहरोड से कुण्ड स्टेट हाइवे मार्ग पर ही स्थित है, जिस पर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4 तहसील मूलभूत ससाधन –

तहसील मांढण के ग्राम मांढण मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जैतपुर, माजरा,डाबडवास व नंगली–बलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है।

अग्नि शमनव्यवस्था –अग्नि शमन केन्द्र नहीं है लेकिन टोल प्लाजा काठूवास मे व रीको नीमराना मे अग्नि शमन केन्द्र है जो तहसील मुख्यालय मांढण से क्रमशः 5 व 15 किलो मीटर दूर है।

तहसील में बिजली की व्यवस्था 132 के वी नानगवास फीडर से जुड़ा है।

पीने के पानी की व्यवस्था –सभी ग्रामो मे पेयजल के बोरवेल उपलब्ध है।

1. तहसील में ग्रामो/ ग्राम पंचायतों की संख्या– तहसील मांढण में 12 ग्राम पंचायत व 32 राजस्व ग्राम है।

2. तहसील की जनसख्या तहसील क्षेत्र की कुल 59415 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसख्या है।

3. दक्ष लोगो का विवरण –तहसील मांढण में डॉक्टर/कम्पाउडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाडर चिकित्या क्षेत्र से जुड़े लोग है। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं है।

4. जीविकोपार्जन– तहसील मांढण में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय / नौकरी करते है।

5. मुख्य फसल– रबी–गेहू सरसों है/ खरीफ– बाजरा, ग्वार है।

6. नदी/बाध/तालाब / नालो की स्थिति– नदी/बाध/तालाब/नाले स्थित नहीं है।

7. संचार के साधन एयरटेल/बीएसएनएल/जीओ के टावर व कनेकटीविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।

8. स्कूल/धर्म शाला/सामुदायिक कंन्द्र स्कूल स्थित है।

9. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची तहसील मांढण में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

10. तहसील में उपलब्ध राजकीय / कार्मिको के नाम व दूरभाष– सूची सलग्न है।

11. नगर पालिका उपलब्ध हो तो उसका नाम –नगर पालिका मांढण है।

12. तहसील क्षेत्र में औधौगिक ईकाईया –तहसील मांढण क्षेत्र में रीको क्षेत्र डाबडवास मे औद्योगिक इकाई स्थित है।

13. उपलब्ध मेडीकल दुकानों/सरकारी/प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेसरी का नाम बिस्तरों की क्षमता / डॉक्टरो/ नर्सिंग सटॉफ की सख्या/पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी/ गैस गोदाम– 1 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांढण – 3 डॉक्टर व 5 नर्सिंग स्टॉफ, निजी व सरकारी मेडीकल स्टोर हैं।पेट्रोल पम्प नही है परन्तु हरियाणा के पेट्रोल पम्प 4 किमी दूरी पर है। एच पी गैस ऐजेन्सी ग्राम मांढण मे स्थित है ।

14. तहसील के ग्रामो मे जेसीबी/अन्य मशीनरी उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार मांढण मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क्र0स0	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
1	श्री सुमित भारद्वाज	कार्यवाहक तहसीलदार	तहसील मांढण	7014147782
2	श्री सत्यपालसिंह	ऑफिस कानूनगो, मांढण (अति0प्रभार)	तहसील मांढण	9461041910
3	श्री औमप्रकाश शर्मा	भू0अ0 निरीक्षक	मांढण	7792986688
4	श्री रामसिंह यादव	भू0अ0 निरीक्षक	कान्हावास	7014143173
5	श्री सत्यपालसिंह	भू0अ0 निरीक्षक	गिगलाना	9461041910
6	श्री सुमेर सिंह	पटवारी (अति0प्रभार)	मांढण	7426040806
7	श्री मनीष कुमार	पटवारी	परतापुर	9887580626
8	श्री प्रदीप कुमार 2	पटवारी (अति0प्रभार)	काठूवास	8278027485
9	श्रीमती सुरेखारानी	पटवारी	हुडिया कला	9306498307
10	श्री सुबेसिंह	पटवारी	गिगलाना	7665989928
11	श्री पवन कुमार	पटवारी	सांतो	9667493470
12	श्री प्रदीप कुमार 1	पटवारी	महतावास	9660806060
13	श्री हरीश कुमार	पटवारी	नानगवास	9828970122

14	श्री जयप्रकाश	पटवारी	कान्हावास	9680710843
15	श्री देवेन्द्र कुमार	पटवारी	डाबडवास	9649360030
16	श्रीमती नीलम यादव	पटवारी	माजरा	7827268566
17	श्री सुमेर सिंह	पटवारी	खून्दरोठ	7426040806
18	श्री नवीन कुमार	पटवारी	एलआरसी 1	9680976860
19	श्री प्रदीप कुमार 2	पटवारी	एलआरसी 2	8278027485

अध्याय–21

तहसील बानसूर आपदा प्रबन्धन योजना–2025

<u>कंटिजेंसी प्लान (तहसील-बानसूर)</u>

- सामान्य परिचय : तहसील बानसूर **27.6919419** अक्षांश व **76.3490575** देशान्तर पर स्थित है यह उपखण्ड/तहसील मुख्यालय है जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड़ तहसील-बानसूर से **17** किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैद्य निकतम रेल्वे स्टेशन (खैरथल स्टेशन) तथा निकटतम एयर पोर्ट जयपुर है तहसील बानसूर में एक उप-तहसील हरसौरा दिशा उत्तर में **18** किलोमीटर दूरी पर स्थित है तहसील बानसूर के पिन कोड नम्बर **301402** तथा पुलिस थाना तहसील मुख्यालय तथा उप तहसील मुख्यालय पर स्थित है तहसील बानसूर में **126** राजस्व ग्रामए **30** पटवार मण्डलए **08** भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तए ग्राम पंचायत **37** एवं **01** नगरपालिका तहसील मुख्यालय बानसूर में स्थित हैद्य तहसील बानसूर का भौगोलिक क्षेत्रफल **55751** हेक्ट. है जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष सम्पर्क नम्बर **01421-299036** एवं जल संसाधन खण्ड सिचाई विभाग अलवर सम्पर्क नम्बर **6960939325**.

- बाढ़ एवं अतिवृष्टि की तैयारी :- बाढ़ एवं अतिवृष्टि के लिए तहसील के समस्त भू-अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियान को हल्के में पाबंद रहने के लिए एवं अतिवृष्टि एवं बाढ़ की सूचना तुरन्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष में देने हेतु पाबंद किया गया है
- दानदाता एवं जनसेवी/स्वयं सेवी संस्थाओं को समय पर सहयोग करने की अपील की गई है
- बाढ़ एवं आपदा के समय भोजन गुड़ एवं चना की व्यवस्था इन्ही संस्थाओं से ली जाएगी
- नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों को नाले एवं नालियों की सफाई के लिए पाबंद कर दिया गया है
- इस तहसील में सिचाई विभाग का एक बांध है जिसका नाम हरसौरा बांध हैद्य जिसमें सामान्य पानी आता है तथा ग्राम मंगलवा के आस-पास नदी में पानी भराव का खतरा रहता हैद्य जिसके लिए संबन्धित काश्तकारों को भराव क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंध कर दिया गया है
- इस तहसील में ग्राम-बालावास रोड पर घड़िया जोहड़ स्थिति हैद्य तथा ग्राम-बाढ़ ठेगूवास में गैर मुमकिन तालाब हैद्य उक्त दोनों में वर्षा का पानी एकत्रित होता है आस-पास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंध कर दिया गया है
- अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिए व्यवस्था:- अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के ठहरने के लिए सामुदायिक भवन/विद्यालय का उपयोग लिया जा सकेगाद्य तथा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तात्कालिक सहायता देने का प्रयास किया जाएगा

- नगर पालिकाए पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत : नगर पालिकाए पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अपने स्तर पर मिट्टी के कट्टे, खाली कट्टे, गैती, टॉर्च केरोसीन आदि तैयार रखें
- अन्य विभाग : जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभागए विद्युत विभाग.पशुपालन विभागए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागए पुलिस विभागए सार्वजनिक निर्माण विभाग : उक्त सभी विभागों को अपने-अपने स्तर से बाढ़ एवं अतिवृष्टि में सक्रिय रहकर अपने स्तर से संसाधन जुटाकर बाढ़ एवं आपदा में सहयोग करेंगे

➢ कार्यालय तहसीलदार बानसूर मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	पदस्थापन स्थान	मोबाइल नम्बर
गजेन्द्र सिंह	तहसीलदार	बानसूर	**9910365470**
अर्जुन लाल सालोदिया	उप-तहसीलदार	हरसौरा	**9950249683**
चन्द्र सिंह मीना	नायब तहसीलदार	बानसूर	**9829562426**
महेन्द्र सिंह मौर्य	ऑफिस कानूनगो	भू.अ. शाखा बानसूर	**9829334937**
भागचन्द मीना	अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो	भू.अ. शाखा बानसूर	**9079712096**
शुभराम जाट	**ILR (LR)**	भू.अ. शाखा बानसूर	**99299797065**
अशोक कुमार मीना	**ILR (LRC)**	भू.अ. शाखा बानसूर	**9521218467**
कृष्ण कुमार	**ILR (LR)**	भू.अ. शाखा बानसूर	**9929947271**
हितेश कुमार माथुर	भू-अभिलेख निरीक्षक	रामपुर	8769586211
राजेन्द्र सिंह यादव	भू-अभिलेख निरीक्षक	बानसूर	**9982192584**
रोहिताश्व स्वामी	भू-अभिलेख निरीक्षक	गूंता	**8696680302**
सुमेर सिंह गोठवाल	भू-अभिलेख निरीक्षक	गिरूड़ी	9799892331
भैरुमल स्वामी	भू-अभिलेख निरीक्षक	हमीरपुर	9982184580
शिवराज सिंह शेखावत	भू-अभिलेख निरीक्षक	हरसौरा	**9887752525**
हितेश कुमार माथुर	भू-अभिलेख निरीक्षक	बाबरिया	8769586211
अशोक कुमार मीना	भू-अभिलेख निरीक्षक	बुटेरी	**9521218467**
पंकज सिंह राठौड़	पटवारी	बानसूर	**9079843945**
ज्योति यादव	पटवारी	बालावास	**8290094902**

रमेश चन्द ज्योतिषी	पटवारी	भूपसेड़ा	8005545143
सोनियाराम	पटवारी	रामपुर	7014541174
अतुल कुमार यादव	पटवारी	बहरामकाबास	**9784983870**
जितेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	हाजीपुर	8619380513
पंकज कुमार सूठवाल	पटवारी	लेकड़ी	9636291773
राकेश कुमार	पटवारी	बुटेरी (ई.)	**6377327571**
विरेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	बबेरा (ई.)	9928034713
विरेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	खेड़ा	9928034713
राकेश कुमार	पटवारी	लोयती	**6377327571**
राहुल कुमार यादव	पटवारी	नांगल लाखा (ई.)	7300318987
संतोष यादव	पटवारी	श्यामपुरा	6376940162
मोहित कुमार यादव	पटवारी	गूंता	**7426896612**
विष्णु कुमार स्वामी	पटवारी	मौठूका	9251431036
राकेश कुमार सामदिया	पटवारी	शाहपुर (ई.)	**7597677645**
मीना देवी जाट	पटवारी	महनपुर	7300351042
मायाराम गुर्जर	पटवारी	गिरूड़ी	7597364932
अतुल कुमार यादव	पटवारी	खोहरी	9784983870
पंकज कुमार सूठवाल	पटवारी	होलावास	9636291773
महेश कुमार मीना	पटवारी	हमीरपुर	9660208954
सुभाष चन्द	पटवारी	छीण्ड	**6375074189**
घनश्याम शर्मा	पटवारी	चूला	**9829584802**
जयसिंह मीना	पटवारी	हरसौरा	8955684413
राहुल कुमार यादव	पटवारी	माजरा अहीर	7300318987
महेश कुमार मीना	पटवारी	बामनवास (ई.)	**9660208954**
मुकेश कुमार सिंह	पटवारी	भग्गूकाबास	8619469617
बिजेन्द्र सिंह	पटवारी	बाबरिया	8769898471
कृष्ण कुमार यादव	पटवारी	माजरा ढ़ाकोड़ा	8290300797
बिजेन्द्र सिंह	पटवारी	बबेड़ी ;ई.)	8769898471

अध्याय–22

तहसील पावटा आपदा प्रबन्धन योजना 2025

प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत बचाव की पूर्व तैयारी हेतु कंटीजेंसी प्लान (कोटपूतली–बहरोड)

1. सामान्य परिचय – तहसील पावटा 25.580175 अक्षांश व 76.079387 देशान्तर पर स्थित है। यह उपखण्ड/तहसील मुख्यालय है। जिला मुख्यालय कोटपूतली–बहरोड तहसील पावटा से 17 किलोमीटर दूर स्थित है तथा जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। निकतम रेल्वे स्टेशन जयपुर तथा निकतम एयर पोर्ट जयपुर है। तहसील पावटा के पिन कोड नम्बर 303106 तथा पुलिस थाना तहसील मुख्यालय निकट स्थित है। तहसील पावटा में 79 राजस्व ग्राम, 25 पटवार मण्डल, 06 भू अभिलेख निरीक्षक वृत, 23 ग्राम पंचायत एवं 01 नगरपालिका तहसील मुख्यालय पावटा में स्थित है। तहसील पावटा का भौगोलिक क्षेत्रफल 41252.15 हैक्ट. है।
2. जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष सम्पर्क नम्बर 01421–299036 एवं जल संसाधन खण्ड सिंचाई विभाग अलवर सम्पर्क नम्बर 6960939325 को प्रेषित करेंगे।
3. बाढ एवं अतिवृष्टि की तैयारी – बाढ एवं अतिवृष्टि के लिए तहसील के समस्त भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियान को हल्के में पाबंद करने के लिए, रहने के लिए, अतिवृष्टि एवं बाढ की सूचना तूरन्त बाढ नियन्त्रण कक्ष में देने हेतु पाबंद किया गया है।
4. दानदाता एवं जनसेवीध्स्वयं सेवी संस्थाओं को समय पर सहयोग करने की अपील की गई है।
5. बाढ एवं आपदा के समय भोजन गुड एवं चना की व्यवस्था इन्ही संस्थाओं से ली जाएगी।
6. नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों को नाले एवं नालियों की सफाई के लिए पाबंद कर दिया गया है।
7. इस तहसील में सिंचाई विभाग का एक बांध है जिसका नाम बांध है। जिसमें सामान्य पानी आता है तथा ग्राम के आस–पास नदी में पानी भराव का खतरा रहता है। जिसके लिए संबंधित काश्तकारों को भराव क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंध कर दिया गया है।
8. इस तहसील में ग्राम पर जोहड स्थित है तथा ग्राम ग्राम में गैर मुमकिन तालाब है। उक्त दोनो में वर्षा का पानी एकत्रित होता है। आस–पास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंध कर दिया गया है।
9. अतिवृष्टि एवं बाढ पीडित व्यक्तोयों के लिए व्यवस्था – अतिवृष्टि एवं बाढ पीडित व्यक्तियों के ठहरने के लिए सामुदायिक भवनधविद्यालय का उपयोग लिया जा सकेगा तथा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तात्कालिक सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।
10. नगरपालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत – नगर पालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अपने स्तर पर मिट्टी के कट्टे, खाली कट्टे, गैती, टॉर्च, केरोसीन आदि तैयार रखें।
11. अन्य विभाग – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त सभी विभागों को

अपने–अपने स्तर से बाढ एवं अतिवृष्टि में सक्रिय रहकर अपने स्तर से संसाधन जुटाकर बाढ एवं आपदा में सहयोग करेंगे

- कार्यालय तहसीलदार पावटा मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क्र.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	पदस्थान स्थान	मोबाईल नम्बर
1.	संजय कुमार	तहसीदार	पावटा	
2.	संजय गुप्ता	ऑफिस कानूनगो	भू अभिलेख शाखा पावटा	
3.	अनिल कुमार	अति. ऑफिस कानूनगो	भू अभिलेख शाखा पावटा	
4.	गिरधारी	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
5.	शैरसिंह यादव	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
6.	सुमित्रा सैनी	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
7.	रामनिवास मीणा	भू अभिलेख निरीक्षक	टसकोला	9414857252
8.	पार्वती मीणा	भू अभिलेख निरीक्षक	पावटा	73397622995
9.	शशिधर यादव	भू अभिलेख निरीक्षक	खेलना	9414642442
10.	पाबूदान सिंह	भू अभिलेख निरीक्षक	दांतिल	
11.	मनोज यादव	भू अभिलेख निरीक्षक	प्रागपुरा	
12.	जितेन्द्र कुमार जाट	पटवारी	पावटा	**9785580509**
13.	श्री महेश कुमार	पटवारी	पंडितपुरा	**9680075350**
14.	कल्पना	पटवारी	कुनेड	**7877237330**
15.	प्रदीप कस्वां	पटवारी	जोधपुरा	**9875225922**
16.	विकास कौशिक	पटवारी	प्रा•पुरा	**7014219279**
17.	विक्रम यादव	पटवारी	पाथरेड़ी	**8949750698**
18.	प्रमोद सामरिया	पटवारी	भैंसलाना	**7891056994**

19.	गुल्लाराम यादव	पटवारी	भूरीभड़ाज	6378187206
20.	श्री शंकर सिंह शेखावत	पटवारी	राजनौता	8003820242
21.	रेखा मीणा	पटवारी	टसकोला	8824405192
22.	रविना कराला	पटवारी	भोनावास	8739801494
23.	मुकेशचन्द वर्मा	पटवारी	टोरडा•जरान	9588075404
24.	मुकेशचन्द वर्मा	पटवारी	बुचारा	9588075404
25.	जितेन्द्र कुमार जाट	पटवारी	खेलना	**9785580509**
26.	गिरधारी लाल सिंवर	पटवारी	बड़न•र	6378457090
27.	संगीता कुमारी	पटवारी	तुलसीपुरा	8385013871
28.	संतोष कुमारी	पटवारी	फतेहपुरा खुर्द	8290792994
29.	विजय कुमार यादव	पटवारी	मंढा	8440904104
30.	मुकेश पारीक	पटवारी	पांचूडाला	9782830019
31.	विकास कौशिक	पटवारी	भांकरी	7597521049
32.	सीमा भुराडिया	पटवारी	कारौली	9024830416
33.	अभिषेक	पटवारी	दांतिल	
34.	गुल्लाराम यादव	पटवारी	पुरूषोतमपुरा	9413901990
35.	विक्रम यादव	पटवारी	}ारिकपुरा	8949750698
36.	संगीता कुमारी	पटवारी	सुंदरपुरा	9311003121

अध्याय–23

तहसील बहरोड आपदा प्रबन्धन योजना

तहसील बहरोड आपदा प्रबन्धन योजना-2025

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय-

तहसीलदार बहरोड का सृजन आजादी के समय से ही है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड से 25 कि0मी0 उत्तर की ओर स्थित है जो कि NH 48 स्थित है।

तहसीलादार श्री अभिषेक यादव पदस्थापित है।

2. तहसील में संभावित खतरा-

तहसील बहरोड में ग्राम तंसीग, बर्डोद, नालपुर, निम्भोर व जखरानाकला में पहाडी होने से भारी बारिश होने से पानी आबादी क्षेत्र में आने से जलभराव कि स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहरोड के ग्राम कारोडा में साबी नदी पर पुल होने से भारी बारिश होने पर नदी बहाव क्षेत्र में पानी आने से पुल जर्जर अवस्था में है जिसका पूर्व में भी मरम्मत कार्य PWD विभाग द्वारा करवाया गया है।

3. यातायात व्यव्यथा

तहसील मुख्यालय NH 48 पर स्थित जयपुर से दिल्ली के मध्य स्थित है जिस पर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4. तहसील मूलभूत संशाधनः-

(1) जिला अस्पताल- 01
(2) सामुदायिक स्वा0 केन्द्र- 03 पहाडी, जखराना व बर्डोद
(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- 06
(4) उपस्वास्थ्य केन्द्र- 48
(5) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र- 01
(6) निजी अस्पताल- लगभग 11
(7) अग्नि शमन केन्द्र 01
(8) तहसील में पानी की व्यवस्था- केवल बोरवेल से ही पानी प्राप्त किया जाता है आवश्यकता अनुसार जगह-जगह खुदे हुए है।
(9) तहसील में बिजली की व्यवस्था:-क्षेत्र के ग्रांम जखराना, बहरोड, नासरपुर, पहाडी, सोतानाला, गूत्ती, गण्डाला, रिवाली, डवानी, तंसीग, बिजोरावास, कोहराना व भगवाडीकलां कुल 13 पावरहाऊस है जिनसे बिजली सप्लाई होती।

5. तहसील में

(1) राजस्व ग्रांमो की संख्या:- 94
(2) पंचायत समिति 01 बहरोड
(3) नगर पालिका- 01 बर्डोद
(4) नगरपरिषद-01 बहरोड
(5) उप तहसील-01 गण्डाला

6. **दक्ष लोगो का विवरण**:- तहसील बहरोड में डॉक्टर/कम्पांउडर/वैध /आयुर्वेद कंपाउडर चिकित्सा क्षेत्र से जुडे लोग है। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नही है।
7. **जीविकोपार्जन:-** तहसील मे लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय व कुछ लोग राज्य सेवा, केन्द्र सेवा में लगे हुए है। तथा बहरोड में रीको क्षेत्र होने से कुछ लोग यहा संचालित फैक्ट्रीयो में कार्य कर जीवनयापन करते है
8. **मुख्य फसल**:- रबी में गेहू, सरसो, जौ व चना तथा खरीफ में बाजरा, कपास व ग्वार की फसल पैदा की जाती है।
9. **नदी/बांध/तालाब/नालो की स्थिति**:- तहसील बहरोड में साबी नदी का बहाव क्षेत्र है जिस पर ग्राम कारोड में पुल बना हुआ है। गांवो में जगह-जगह जोहड है जिनमे बारिश का पानी जमा होता है तथा तहसील में सोतानाला नाम से एक नाला है जो साबी नदी का भाग है।
10. **संचार के साधन**:- तहसील में BSNL, Airtel, Jio,Vi के नेटवर्क टॉवर है तथा तहसील मुख्यालय पर भारतीय डाक सेवा की मुख्य ब्रान्च है तथा लगभग 09-10 सबस्टेशन है।
11. **स्कुल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र**:- तहसील मे प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उ0मा0 विधालय स्थित है तथा बहरोड में 04 राज्यकिय कॉलेज तथा कुछ निजी कॉलेज भी संचालित है। तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व निजी व सार्वजनिक धर्मशालाए है।
12. **तहसील में पैट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी/गैस गोदाम**:- तहसील में एचपी, भारत पट्रोलियम के पैट्रोल पर निजी तोर पर संचालित है तथा एचपी,इन्डेन,भारत गैस की एजेन्सी है तथा इनके गोदाम भी स्थित है।
13. **कार्यालय तहसीलदार बहरोड में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारीयो की सूचना:-**

क्रम स.	नाम कार्मिक	पद	मोबाइल न.
1	श्री अभिषेक यादव	तहसीलदार	9636510723
2	श्री प्रवीण कुमार	नायब तहसीलदार;बहरोड)	7742423009
3	श्री अजीतसिहं यादव	नायब तहसीलदार (गण्डाला)	9887029009
4	श्री प्रहलाद सहाय मीणा	ऑफिस कानूनगो	8890532565
5	श्री पवन कुमार	अति0 ऑफिस कानूनगो	9521552133
6	श्री अविनाश	लीव रिजर्व भू0अ0 निरी0	9461404840
7	श्री राकेश कुमार	लीव रिजर्व भू0अ0 निरी0	9799893363
8	श्री त्रिलोकचन्द यादव	अति0 ऑफिस कानूनगो (गण्डाला)	9929714880
9	श्री बस्तीराम यादव	भू0अ0 निरीक्षक गूत्ती	6375449179
10	श्री मंगलचन्द वर्मा	भू0अ0 निरीक्षक गण्डाला	9694074771
11	श्री विपिन कुमार सेगंर	भू0अ0 निरीक्षक बहरोड	9887362400
12	श्री नवीन कुमार	भू0अ0 निरीक्षक महाराजावास	8094774466

13	श्री रामनिवास मीणा	भू0अ0 निरीक्षक जखरानाकला	9887326032
14	श्री कार्तिक यादव	भू0अ0 निरीक्षक रिवाली	9468956868
15	श्री लीलाराम यादव	भू0अ0 निरीक्षक जैनपुरबास	9929685150
16	श्री द्वारकादास	भू0अ0 निरीक्षक बर्डोद	8696448926
17	श्रीमति शर्मिला कुमारी	पटवारी (LRC)	8058664113
18	श्री रामनरेश यादव	पटवारी गण्डाला	9462643743
19	श्री लेखराज गुर्जर	पटवारी ढुण्ढारिया	9782131242
20	श्री दिनेश कुमार	पटवारी गूंती	8426939358
21	श्री हंसराज	पटवारी बर्डोद	8058024521
22	श्रीमति अनिता	पटवारी गुजरवास	7016308084
23	श्रीमति शर्मिला यादव	पटवारी जागुवास	8890990106
24	श्री रामपत यादव	पटवारी बहरोड तर्फ गंगांबिशन	9887947391
25	श्री अजय कुमार गैनन	पटवारी बहरोड तर्फ डूगंरसी	6377112193
26	श्रीमति आरती यादव	पटवारी हमींदपुर	8529641667
27	श्री भुवनेश कुमार कुमावत	पटवारी महाराजावास	9829916386
28	श्री सुगडराम गुर्जर	पटवारी कोहराना	9057980760
29	श्री राजबीर यादव	पटवारी नांगलखोडिया	9785531418
30	श्री अमित कुमार	पटवारी रिवाली	8696030360
31	श्रीमति बीरमाकंवर	पटवारी मांचल	9462858360
32	सुश्री गीता सैनी	पटवारी बूढवाल	9509062562
33	श्री अनिल कुमार	पटवारी पहाडी	8890858632
34	श्री नरेन्द्र कुमार	पटवारी शेरपुर	6377061165
35	श्री संदीप यादव	पटवारी गादोज	9785327533
36	श्री अंकित शर्मा	पटवारी तसींग	8826048823
37	श्री बिजेन्द्र सैनी	पटवारी जखरानाकला	8302326409

38	श्री राजाराम	पटवारी जटगावडा	8690696976
39	श्री योगेश कुमार	पटवारी भगवाडीखुर्द	8209568826
40	श्रीमति मोनिका	पटवारी बसई	8955233129
41	श्री विष्णु यादव	पटवारी लीव रिजर्व	8104244734

अध्याय–24

तहसील नीमराना आपदा प्रबन्धन योजना2024 –

तहसील नीमराना आपदा प्रबन्धन योजना–2025

1 तहसील व तहसीलदार का नाम एव तहसील का परिचय–

तहसील नीमराना का सृजन 2013 से हुआ है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली–बहरोड से 40 किलोमीटर दूर स्थित है जोकि दिल्ली जयपुर NH48 रोड परस्थित है। तहसीलदार श्री अभिषेक यादव एव नायब तहसीदार श्री रामनीवास गोठवाल पदस्थापित है।

2 तहसील में संभावित खतराः–तहसील नीमराना. के ग्रामो में जोहड तालाब स्थित होने से वर्षा जल का भराव होता है

3 यातायात व्यवस्थाः– तहसील नीमराना दिल्ली जयपुर NH48 रोड परस्थित है। जिसपर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4 तहसील मूलभूत संसाधनः–तीन प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुतीना,कायसा व डूमरोली एव तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमराना,माजरी कला व शाहजहांपुर स्थित है।

अग्नि शमनव्यवस्थाः– तहसील नीमराना के रीको औदोगिक क्षेत्र मे अग्नि शमनकेन्द्रन स्थित है

तहसील में बिजली की व्यवस्थाः– विधुत विभाग के फीडर से विधुत सप्लाई उपलब्ध है

पीने के पानी की व्यवस्था–सभी ग्रामो मे पेयजल के बोरवेल उपलब्ध है।

1. तहसील में ग्रामो/ ग्रामपंचायतों की संख्या–तहसील नीमराना में 17 ग्रामपंचायत व 57 राजस्व ग्राम है।
2. तहसील की जनसख्या तहसील क्षेत्र की कुल 109321 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसख्या है।
3. दक्ष लोगो का विवरण–तहसील नीमराना में डॉक्टर/कम्पाउडर/वैध/आयुर्वेद कंपाउडर चिकित्या क्षेत्र से जुड़े लोग है। तैराक/गोताखोर/नावचालक लोग नहीं है।
4. जीविकोपार्जन–तहसील नीमराना में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय / नौकरी करते है।
5. मुख्य फसल–रबी–गेहूसरसोंहै/ खरीफ–बाजरा, ग्वारहै।
6. नदी/बाध/तालाब / नालो की स्थिति–नदी/बाध/स्थित नहीं है।
7. संचार के साधन एयरटेल/बीएसएनएल/जीओ के टावर व कनेकटीविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।
8. स्कूल/धर्म शाला/सामुदायिक केंन्द्र स्कूल स्थित है।

9. तहसील मे उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची तहसील नीमराना में सहकारी क्षेत्र मे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

10. तहसील मे उपलब्ध राजकीय / कार्मिको के नाम व दूरभाष–सूची सलग्न है।

11. नगरपालिका उपलब्ध होतो उसका नाम –नगरपालिका नीमराना है।

12. तहसील क्षेत्र में औधौगिक ईकाईया–तहसील नीमराना क्षेत्र में रीको क्षेत्र नीमराना एव घीलोठ मे औद्योगिक इकाई स्थित है।

13. उपलब्ध मेडीकल दुकानों/सरकारी/प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेसरी का नाम बिस्तरों की क्षमता / डॉक्टरो/ नर्सिंगसटॉफ की सख्या/पेट्रोलपम्प/गैस एजेन्सी/ गैसगोदाम– 1 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमराना– 2 डॉक्टर व 5 नर्सिंग स्टॉफ, निजी व सरकारी मेडीकलस्टोर हैं। दो पेट्रोलपम्प स्थित है C.N.G गैसपम्प स्थित है ईडियन ऐजेन्सीग्राम नीमराऩा मे स्थितहै ।

14. तहसील के ग्रामो मे जेसीबी/अन्य मशीनरीउपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार नीमराना मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क0स0	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापनस्थान	मोबाईलनम्बर
1	श्री अभिषेक यादव	कार्यवाहक तहसीलदार (अति0प्रभार)	तहसील नीमराना	9636510723
2	श्री रामनीवास गोठवाल	नायब तहसीदार	तहसील नीमराना	8112286960
3	श्री कृष्ण कुमार	ऑफिस कानूनगो	तहसील नीमराना	9929171900
4	श्री पवन कुमार शर्मा	लि0रि0 भू0अ0 निरीक्षक	तहसील नीमराना	9784476549
5	श्री हाकिम सिंह	भू0अ0 निरीक्षक	श्रीयानी,माजरी कला (अति0प्रभार)	9414362603
6	श्री मनोज कुमार	भू0अ0 निरीक्षक	शाहजहांपुर	9887159084
7	श्री दिलबाग सिंह	भू0अ0 निरीक्षक	कायसा	8619526819
8	श्री राजेद्रप्रसाद	भू0अ0 निरीक्षक	नीमराना	9829240510
9	श्रीमती अमीत कुमार	पटवारी	नीमराना	8059989378
10	श्री प्रशतं	पटवारी	कोलिका जोगा	9660002930
11	श्री मंथन	पटवारी	बिचपुरी	7014672740
12	श्री आसुतोश	पटवारी	प्रतापसिंहपुरा	9057744860
13	श्री किशोर कुमार	पटवारी	जोनायचाकला	9783183485
14	श्री विकास कुमार	पटवारी	शाहजहांपुर(अति0प्रभार)	9511567847
15	श्री कमलेश कुमावात	पटवारी	फौलादपुर	7740960911
16	श्री घनश्याम सिंह	पटवारी	गुगलकोटा	9672504233

17	श्री उमाशंकर भारद्वाज	पटवारी	जेनायचाखुर्द	7737568600
18	श्री मनीष कुमार	पटवारी	श्रीयाणी	9416886150
19	राजकौर कुलहरी	पटवारी	सलारपुर	9351236620
20	श्री विकास कुमार	पटवारी	कुतीना	9511567847
21	श्री देवेन्द्र चोदरी	पटवारी	घीलोठ	7742606090
22	श्री मंजीत यादव	पटवारी	कायसा	9024747274
23	श्री संदीप कुमार	पटवारी	अकलीमपुर	9785180919
24	श्री विकास	पटवारी	डूमरोली	9813626697
25	श्री धर्मसिंह	पटवारी	रैवाना (अति0प्रभार),दोसोद	9772113394
26	श्री अजीत सिंह	पटवारी	रोडवाल,दौलतसिंहपुरा(अति0प्रभार),	8769883009
27	श्री संदीप कुमार	पटवारी	माजरी कला	9460834093
28	श्री राजेश कुमार	पटवारी	तहसील नीमराना	9587209587
20	श्री विकास कुमार	पटवारी	कुतीना	9511567847
21	श्री देवेन्द्र चोदरी	पटवारी	घीलोठ	7742606090

अध्याय–25

तहसील नारायणपुर आपदा प्रबंधन योजना2025

प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ एवं अतिवृष्ट 2025 से बचाव की पूर्व तैयारी हेतु कंटीन्जेंसीज प्लान यह कंटीन्जेंसीज प्लान

यह कन्टनजेंसी प्लान वर्ष 2025 हेतु उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर में संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति निपटने की सस्ता सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने एवं पशु हानि को रोकने हेतु सक्रिय प्रयासों की क्रियान्विति की जाएगी। उपखण्ड मुख्यालय नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड के मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में लगभग 32 किमी की दूरी पर स्थित है। उपखण्ड नारायणपुर में 18 ग्राम पंचायत **एवं 01 नगरपालिका** में 62 राजस्व ग्राम है। उपखण्ड नारायणपुर 2 पंचायत समितियों से मिलकर बना है पंचायत समिति बानसूर की 9 ग्राम पंचायत व पंचायत समिति की 11 ग्राम पंचायत इस उपखण्ड में सम्मिलित है।

उपखण्ड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष 15 जून 2025 से स्थापित कर लिया जायेगा। नियंत्रण कक्ष पर निरंतर आठ–आठ घंटे के अंतराल पर स्टाफ की ड्यूटी यथा समय लगाई जाए जा रही है नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01465–294099 हैं।

10. तहसील में पदस्थापित समस्त भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारीगण के हल्के की दूरभाष नंबर उपलब्ध होकर सूची संलग्न है।
11. उपखण्ड क्षेत्र में तैराको/गोताखोरों की सूची तैयार कर संलग्न है।
12. उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुण्डावरा एवं बामनवास काकड़ के समस्त ग्रामों में निचले क्षेत्र में पानी भरने की संभावना रहती है।
13. बाढ़ के समय लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। भूने हुए चनें एवं गुड़ की व्यवस्था के लिए भी इन्हीं संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
14. अतिवृष्टि के कारण मकानो आदि में होने वाली क्षति व अन्य तात्कालिक सहायता/आवश्यकताओं के लिए तहसील स्तर पर बजट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
15. बाढ पीड़ित व्यक्तियों को ठहराने के लिए सामुदायिक भवन/विद्यालय भवन आदि का उपयोग किया जा सकेगा।
16. संसाधन (वाहन/इंजन/खाली कट्टे आदि) सिचाई विभाग द्वारा बांधों के गेटों को ऑयल/ग्रिस से मरम्मत कर तैयार करने के साथ अपने सभी वाहन/इंजन गेती ,फावडे आदि दुरूस्त करा तैयार रखे, साथ ही विभाग अपने अधिनस्थ बांध की सुरक्षा हेतु कम से कम 1200 खाली कट्टे बांध पर

रखें एवं अपने कार्मिकों को बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर मुस्तैदी से कार्यवाही करने हेतु आगाह करें।

17. विद्युत विभाग अपने वाहनो सहित किसी भी प्रकार की त्वरित कार्यवाही हेतु सतर्क रहे।

18. पंचायत समिति अपने अधिनस्थ प्रत्येक तालाब,नाडी ,ऐनिकट की सुरक्षा हेतु कम से कम 250 कट्टे ग्राम पंचायत स्तर पर तथा 1000 खाली कट्टे पंचायत समिति स्तर पर रखेगें। जिन तालाबो की क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। वहां पर लगभग 150 से 200 कट्टे रेत के भरवा कर तैयार रखावें।

इस तरह संबंधित विभाग प्रत्येक तालाब/ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार रेत, सुए, गेती, फावडे, तगारी, सब्बल ,टॉर्च ,केरोसीन आदि तैयार रखावें। आवश्यकता पडने पर आवश्यक व्यवस्था सभी विभाग अपने स्तर पर करेंगें।

तहसील नारायणपुर के पटवारियां भू अभिलेख निरीक्षक एवं मोबाइल नंबरों की सूची

क्र.स	भू.अभि.निरी. /पटवार मण्डल का नाम	भू.अभि.निरी./पटवारी का नाम	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	श्री अशोक योगी	9799273142
2	अजबपुरा	श्री अनुराग शर्मा	7976926166
3	ज्ञानपुरा	श्री अशोक कुमार	9784797955
4	नीमूचाना	सुश्री रेखा बूनकर	9928840066
5	नारायणपुर ए	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	8003173072
6	नारायणपुर बी	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	8003173072
7	विजयपुरा	श्रीमती शिवानी यादव	9079173323
8	बामनवास कांकड	श्री रोहिताश्व योगी	8696208409
9	कोलाहेडा	श्री हवाई सिंह मीना	8426067963
10	अजबपुरा	श्री अरविन्द सैनी	8003885034
11	गढी	श्री राजेश कुमार गुर्जर	8742086820
12	खरकडी कलां	श्री राजेश कुमार गुर्जर	8742086820
13	मुण्डावरा	श्री अरविन्द सैनी	8003885034
14	चांदपुरी	श्री योगेश सैनी	9602133067

e

15	ज्ञानपुरा	श्री हवाई सिंह मीना	8426067963
16	बिलाली	श्री रोहिताश्व योगी	8696208409
17	कराणा	श्री सुरेन्द्र सिंह	8742086820
18	नीमूचाना	श्रीमती कविता	7851839589
19	चतरपुरा	**श्रीमति कृष्णा बाई यादव**	8003173072
20	बासदयाल	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	9887586486
21	बसईजोगियान	श्री योगेश सैनी	9602133067

ब्लॉक नारायणपुर के ग्राम विकास अधिकारी के मोबाइल नंबरों की सूची

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम विकास अधिकारी नाम	मोबाइल नम्बर
1	कोलाहेडा	श्री विनित चौधरी	9887684330
2	विजयपुरा	श्री **विजय प्रजापत**	9057132653
3	बामनवास कांकड	श्री विनित चौधरी	9887684330
4	अजबपुरा	श्री **संजय सिंह**	7727090406
5	मुण्डावरा	श्री रजनीकान्त	7976448420
6	गढी	श्री मनीष शर्मा	8561833822
7	खरकडी कलां	श्री **रामकिशन सैनी**	9828748346
8	चांदपुरी	सुश्री रीना यादव	8233518533
9	कानपुरा लोज	श्री दिनेश चौधरी	8209436772
10	बसई जोगियान	श्री **विपिन शर्मा**	9928538607
11	बुर्जा	अनु यादव	9521463962
12	कराणा	श्री कमल शर्मा	9672279500
13	बिलाली	श्री निर्मल शर्मा	9680859008
14	तुराणा	श्री पवन शेखावत	8302783594
15	नयाबास	श्री गोविन्द शर्मा	9982961409
16	चतरपुरा	श्री **सुनील कुमार प्रजापत**	9660925011
17	नीमूचाना	श्री मनोज कुमार गुर्जर	9521290014
18	बासदयाल	श्री मनीष कुमार गिठाला	8209106746

तैराक / गोताखोंरो की सूची – उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	तैराक / गोताखोंरो	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	श्री	
2	कोलाहेडा	श्री	
3	विजयपुरा	श्री	
4	बामनवास कांकड	श्री	
5	अजबपुरा	श्री	
6	मुण्डावरा	श्री	
7	गढी	श्री	
8	खरकडी कलां	श्री	
9	चांदपुरी	श्री	
10	कानपुरा लोज	श्री	
11	बसई जोगियान	श्री	
12	ज्ञानपुरा	श्री शंकर लाल मीणा	6378065132
13	बुर्जा	श्री सचिन वर्मा	7240214402
14	कराणा	श्री रमेश	8441814934
15	बिलाली	श्री हंसराज	9015254501
16	तुराणा	श्री महेन्द्र कुमार	8107983202
17	नयाबास	श्री विक्रम	9001602482
18	चतरपुरा	श्री मुकेश	9460555185
19	नीमूचाना	श्री जितेन्द्र	8714359078
20	बासदयाल	श्री कमल मीणा	6376154424

उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर में जेसीबी धारको की सूचना

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम विकास अधिकारी नाम	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	3. श्री रतन लाल 4. श्री गिरिराज	9636406884 9929554072
2	विजयपुरा	श्री सियाराम	8426815203
3	बामनवास कांकड	श्री भीमसिंह	9694811081
4	मुण्डावरा	श्री भीमसिंह	9694811081
5	गढी	श्री रमेश	9950097772
6	खरकडी कलां	श्री बनवारी	8890908185
7	चांदपुरी	श्री सुनील	8058930011
8	कानपुरा लोज	श्री भीमसिंह	9694811081
9	बसई जोगियान	3. श्री गुड्डू हरसाना 4. श्री संदीप	9414632424 8875809528
10	ज्ञानपुरा	श्री नत्थूराम	7300373707
11	बुर्जा	श्री नत्थूराम	7300373707
12	कराणा	श्री पप्पू सिंह	9602072865
13	बिलाली	श्री हुकुम सिंह	9057500634
14	तुराणा	श्री पप्पू सिंह	9602072865
15	नयाबास	श्री पप्पू सिंह	9602072865
16	चतरपुरा	3. श्री छाजूराम मीना 4. श्री देशराज मीना	9784510660 9887303559
17	नीमूचाना	3. श्री छाजूराम मीना 4. श्री देशराज मीना	9784510660 9887303559
18	बासदयाल	—	—

अध्याय–26

तहसील विराटनगर आपदा प्रबंधन योजना 2024

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचयः-

तहसील विराटनगर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित है जो कि शाहपुरा(जयपुर) से अलवर रोड़ पर स्थित है। तहसीलदार श्री लालाराम यादव (6377252790) एवं नायब तहसीलदार श्रीमती मेनका चौधरी (9001473765) है।

2. तहसील मे संभावित खतराः-

तहसील विराटनगर में बाढ संभावित बाण गंगा नदी व छीतोली बाध है।

3. यातायात व्यवस्थाः- शाहपुरा (जयपुर) से अलवर मुख्य मार्ग पर ही स्थित है।
4. तहसील मूलभूत संसाधनः-

   डिस्पेंसरीः- 1 विराटनगर,उप जिला चिकित्सालय,(100 बेड क्षमता) 1 मैड़ 2.आँतेला, 3 जयसिंहपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सालय केन्द्र विराटनगर, मैड़, जयसिंहपुरा, बीलवाड़ी में स्थित है।

   अग्नि शमनव्यवस्थाः-अग्नि शमन केन्द्र विराटनगर नगरपालिका में स्थित है।

   तहसील में बिजली की व्यवस्थाः- फीडर से जुडा हुआ है।

   पीने के पानी की व्यवस्था—बोरवेल एवं कुए उपलब्ध है।
5. तहसील में ग्रामों व ग्राम पंचायतो की संख्या तहसील विराटनगर में 29 ग्राम पंचायत व 114 राजस्व ग्राम है।
6. तहसील विराटनगर की जनसंख्या कुल 150515 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।
7. दक्ष लोगो का विवरण तहसील विराटनगर में डाक्टर/कम्पाउडर/वैध/आयुर्वेद कम्पांडर चिकित्सा क्षेत्र से जुडे लोग है। तैराक/गोताखोर/ नाव चालक लोग नहीं है
8. जीविकोपार्जन—तहसील विराटनगर में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय/ नोकरी करते है।
9. मुख्य फसलः- रबी-गेहू जौ सरसों तारामीरा है खरीफ बाजरा मूंगफली तिल ग्वार है। व सब्जिया हैं।
10. नदी/ बांध/ तालाब/ नालो की स्थितीः- तहसील विराटनगर में नदी बाणगंगा, साबी तथा बांध एवं तालाब छीतोली, बूजा, बीजक कराठ, नोरगपुरा पालडी आदि है नाले अनेक है।
11. संचार के साधन एयरटेल/ वी आई/ जीओ बीएसएनएल के टावर व कनेक्टिविटि है पोस्ट आफिस की सुविधा है। ग्राम पंचायत बडोदिया में नेटवर्क सुविधा नही है।
12. स्कूल/कालेज/ धर्मशाला/ सामुदायिक केन्द्रः- तहसील विराटनगर में स्कूल/कालेज/ धर्मशाला/ सामुदायिक केन्द्र स्थित है।
13. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूचीः- तहसील विराटनगर में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
14. तहसील में उपलब्ध राजकीय कार्मिको के नाम व दूरभाषः- सूची सलंग्न
15. नगर पालिका – विराटनगर है
16. औद्योगिक ईकाईयाः- तहसील विराटनगर में औद्योगिक ईकाईया नहीं है।

17. उपलब्ध मेडिकल दुकानो सरकारी प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेन्सरी का नाम बिस्तरो की क्षमता डाक्टरो 28 नर्सिंग स्टाफ की संख्या 97 / पेट्रोल पंप की संख्या 15 गैस एजेन्सी 03 है।
18. भारी मशीनरी तहसील विराटनगर में 10 JCB मशीन उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार विराटनगर में कार्मिकों की सूचनाः-

1.	विराटनगर	श्री गोपाल लाल मीणा 9829463311	विराटनगर	सुभाष चन्द लील (अति.)	6350482737
			सोठाना	आशीष कुमार शर्मा (अति)	9875733318
			तेवडी	चेतना शर्मा	7891602965
			कुहाडा	सीताराम ज्योतिषी	9785217091
2.	बीलवाडी	श्री सुनील कुमार शर्मा 9571818775	बीलवाडी	सीताराम ज्योतिषी (अति)	9785217091
			नोरंगपुरा	सुशीला मीना	8005833357
			बागावास चौरासी	विनोद कुमार वर्मा	9079691099
			जवानपुरा	आशीष कुमार शर्मा	9875733318
3.	पालडी	श्रीमती रिंकी मीणा 6378782474	पालडी	रामराज मीना	9414543807
			आमलोदा दूदी	मनोज कुमार मीना	9636528208
			भामोद	मनोज कुमार मीना (अति)	9636528208
			बडोदिया	रामराज मीना	9414543807
4.	मैड	धर्मपाल रैगर 9829850473	मैड	विक्रम सिंह गुर्जर	8104258820
			पुरावाला उर्फ मैड बी	सुभाष चन्द लील	6350482737
			जोधूला	अल्का अलवारिया	9571178566
			तालवा बिहाजर	रामनारायण गुर्जर	9929335438
5	आंतेला	श्री कुलदीप मीणा 8306601328	आँतेला	नीलम कुमारी यादव	8005535680
			बजरंगपुरा	अमरचन्द मीना	8690089219
			बागावास अहिरान	महेन्द्र कुमार यादव (अति)	8209657763
			जयसिंहपुरा	महेन्द्र कुमार यादव	8209657763
6.	भाबरू	श्री राजकपूर खरकडिया 9799817638	भाबरू	नरेश कुमार यादव	9509634476
			ढाणी गैसकान	देशराज यादव	8502812011
			लुहाकना कला	मन्जू यादव	7568057359
			छीतोली	अशोक कुमार यादव	9929485885

कार्यालय तहसीलदार विराटनगर सम्पर्क सूची (कार्यालय स्टाफ)

क्रम संख्या	शाखा	नाम कार्मिक	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	भू अभिलेख शाखा	श्री कन्हैयालाल रैगर	आफिस कानूनगो	7665728207

2.		श्री रतनलाल मीना	अति. आफिस कानूनगो	8290782529
3.		श्री ख्यालीराम यादव	लीव रिजर्व ILR	9667418827
4		श्री अनिल कुमार यादव	एल आर सी पटवारी	7240630190
5		श्रीमती हंसा मीणा	एल आर सी ILR	8949635992
		श्री प्रकाश चन्द मीणा	लीव रिजर्व पटवारी	7339940948
6	सामान्य प्रशासन शाखा	श्री महेश सिंह चौहान	सहा. प्रशा. अधिकारी	9829600458
7		श्री गौरव शर्मा	कनि. लेखाकार	9636239010
8		श्री श्रीराम गुर्जर	TRA	8209908822
9		श्री कमल मेहरा	रीडर	9001409902
10		श्री भूपेन्द्र कुमार मीना	कनि. सहा.	8426902404
11		श्री देवीलाल पलसानिया	कनि. सहा	8107743923
12		श्री राहुल शर्मा	कनि. सहा	9610454740
13		श्री कैलाश चन्द मीना	वाहन चालक	7976495982
14		श्री गोपाल लाल गुर्जर	सहा. कर्मचारी	8290731814
15		श्री सन्तोष हरिजन	सहा. कर्मचारी	9928026730
16		श्रीमती सुप्यार देवी	सहा. कर्मचारी	9929091545
17		श्री मोहनलाल	सहा. कर्मचारी	9929634261

अध्याय : 27

जिले के प्रशासनिक अधिकारी ,पुलिस अधिकारी ,जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण विभाग की सूची एवं दूरभाष नम्बर

S.No.	Name	Designation	Place	Phone No.	Email ID
1	Smt. Kalpana Agarwal (IAS)	District Collector	Collectorate, Kotputli-Behror	9413318811	dm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
2	Sh. Rajan Dushyant	Superintendent of Police	SP Office Kotputli-Behror	9414000039	SPKOTPUTLIBEHROR@RAJPOLICE.GOV.IN
3	Mr. Om Prakash Saharan	Add. District Collector	Collectorate, Kotputli-Behror	9413514599	adm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
4	Sh. Vaibhav Sharma	Add. S.P. of Police	SP Office kotputli	9462809039	addlspkotputlijprr@gmail.com
5	Smt. Shalini	Add. S.P. of Police	SP Office Neemrana	8107840530	aspneemrana@gmail.com
6	Sh. Mahendra Kumar Saini	Add. Chief Executive office, Zila Parishad	Zila Parishad, Kotputli	9999353741	aceoktpbehror@gmail.com
7	Sh. Brijesh Kumar II	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Kotputli	7011684021	sdo.ktp.jpr@gmail.com
8	Sh. Ramkishor Meena	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Behror	9829086213	sdmbeh.alw@gmail.com
9	Sh. Dinesh Sharma	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Narayanpur	9413632204	SDMNPR.ALW@RAJASTHAN.GOV.IN
10	Sh. Kapil Kumar	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Paota	9680447574	SDO.PAOTA.JPR@RAJASTHAN.GOV.IN
11	Mrs. Amita Maan	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Viratnagar	9166792424	sdoviratnagar1@gmail.com
12	Sh. Anurag Harit	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Bansur	7877950459	sdmban.alw@gmail.com
13	Sh. Mahendra Singh	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Neemrana	9414019062	sdmneem.alw@gmail.com
14	Sh. Ramdhan Gurjar	Tehsildar	Tehsil, Kotputli	6375876959	tdr.ktp.jpr@gmail.com
15	Sh. Abhishek Yadav	Tehsildar	Tehsil, Behror	9636510723	tehsilbehror@gmail.com
16	Sh. Anil Kumar	Tehsildar	Tehsil, Narayanpur	9783806488	tehsildar.npr@gmail.com
17	Sh. Sanjay Kumar	Tehsildar	Tehsil, Paota	9414562777	tdr.paota.jpr@gmail.com
18	Sh. Lala Ram Yadav	Tehsildar	Tehsil, Viratnagar	6377252790	viratnagartdr@gmail.com
19	Sh. Gajendra Singh Rathore	Tehsildar	Tehsil, Bansur	9910365470	tehban.alw@gmail.com
20	Sh. Abhishek Yadav (Add. Charge)	Tehsildar	Tehsil, Neemrana	9636510723	tehsilneemrana@gmail.com
21	Sh. Sumit Bhardaj	Tehsildar	Tehsil, Mandhan	7014147782	tdr.mandhan@gmail.com
22	Sh. Ashok Kumar Verma	Treasur Officer	Treasury Collectorate, Kotputli-Behror	9829242477	to.kot@rajasthan.gov.in
23	Sh. Shashi Shekar Sharma	District Supply Officer	Food Department office Nagar Parisad	9829600407	dsofood-beh.ktp-rj@gov.in
24	Sh. Noor Mohammad (Add. Charge)	Commissioner Nagar Parishad	Nagar Parishad, Kotputli-Behror	9829230911	kotputliulb.jaipur@yahoo.com
25	Dr. Aashish Shekhawat	CM&HO	Kotputli-Behror	9828261988	cmho-ktp.behror-rj@gov.in
26	Dr. Chetant Rawat	Principal Medical Officer (PMO)	Kotputli	9414083793	bdm.hospitalkotputli@gmail.com
27	Dr. Suresh Chand Yadav	Principal Medical Officer (PMO)	Behror	9414200744	pmodhbehror-rj@gov.in
28	Dr. Arvindra Agarwal	RCHO	RCHO Office Kotputli	9414924745	rchokotputlibehror@gmail.com
29	Sh. Rahul Aashiwal	APRO	Information and Public Relations Deparmtment, Kotputli-Behror	9582702781	prokotputlibehror@gmail.com; dipr.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
30	Sh. Vipin	DPSW	Social Justice & Empowerment office Kotputli	7891434971	dlo.sje.kotp@rajasthan.gov.in
31	Sh. Ramatar Kumawat	Superintending Engineer	PWD kotputli	9414537005	SEKOTPUTLI.PWD@RAJASTHAN.GOV.IN
32	Sh. Ram Niwas Yadav	Superintending	PHED kotputli	9414545917	secirclekotputli@rajasthan.gov.in

		Engineer			
33	Sh. Manoj Gupta	Superintending Engineer	JVVNL Kotputli	9413389902	sekotputli@jvvnl.org
34	Sh. Ramsingh Yadav	DEO	DEO Office Kotputli	9928307875	DEOHQSECKOTPUTLIBEHR@RAJASTHAN.GO
35	Sh. Sunil Kumar Saini	DTO	DTO Office Kotputli	8890991006	dto.kotputli.tport@gmail.com
36	Sh. Girivar Sharma	DEO	Excise office Behror	9829181904	deo.behror.excise@rajasthan.gov.in
37	Sh. Rishidev Yadav	ZSKA	Sainik Welfare Department Behror	9953944529	zska.behror@rajasthan.gov.in
38	Sh. Amichand Duhariya	AME	Mining Office Kotputli	8104036901	ame.kotputli@rajasthan.gov.in
39	Sh. Satpal Yadav	Deputy Director	Woman and Child development office	9928363176	DDKOTPUTLIBEHROR.WCD@RAJASTHAN.GOV.IN
40	Dr. Harish Kumar	Deputy Director	Animal Husbandry Office Kotputli	9414249319	ddahdktpbehror@gmail.com
41	Sh. Sunil Kumar Meena	Deputy Director	DOITC Office Kotputli	9799895730	dlo.doit.kotputli.b@rajasthan.gov.in
42	Sh. Leela Ram Jat	Deputy Director	Horticulture Kotputli	9414367083	DDHORT.KOT.BEH.HORTI@RAJASTHAN.GOV.IN
43	Sh. Babu Lal Bairwa	BSO	Statistic office Kotputli	9509563178	BSOKOTPUTLI.DES@GMAIL.COM
44	Sh. Mahendra Kumar Jain	Joint Director	Agriculture office Kotputli	9414257584	JDAGR.KTPBEH@rajasthan.gov.in
45	Sh. Satjeet Khoriya	GM DIC	District Industry Centre Bhiwadi	9001922114	dicbhiwadi@rajasthan.gov.in
46	Sh. Subhash Sharma	GM DIC	District Industry Centre Kotputli	9928157032	dicjprrural@rajasthan.gov.in
47	Sh. Rajkumar Sehra	Regional officer	RPCB Neemrana	9829664373	rorpcb.bkt@gmail.com

अध्याय : 28

आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली

- ARMVs - Accident Relief Medical Vans
- CBOs - Community Based organizations
- CBRN - Chemical, Beiological, Radiological & Nuclear
- CCMNC - Cabinet Committee on Management of Natural Calamities
- CCS - Cabinet Committee on Security
- CRF - Calamity Relief Fund
- DDMA - District Disaster Management Authority
- DM - Disaster Management
- GIS - Geographical Information System
- GPS - Global Positioning System
- HLC - High Level Committee
- HPS - High Power Committee
- ICS - Incident Command System
- ICT - Information and Communication Technology
- IDRN - India Disaster Resource Network
- IDKN - India Disaster Knowledge Network
- IMC - Inter-Ministerial Committee
- NCCF - National Calamity Contingency Fund
- NCMC - Natinal Crisis Management Committee
- NDEM - National Database for Emergency Management
- NDMA - National Disaster Management Authority
- NDMF - National Disaster Mitigation Fund
- NDRF - National Disaster Response Force
- NEC - National Executive Committee
- PRIs - Panchayati Raj Institutions
- SDMS - State Disaster Management Authority
- SDRF - State Disaster Response Force
- SEC - State Executive Committee
- SOPs - Standard Operating Procedures
- ULBs - Urban Local Bodies

अध्याय : 29

कमियां एवं ठोस कार्यवाही

(तहसील एवं ग्राम स्तर का अवलोकन एवं डाटा संग्रहण पर आधारित)

1. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की जानकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नगण्य पायी गई।
2. जिले में आपदा न्यूनीकरण योजना को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधन की कमी पाई गई।
3. जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के बीच संचार प्रणाली एवं तालमेल निम्न स्तर पर आंकलन की गई जहां अधिक से अधिक प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।
4. आपदा की प्रभावी योजना एवं तैयारी के लिए प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है।
5. जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों का डाटाबैस एवं दक्ष लोगों की सूची आपातकालीन सूचना केन्द्र पर अपडेट रहना चाहिए, जो नगण्य है।
6. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षित लोगों की भर्ती, फायर टेण्डर की व्यवस्था एवं जल भण्डारण की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि समय की बचत के साथ ही अग्नि दुर्घटना में कम से कम जान–माल की क्षति हों।
7. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर चिकित्सा एवं ट्रोमा केयर के लिए अस्पतालों का स्तर ऊँचा करना, संसाधन से लैस एम्बुलेंस, पैरा स्टाफ एवं संचार प्रणाली को व्यवस्थित करना ताकि सडक दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके।
8. स्कूल एवं शिक्षण संस्थानों में प्रबन्धकों एवं छात्रों को आपदा एवं जागरूकता का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

9. स्थानीय स्तर पर क्षमता वर्धन के लिए लोगों में जागरूकता, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका, मिडिया की साझेदारी एवं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी की प्रबलता बढाई जाये।
10. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन में उच्च स्तर का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये ताकि स्थानीय संसाधन का विकास हो सके।
11. निचले स्तर के सभी सरकारी कर्मियों, एवं जनप्रतिनिधियों, जैसे– सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, शिक्षक, जल संसाधन कर्मी, अस्पतालकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं अन्य कार्मिकों को आपदा प्रबन्धन में कम से कम दो या दो दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यक किया जाये ताकि ग्रामीण स्तर पर इसका लाभ आमजन को मिल सके।
12. आपदा प्रबन्धन कानून का पालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।
13. प्रत्येक तहसील स्तर पर ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेंन्टर (ईओसी) का गठन एवं संचालन 24 घन्टे सुनिश्चित किया जाये ताकि आपात स्थिति में प्रशासनिक तंत्र कम समय में घटना को नियंत्रित कर सकें। प्रशासनिक तंत्र को सूचना प्रणाली को विकसित करने का उपाय करना चाहिए।

सधन्यवाद